



APRIL 2021 IASBABA MONTHLY MAGAZINE

न्यायाधिकरण सुधार (युक्तिकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021
व्यवसाय और मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपी)

भारत की शरणार्थी समस्या

द्विषक लैट्टगक अंतराल ररपोर्क 2021

दुलकभ रोगों के द्दलए राष्ट्रीय नीद्वत 2021

बोआओ फोरम फॉर एशिया

WWW.IASBABA.COM

प्रस्तावना

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षा प्रारूप में वर्तमान बदलाव के साथ, सामान्य अध्ययन-II और सामान्य अध्ययन III को साधारणतः समसामयिकी से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा, यूपीएससी की हालिया प्रवृत्ति के अनुसार, लगभग सभी प्रश्न समाचार-आधारित होने के बजाय मुद्दों पर आधारित हैं। इसलिए, तैयारी के लिए सही दृष्टिकोण केवल समाचार पढ़ने के बजाय मुद्दों को तैयार करना है।

इसे ध्यान में रखते हुए, हमारी वेबसाइट www.iasbaba.com दैनिक आधार पर मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए वर्तमान मामलों को कवर करती है। यह आपको विभिन्न राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों जैसे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइवमिंट, बिजनेस लाइन और अन्य महत्वपूर्ण ऑनलाइन स्रोतों से दिन के प्रासंगिक समाचार प्राप्त करने में मदद करेगा। समय के साथ, इनमें से कुछ समाचार प्रसंग महत्वपूर्ण मुद्दे बन जाएंगे।

UPSC ऐसे मुद्दों से सम्बंधित प्रश्न और इन पर सामान्य राय पर आधारित प्रश्न पूछती है। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए सामान्य जागरूकता और मुद्दे की समग्र समझ की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम उम्मीदवारों के बीच सही समझ पैदा करना चाहते हैं – ‘इन मुद्दों को कैसे कवर किया जाए?’

यह IASbaba की मासिक पत्रिका का 66 वां संस्करण है। यह संस्करण उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करता है जो NOVEMBER-2020 के महीने में खबरों में थे, जिन्हें <https://iasbaba.com/current-affairs-for-ias-upsc-exams> से भी एक्सेस किया जा सकता है।

IASBABA से VALUE ADDITIONS

- **Think और Connectng the dots** अवश्य पढ़ें और कनेक्ट करें।
- इसके अलावा, हमने Prelim और mains पर ध्यान केंद्रित करने के लिए snippets और टेस्ट योर नॉलेज (दैनिक करंट अफेयर्स पर आधारित Prelims MCQs) प्रस्तुत किया है जो आपको बेहतर revision के लिए मार्गदर्शन करेंगे।
- **‘Must Read’ section**, आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करेगा कि, आप दैनिक आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों से किसी भी महत्वपूर्ण समाचार / संपादकीय को याद नहीं करेंगे।
- प्रत्येक समाचार लेख के तहत, **Connectng the dots** एक मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर जुड़ने और विचार करने की आपकी सोच को सुविधाजनक बनाता है। मूल रूप से, यह आपको बहु-आयामी दृश्य-बिंदु से एक मुद्दे को समझने में मदद करता है। आप मेन्स या इंटरव्यू देते समय इसके महत्व को समझेंगे।

‘Must Read’ section: हमने उन्हें पत्रिका में शामिल नहीं किया है। दैनिक आधार पर DNA का अनसुरण करने वाले इसका अनसुरण कर सकते हैं-

<https://iasbaba.com/current-affairs-for-ias-upsc-exams/>

“Tell my mistakes to me not to others, because these are to be corrected by me, not by them.”

विषय वस्तु

इतिहास / संस्कृति / भूगोल

- अनंगपाल द्वितीय की विरासत को लोकप्रिय बनाने के लिए एक समिति का गठन हुआ
- विश्व शहर सांस्कृतिक मंच
- उन्नत पुरावशेष प्रबंधन प्रणाली (AAMS)

राजनीति / शासन

- चुनावी बांड योजना
- उच्च न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियां
- ई-न्यायालय परियोजना का चरण III
- सतर्कता अधिकारियों का होगा सीमित कार्यकाल
- न्यायाधिकरण सुधार (युक्तिकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021
- व्यवसाय और मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपी)
- फिल्म प्रमाणन न्यायाधिकरण का उन्मूलन
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
- लोक अदालत
- धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट के विचार
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक
- आधार से संबंधित समस्याएं
- पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए नए ओसीआई कार्ड पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है
- चुनाव और एमसीसी (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट)
- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021
- पंचायती राज को सुदृढ़ करना
- प्रकाश सिंह केस: 2006 में पुलिस सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सामाजिक मुद्दे / वेलफेयर

- 'MyNEP2020' प्लेटफार्म का शुभारंभ
- अखिल भारतीय प्रवासी कामगार सर्वेक्षण
- जातिवाद
- नीति आयोग का राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का मसौदा
- भारत की शरणार्थी समस्या
- स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाना
- कृत्रिम बुद्धि (एआई) के युग में बच्चों की रक्षा करना

- मानस मोबाइल एप का शुभारंभ

महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे

- महिला एवं सहकारी डेयरी फार्मिंग
- एमटीपी विधेयक, 2020 पर चिंताएं
- श्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021
- महिला मुद्दे

स्वास्थ्य समस्या

- भारत में डबल म्यूटेंट कोरोनावायरस वेरिएंट
- COVID-19 के कारण मातृ मृत्यु और मृत जन्म में वृद्धि
- दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021
- एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (IHIP) का शुभारंभ
- जैविक खतरे
- स्पुतनिक V आपातकालीन उपयोग के लिए अनुशंसित
- आहार क्रांति का शुभारंभ
- पोषण ज्ञान का शुभारंभ
- कोविड -19 टीकाकरण: चुनौतियां, चीनी मॉडल और आगे की राह
- कोविड-19 टीकों के लिये विभेदक मूल्य निर्धारण
- विराफिन को मिली आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी

सरकारी योजनाएँ

- AIM-प्राइम का शुभारंभ
- संकल्प से सिद्धि का शुभारंभ
- झारखंड सरकार द्वारा समर अभियान
- उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड
- NCSC ने “ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल” का शुभारम्भ
- शिक्षा और परीक्षा: प्रारंभिक मूल्यांकन
- शिशु बच्चा और देखभाल करने वाले के अनुकूल पड़ोस (ITCN) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2021
- टू-चाइल्ड नॉर्म
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली: सरकार के बदलाव और उसका प्रभाव

अंतरराष्ट्रीय

- विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन

- संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)
- चीन की डिजिटल मुद्रा
- E9 पार्टनरशिप मीटिंग
- विश्व जनसंख्या रिपोर्ट -2021
- मध्य शक्तियां और बहुध्रुवीयता
- यूरोपीय संघ की परिषद
- अमेरिकी आयोग ने की भारत को 'विशेष चिंता वाला देश' घोषित करने की सिफारिश
- भारत अमेरिकी मुद्रा व्यवहार निगरानी सूची में
- बोआओ फोरम फॉर एशिया
- डेटा और एक नई वैश्विक व्यवस्था
- वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर की दर
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)
- ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW)

भारत और विश्व

- बिम्सटेक देशों की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक
- भारत - सेशेल्स संबंध
- भारत-नीदरलैंड आभासी शिखर सम्मेलन
- आईएनएस सर्वेक्षक मॉरीशस में तैनाती पर
- यूएसए ने भारतीय EEZ में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन (FONOP) किया
- भारत ने 156 देशों के लिये पुनः बहाल किया ई-वीजा
- बिम्सटेक (BIMSTEC)

अर्थव्यवस्था

- सभी छोटे बचत साधनों पर दरें घटी
- विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियों (SPACS)
- एचएसएन कोड
- मुद्रास्फीति लक्ष्य
- कॉपीराइट (संशोधन) नियम, 2021
- सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को ड्रोन का उपयोग करने के लिए अनुमति मिली
- डीजीएफटी का व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप
- क्रिटिकल केएसएमएस/ड्रग इंटरमीडिएट और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना
- राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC) की पहली बैठक
- डॉगकोइन क्रिप्टोक्यूरेंसी में मूल्य वृद्धि
- ई-सांता का शुभारंभ

- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS)
- ई-कॉमर्स
- अंडमान और निकोबार को मिला बड़ा जैविक प्रमाणन भूभाग
- आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंक में शीर्ष अधिकारियों का कार्यकाल तय किया
- वेज एंड मीन्स एडवांस
- सोयाबीन की एक अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित

कृषि

- चावल गहनता प्रणाली (SRI)
- स्पाइसेस बोर्ड इंडिया और यूएनडीपी इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन
- भारत में खाद्य अपव्यय समस्या
- पहली बार इलेक्ट्रिक से चलने वाले ट्रैक्टर

पर्यावरण/ प्रदूषण

- कोयला संचालित बिजली संयंत्रों हेतु नए उत्सर्जन मानदंड
- अरस्तू और पर्यावरण नैतिकता
- वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक: 1.5 डिग्री सेल्सियस पाथवे
- एक त्रि-ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में, आर्कटिक में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका
- NGT ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए आठ सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया
- भारत और जर्मनी ने 'समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या का सामना कर रहे शहरों एक समझौते पर हस्ताक्षर किए
- एकीकृत सोलर ड्रायर और पायरोलिसिस पायलट संयंत्र की आधारशिला रखी गई

समाचारों में जंतु / राष्ट्रीय उद्यान

- ओडिशा की चिल्का झील में डॉल्फिन संख्या में वृद्धि
- मेघालय में खोजा गया भारत का पहला डिस्क फुट वाला चमगादड़
- समाचारों में 'रेवाकोनोडोन इंडिकस' प्रजातियां

इन्फ्रास्ट्रक्चर / ऊर्जा

- कारगिल जांस्कर सड़क का उन्नयन
- भारत ऊर्जा डैशबोर्ड (आईईडी) के 2.0 संस्करण
- प्रेशर स्विंग एब्साप्शन (PSA) ऑक्सीजन संयंत्र
- निम्न-कार्बन भविष्य के माध्यम से नेतृत्व क्षेत्र में परिवर्तन
- सड़क-ट्रेनें के लिए मानक मसौदा

विज्ञान और तकनीक

- बैकाल-GVD (गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर): अंडरवाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप
- राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन (NSM)
- मून जी-2: प्रकृति के नियमों को नियंत्रित करने वाली नई भौतिकी
- नैनोस्निफर का शुभारंभ
- लिथियम आयन बैटरी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिये एक तकनीक विकसित
- हाइड्रोजन सल्फाइड का पता लगाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक नाक विकसित
- भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज
- आदित्य-L1 सपोर्ट सेल (Aditya-L1 Support Cell)
- नैरो-लाइन सेफर्ट 1 (NLS1) आकाशगंगा
- इन्जेन्यूटी (Ingenuity) हेलिकॉप्टर ने भरी पहली उड़ान
- बायोएथिक्स: बंदर के भ्रूण में मानव कोशिकाएँ
- रिस्पॉन्ड प्रोग्राम: इसरो
- ब्रेकथ्रू इन्फेक्शन
- मंगल ग्रह के वायुमंडल से बनाई सांस लेने योग्य ऑक्सीजन
- अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रूस की वापसी
- चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन का कोर कैप्सूल मॉड्यूल लॉन्च किया

आपदाप्रबंधन

- जंगल की आग
- ओडिशा रोपेक्स जेटी परियोजना

रक्षा / आंतरिक सुरक्षा / सुरक्षा

- DRDO द्वारा चैफ प्रौद्योगिकी
- टेरर फंडिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- पायथन-5 मिसाइल का सफल परीक्षण

विविध

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

अप्रैल 2021 महीने के करेंट अफेयर्स MCQs की उत्तरकुंजी

इतिहास / संस्कृति / भूगोल

अनंगपाल द्वितीय की विरासत को लोकप्रिय बनाने के लिए एक समिति का गठन हुआ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - I - इतिहास

सुर्खियों में-

- हाल ही में सरकार द्वारा 11वीं सदी के तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय की विरासत को लोकप्रिय बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया।
- **मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- **उद्देश्य:** अनंगपाल द्वितीय को दिल्ली के संस्थापक के रूप में स्थापित करना।
- **अध्यक्षता:** बृज भूषण सिंह (यूपी के गोंडा से भाजपा सांसद)
- इस प्रस्ताव में दिल्ली हवाई अड्डे पर अनंगपाल द्वितीय की एक प्रतिमा का निर्माण और उनकी विरासत को समर्पित एक संग्रहालय का निर्माण शामिल है।
- लाल कोट को एएसआई संरक्षित स्मारक बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- अनंगपाल द्वितीय को अनंगपाल तोमर के नाम से भी जाना जाता था।
- विभिन्न शिलालेखों और सिक्कों से यह पता चलता है कि अनंगपाल तोमर 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के शासक थे।
- इस वंश का उल्लेख अनंगपाल (जिसने 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना की) के शासन और 1164 में चौहान (चाहमान) साम्राज्य में दिल्ली के विलय तक की अवधि के बीच मिलता है।
- उन्होंने ही लाल कोट किला और अनंगताल बावली का निर्माण कराया था।
- अनंगपाल तोमर द्वितीय के उत्तराधिकारी उनके पोते पृथ्वीराज चौहान थे, जिनकी तराइन (वर्तमान हरियाणा) के युद्ध में गौरी की सेना द्वारा पराजय के बाद वर्ष 1192 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी।

विश्व शहर सांस्कृतिक मंच

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतरराष्ट्रीय

सुर्खियों में-

- वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम 40 विश्व शहरों के स्थानीय सरकारों और सांस्कृतिक क्षेत्र के नेताओं का एक नेटवर्क है।
- वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की स्थापना 2012 में लंदन में आठ शहरों (लंदन, न्यूयॉर्क शहर, टोक्यो, शंघाई, पेरिस, इस्तांबुल, सिडनी और जोहान्सबर्ग) के साथ लंदन के मेयर द्वारा बुलाई गई थी।
- WCCF सदस्य शहरों के नीति निर्माताओं को समृद्धि में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका की खोज करते हुए अनुसंधान और खुफिया जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है। फोरम के सदस्य थीम पर आधारित संगोष्ठियों, क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनों और कार्यशालाओं सहित कार्यक्रमों के एक कार्यक्रम के माध्यम से सहयोग करते हैं।

- विश्व शहरों की संस्कृति रिपोर्ट हर तीन साल में फोरम द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें दुनिया भर के शहरों से नवीन परियोजनाओं पर डेटा और विवरण होता है।

उन्नत पुरावशेष प्रबंधन प्रणाली (AAMS)

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - I – संस्कृति

सुर्खियों में-

- गोवा सरकार के अभिलेखागार और पुरातत्व निदेशालय (DAA) ने उन्नत पुरातन प्रबंधन प्रणाली (AAMS) का उद्घाटन किया।
- जहां यह दावा किया है कि पुरावशेषों के भंडारण के लिए यह भारत में पहली ऐसी प्रणाली है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्तमान में, इस सुविधा का डेटाबेस 83 पुरावशेषों की जानकारी प्रदान करता है।
- उद्देश्य: सॉफ्टवेयर से जुड़ी प्राचीन वस्तुओं के बारे में त्वरित जानकारी प्रदान करना, भंडार स्थान की बचत करना और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करना है।
- AAMS एक सॉफ्टवेयर-संचालित स्वचालित भंडारण है जिसका उपयोग विभिन्न वस्तुओं के भंडारण के लिए किया जाता है।
- अब तक इसका उपयोग औद्योगिक उपकरणों के भंडारण के लिए किया जाता रहा है।
- AAMS पुरावशेषों की सुरक्षा, स्वच्छ भंडारण स्थान, अभिगम नियंत्रण और डेटा प्रबंधन सुनिश्चित करेगा और अंतरिक्ष के उपयोग को भी बढ़ाएगा।
- इसे गोवा के अभिलेखागार और पुरातत्व निदेशालय (DAA) पणजी में रखा गया है।

Baba's Foundation course (Baba's FC)

FACULTY PROFILE



| | |
|--|--|
|  <p>Strategy Classes & Answer writing sessions by MOHAN KUMAR B.E (Telecommunications) Involved with Teaching and Mentoring students since 9 years</p> |  <p>Ethics, Society, Internal Security by SUNIL OBEROI Retd.IAS Has worked on Civil Services Reforms in India with UNDP and DoPT and involved in teaching and mentoring students since 8 years</p> |
|  <p>Geography by ATYAB ALI ZAIDI B. Tech, NIT, Allahabad. Involved with teaching and mentoring students since 6 Years</p> |  <p>Polity & Governance by SUDEEP T B. Tech Involved with teaching and mentoring students since 6 Years</p> |
|  <p>Economics by SUMANTH MAKAM MA Involved with teaching and mentoring students since 6 Years</p> |  <p>Economics & International Relations by SPHURAN B B.Tech, MS (US) Involved with teaching and mentoring students since 5 Years</p> |
|  <p>History by ABHISHEK CHAHAR BA (Hons), LLB Involved with teaching and mentoring students since 6 Years</p> |  <p>Environment & Science & Technology by VIPIN MISHRA B.Tech, M.Tech Involved with teaching and mentoring students since 5 years</p> |
|  <p>Ethics by SANDEEP MA in International Relations Published Paper's in International Journals and mentoring students since 7 years</p> |  <p>CSAT by MANJUNATH BADAGI MBA Renowned Mental Ability Expert Known for his book - Mental Ability</p> |

चुनावी बांड योजना

संदर्भ:

आगामी राज्य चुनावों के मद्देनजर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स (एडीआर) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनावी बांड पर रोक लगाने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपनी चिंता व्यक्त की थी कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त धन के अतिवादी या हिंसक विरोध प्रदर्शन संबंधी फंडिंग में दुरुपयोग की संभावना व्यक्त की है।

चुनावी बांड योजना के बारे में

- चुनावी बांड राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन है।
- चुनावी बांड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किये जाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक इन बांडों को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत है, ये बांड जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों तक वैध रहते हैं।
- यह बांड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है।
- बांड किसी भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है) द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में प्रत्येक दस दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिये उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
- एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बांड खरीद सकता है। बांड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं है।

एससी मामले के दौरान बताए गए चुनावी बांडों का दुरुपयोग:

- **अनामिकता:** इस व्यवस्था के तहत न तो फंड देने वाले के नाम की घोषणा की जाती है और न ही फंड लेने वाले के नाम की।
- **असममित रूप से अपारदर्शी:** चूंकि चुनावी बांड केवल SBI के माध्यम से ही खरीदे जाते हैं, इसलिये सरकार इनके संबंध में जानकारी रखती है।
- जानकारी की यह विषमता सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी के पक्ष में होती है।
- **उपयोग पर नियंत्रण:** अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या राजनीतिक दलों द्वारा इन चंदे का उपयोग कैसे किया जाता है, इस पर कोई "नियंत्रण" है।
- **योजना कमबैक की सुविधा:** हालांकि बांड की मूल खरीद सफेद धन का उपयोग करके की जा सकती है, कोई व्यक्ति गुनामिकत रूप से मूल खरीदार से बांड को फिर से खरीद सकता है और इसे राजनीतिक दल के कार्यालय में छोड़ सकता है। किसी को पता नहीं चलेगा कि मूल खरीदार से बांड किसने खरीदा। यह योजना रिश्वत की सुविधा प्रदान करती है।
- **मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना:** राजनीतिक दलों (कंपनी अधिनियम के माध्यम से) को कॉर्पोरेट चंदे में मौजूद सभी सुरक्षा उपायों को खत्म करने के साथ, भारतीय, विदेशी और यहां तक कि मुखौटा कंपनियां अब किसी को भी योगदान के बारे में सूचित किए बिना राजनीतिक दलों को दान कर सकती हैं।
- **अपनाई गई प्रक्रिया पर प्रश्न:** इस योजना को वित्त विधेयक में संशोधन के माध्यम से लाया गया था क्योंकि उस समय की सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था (जिसके पास वित्त विधेयक के संबंध में कम शक्तियां हैं)।

सरकार की रक्षा:

- **चुनावी बांड के लिए शर्तें:** केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत पार्टियां चुनावी बांड के माध्यम से चंदा प्राप्त कर सकती हैं, और उन्हें पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का 1% से कम प्राप्त नहीं करना चाहिए था।
- **काले धन को राजनीति से दूर रखना:** पारंपरिक व्यवस्था के तहत जो भी चुनावी चंदा मिलता था वह मुख्यतः नकद दिया जाता था, जिसे काले धन की संभावना काफी बढ़ जाती थी। परंतु चूंकि वर्तमान प्रणाली के तहत चुनावी बाँड केवल चेक या ई-भुगतान के जरिये ही खरीदा जा सकता है, इसलिये काले धन संबंधी चिंता खत्म हो जाती है।
- **भारत के चुनाव आयोग का समर्थन:** चुनाव आयोग बांड का विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन केवल नाम न छापने के पहलू के बारे में चिंतित था। इसने अदालत से बांड पर रोक नहीं लगाने का भी आग्रह किया और कहा कि यह योजना नकद वित्त पोषण की पुरानी प्रणाली की तुलना में एक कदम आगे है, जो कि बेहिसाब थी।

आगे की राह

- मतदाता, जागरूकता अभियानों की मांग करके पर्याप्त बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। यदि मतदाता उन उम्मीदवारों और पार्टियों को अस्वीकार करते हैं जो उन्हें रिश्तत देते हैं, तो लोकतंत्र एक कदम और आगे बढ़ेगा।
- चुनावी बांड ने सरकार की चुनावी वैधता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इस तरह पूरी चुनावी प्रक्रिया संदेहयुक्त हो गई है। इस संदर्भ में, अदालतों को एक अंपायर के रूप में कार्य करना चाहिए और लोकतंत्र के आधारभूत नियमों को लागू करना चाहिए।
- यह आवश्यक है कि यदि लोकतंत्र को फलना-फूलना है तो राजनीति को प्रभावित करने में धन की भूमिका सीमित होनी चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि चुनावी बांड की योजना को संशोधित किया जाए।

उच्च न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियां

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - संविधान; न्यायतंत्र

सुर्खियों में-

- सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम द्वारा की गई 55 सिफारिशों की स्थिति पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

न्यायाधीशों की नियुक्ति

- **अनुच्छेद 124(2):** भारत के राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति SC/HC के न्यायाधीशों की उतनी संख्या से परामर्श करने के बाद करेंगे जितने वह आवश्यक समझेंगे। SC के किसी भी जज (CJI के अलावा) की नियुक्ति के लिए CJI से सलाह लेनी चाहिए।
- 1981, 1993 और 1998 के तीन न्यायाधीशों के मामले ने परामर्श के उद्देश्य से कॉलेजियम प्रणाली को औपचारिक रूप दिया है।
- SC जज की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में CJI और SC के 4 वरिष्ठतम जज होते हैं।
- प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) 1998 के तीसरे न्यायाधीश के मामले के बाद स्थापित किया गया था ताकि यह प्रक्रिया प्रदान की जा सके कि कॉलेजियम कार्यपालिका को नामों की सिफारिश कैसे करेगा।
- भारत के राष्ट्रपति या तो सिफारिश को स्वीकार करें या इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजें। राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार की गई सलाह को स्वीकार किया जाना चाहिए।

ई-न्यायालय परियोजना का चरण III

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - न्यायपालिका

सुर्खियों में-

- सुप्रीम कोर्ट (एससी) की ई-समिति ने एससी के तहत ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के लिए दृष्टिकोण – पत्र का मसौदा तैयार किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ई-कोर्ट परियोजना भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई एक मिशन मोड परियोजना है।
- ई-समिति के अध्यक्ष: डॉ न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़
- सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी“भारतीय न्यायपालिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना-2005" की अवधारणा के तहत, ई -कोर्ट्स परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख कर रही है।
- भारत में ई - कोर्ट्स परियोजना का चरण-III दो केंद्रीय पहलुओं पर आधारित है- पहुंच और समावेशन।
- ई - कोर्ट्स परियोजना का चरण - III एक ऐसी न्यायिक प्रणाली को लागू करने का इच्छुक है, जो भौगोलिक दूरियों के बावजूद अधिक आसानी से सुलभ हो, न्याय चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कारगर एवं न्यायसंगत हो, मानव एवं अन्य संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करता हो और एक सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाता हो।

सतर्कता अधिकारियों का होगा सीमित कार्यकाल

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - वैधानिक निकाय

सुर्खियों में-

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के अधिकारियों को अब से प्रत्येक 3 साल में स्थानांतरित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- CVC ने सरकारी संगठनों की सतर्कता इकाइयों में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।
- कार्यकाल तीन वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है, हालांकि जहाँ तैनाती है वहाँ से एक अलग स्थान पर।
- CVC के अनुसार, एक सतर्कता विभाग में एक अधिकारी के अनुचित अधिक समय तक रहने से अनावश्यक शिकायतों या आरोपों को जन्म देने के अलावा निहित स्वार्थों को विकसित करने की क्षमता थी।
- सीवीसी के अनुसार, एक सतर्कता विभाग में एक अधिकारी के अधिक समय तक रहने से निहित स्वार्थों के विकास के अलावा अनावश्यक शिकायत या आरोप उजागर होंगे।
- नए दिशानिर्देश दृष्टिकोण में पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और एकरूपता सुनिश्चित करते हैं।
- आदेश में कहा गया है कि सतर्कता इकाई से स्थानांतरण के बाद, किसी को भी यूनिट में फिर से पोस्टिंग के लिए विचार करने से पहले तीन साल की अनिवार्य कूलिंग ऑफ अवधि होगी।

न्यायाधिकरण सुधार (युक्तिकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खियों में-

- भारत के राष्ट्रपति ने न्यायाधिकरण सुधार (युक्तिकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 जारी किया।

- इस अध्यादेश के अनुसार, नौ अधिनियमों के तहत अपीलीय प्राधिकारियों को समाप्त कर दिया गया है और कानून के तहत अपीलों को सुनने का अधिकार उच्च न्यायालयों को प्रदान किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ट्रिब्यूनल के सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, पद की अवधि, वेतन और भत्ते, इस्तीफे, हटाने और सेवा के अन्य नियमों और शर्तों के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने के लिए वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 में संशोधन किया गया है।
- इस अध्यादेश में निम्नलिखित कानून के अंतर्गत स्थापित अधिकरणों को वित्त अधिनियम के दायरे से बाहर किया गया है:
 1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत स्थापित हवाईअड्डा अपीलीय न्यायाधिकरण
 2. माल के भौगोलिक संकेत (रजिस्ट्रेशन और संरक्षण) अधिनियम, 1999
 3. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण
 4. चलचित्र अधिनियम, 1952 के तहत स्थापित फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण
- यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से प्रतिस्थापित करता है।

व्यवसाय और मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपी)

संदर्भ: COVID-19 के मद्देनजर एक NAP अधिक प्रासंगिक हो जाता है, जिसमें महामारी ने व्यवसायों के संचालन में कई प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर किया है। भारत में अनौपचारिक प्रवासी कामगार सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं, जिन्हें बिना भोजन, आश्रय और सामाजिक सुरक्षा के अचानक रातों-रात काम से निकाल दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- जून 2011 में, यूएनएचआरसी ने व्यापार और मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों (यूएनजीपी) का समर्थन किया।
- UNGPs प्रतिकूल व्यापार से संबंधित मानवाधिकार प्रभावों को संबोधित करने में राज्य और व्यवसायों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हैं।
- UNGPs का उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिए वास्तविक परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यापार और मानवाधिकारों के संबंध में मानकों और प्रथाओं को बढ़ाना है, और इस तरह सामाजिक रूप से स्थायी वैश्वीकरण में योगदान करना है।

UNGP आम तौर पर तीन स्तंभों पर आधारित हैं:

- स्तंभ-I मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का कर्तव्य।
- स्तंभ II मानव अधिकारों का सम्मान करने के लिए कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व।
- स्तंभ III उपाय तक पहुंच।

व्यापार और मानव संसाधन पर NAP क्या है?

- जून 2014 में, UNHRC ने अपने सदस्य राज्यों से UNGP के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP) विकसित करने का आह्वान किया।
- NAP एक नीति दस्तावेज है जिसके द्वारा सरकार यूएनजीपी को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अपनी कार्यवाही को स्पष्ट करती है।
- भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना गांधीवादी सिद्धांत के 'ट्रस्टीशिप' से प्रेरित है, जो परिभाषित करती है कि व्यापार का उद्देश्य सभी हितधारकों की सेवा करना है।

- भारत सरकार ने व्यापार के सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक उत्तरदायित्वों (एनवीजी) पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश पेश करके 2011 से जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के महत्व को स्वीकार किया है।
- NVGs को हाल ही में जिम्मेदार व्यापार आचरण (एनजीआरबीसी) पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों में अद्यतन किया गया था।
- इन स्वैच्छिक उपायों के अलावा, सेबी ने 2012 से भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शीर्ष 100 कंपनियों (क्रमिक रूप से 1000 कंपनियों तक विस्तारित) के लिए अनिवार्य पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) प्रकटीकरण किया है।

व्यवसाय द्वारा मानव संसाधन और पर्यावरण उल्लंघन के उदाहरण

1. मानवाधिकारों और पर्यावरण अधिकारों के उल्लंघन के आरोप में पिछले दो दशकों में कई संयंत्र बंद कर दिए गए:

- **कोका कोला कंपनी के संयंत्र :** प्लाचीमाडा (2004), मेहदीगंज (2013) और हापुड़ (2016)।
- कोडाइकनाल में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (पारा) का कारखाना (2001)।
- तूतुकुडी में स्टरलाइट कॉपर प्लांट (2018)।

2. मैगी मामले में, नेस्ले एसए ने भ्रामक 'नो एडेड एमएसजी' लेबल को सही ठहराते हुए कहा: "उद्योग में हर कोई इसे कर रहा था"।

3. इसके लिये एक कानून बनाया गया है, जो कंपनियों को स्कूल परिसर के आस-पास तंबाकू का विज्ञापन करने से रोकता है जबकि इसके विपरीत कक्षाओं के अंदर तंबाकू से संबंधित आईटीसी लिमिटेड के नोटबुक और उन पर प्रिंटेड लोगो (logo) विज्ञापन के रूप में मौजूद हैं।

4. भारत में प्रतिवर्ष एक मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन के कारण होती है। हालाँकि लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन (LIC) तंबाकू कंपनी के निवेशकों में से एक है, जिसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है।

5. PUBG जैसे खेलों में बच्चों के शामिल होने के कारण उनके माता-पिता को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन कनाडा के एक स्कूल में बच्चों के माता-पिता ने यह आरोप लगाया कि "कंपनियाँ मनोवैज्ञानिकों को नियुक्त करती हैं, जो मानव मस्तिष्क को पढ़ने कार्य करते हैं और खेल को यथासंभव नशे की लत बनाने के लिये प्रयास करते हैं"।

आगे की राह

1. एक एनएपी को निम्नलिखित पांच उद्देश्यों को सटीक रूप से लक्षित करना चाहिए:

- CAG को उन लेखा परीक्षक मानकों, जो मानव-अधिकारों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और सभी सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिये समानता की मांग करते हैं, को विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसमें सार्वजनिक खरीद और सार्वजनिक निवेश के सभी मामलों में मानव अधिकारों के लिये सम्मान सुनिश्चित करना चाहिये।
- राजनीतिक दलों के कॉरपोरेट फंडिंग को विनियमित करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोगों को अधिदेशित करें, जिसमें दान के अनिवार्य प्रकटीकरण के साथ-साथ व्यवसायों और राजनीतिक दलों दोनों द्वारा हितों के किसी भी टकराव का निर्देश देना शामिल है।
- विविधता ऑडिट आयोजित करने के लिए यूपीएससी को सभी सार्वजनिक उद्यमों और सार्वजनिक धन या ऋण के साथ निवेश करने वाली कंपनियों को निर्देशित करने के लिए बाध्य करें। उन्हें निष्कर्षों और उपयुक्त कार्य योजनाओं को सार्वजनिक करना चाहिए।
- व्यवसायों को नोटिस जारी करने और व्यवसायों में मानवाधिकार की स्थिति की निगरानी के लिए व्यवसाय और मानवाधिकार लोकपाल बनाने के लिए मानवाधिकार आयोगों की शक्तियों का विस्तार करें।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/ओबीसी के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोगों को उनके कार्यक्षेत्र और मूल्य श्रृंखला में उल्लंघन पर व्यवसायों को नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत करें। ये प्राधिकरण, हालाँकि सीमित शक्तियों के

साथ काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से, व्यापार और मानवाधिकारों के बारे में आख्यानों को और सुविधाजनक बनाने की क्षमता रखते हैं।

2. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के भीतर मानवाधिकारों पर एक संकेतक विभिन्न सरकारों के व्यवसाय को देखने के तरीके को बदल देगा।

3. शैक्षिक पाठ्यचर्या में परिवर्तन: व्यवसाय और मानवाधिकारों को प्रबंधन पाठ्यक्रम का मुख्य भाग बनाने के लिए सक्रिय प्रयास करने होंगे। तैयार किए गए प्रत्येक व्यवसाय प्रबंधक को मानवाधिकार रक्षक होना चाहिए: यह सभी शैक्षणिक संस्थानों का आदर्श वाक्य होना चाहिए।

4. एमएसएमई द्वारा अपनाना: भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) उद्यमों की बड़ी संख्या है। भारत के एनएपी की सफलता एमएसएमई क्षेत्र की इसे अपनाने की क्षमता पर टिकी हुई है। प्रशिक्षण, जागरूकता और प्रोत्साहन प्रदान करने के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की क्षमता निर्माण में सरकार के साथ-साथ बड़ी कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

5. प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा अपनाना: काम के भविष्य, गोपनीयता और असमानता पर प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रभाव और प्रभुत्व भारत में चिंता का एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। NAP को गिग-इकोनॉमी में श्रमिकों के अधिकारों से शुरू होने वाले मानवाधिकारों के मुद्दों पर प्रौद्योगिकी कंपनियों की जवाबदेही को लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

6. स्वैच्छिक और अनिवार्य प्रावधानों का एक स्मार्ट मिश्रण NAP के लिए महत्वपूर्ण है ताकि एक अनिवार्य मानवाधिकार ड्यू डिलिजेंस तंत्र जैसे आवश्यक न्यूनतम अनिवार्य करके कंपनियों के लिए एक समान अवसर तैयार किया जा सके।

7. शिकायत निवारण तंत्र: संचालन-स्तर की शिकायत तंत्र की कमी अधिकार धारकों के लिए उपचार तंत्र तक पहुंचने के लिए एक और बाधा हो सकती है। इसलिए, एनएपी को सफल बनाने के लिए, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक उचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- एनएपी प्रक्रिया भारत के लिए सतत और समावेशी विकास हासिल करने में नेतृत्व प्रदर्शित करने और खुद को विश्व की सबसे बड़ी टिकाऊ और जिम्मेदार अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का एक अवसर है। एनएपी भारतीय व्यवसायों को उनके उद्देश्य को फिर से परिभाषित करने और इस महामारी से अधिक मानवीय रूप से उभरने तथा मार्गदर्शन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम कर सकता है।

फिल्म प्रमाणन न्यायाधिकरण का उन्मूलन

संदर्भ: ट्रिब्यूनल रिफॉर्म (रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) ऑर्डिनेंस, 2021, जो 4 अप्रैल को लागू हुआ, ने सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 में संशोधन करके फिल्म सर्टिफिकेट अपीलिय ट्रिब्यूनल (FCAT) को समाप्त कर दिया है।

FCAT के बारे में

- FCAT एक सांविधिक निकाय था जिसका गठन 1983 में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5D के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया था।
- इसका मुख्य काम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के निर्णय से असंतुष्ट आवेदकों द्वारा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 5C के तहत दायर अपीलों की सुनवाई करना था।
- ट्रिब्यूनल का नेतृत्व एक अध्यक्ष और इसमें चार अन्य सदस्य होते थे, जिसमें भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक सचिव भी शामिल होता था।
- ट्रिब्यूनल का मुख्यालय नई दिल्ली में था।

इसने क्या किया?

- भारत में, सभी फिल्मों के पास सीबीएफसी प्रमाणपत्र होना चाहिए, यदि उन्हें थियेटर में रिलीज किया जाना है, टेलीविजन पर प्रसारित किया जाना है, या किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाना है।

- CBFC में एक अध्यक्ष और 23 सदस्य होते हैं, जो सभी भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
- CBFC चार श्रेणियों के तहत फिल्मों को प्रमाणित करता है:
- U: अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी (सभी आयु समूहों के लिए उपयुक्त)
- U/A: 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता का मार्गदर्शन
- A: वयस्कों के लिए प्रतिबंधित (18 वर्ष और उससे अधिक के लिए उपयुक्त)
- S: इंजीनियरों, डॉक्टरों या वैज्ञानिकों जैसे लोगों के एक विशेष समूह के लिए प्रतिबंधित।
- CBFC किसी फिल्म को सर्टिफिकेशन देने से भी इनकार कर सकती है।
- कई मौकों पर जब कोई फिल्म निर्माता CBFC के प्रमाणन से संतुष्ट नहीं होता है, या इनकार कर देता है, तो उन्होंने एफसीएटी से अपील की है। और कई मामलों में FCAT ने CBFC के फैसले को पलट दिया है।

FCAT के कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

- **लिपस्टिक अंडर माई बुर्का (2016):** 2017 में इसे इस आधार पर प्रमाणन से वंचित कर दिया गया था कि यह "महिला-उन्मुख" थी। निर्देशक अलंकृता श्रीवास्तव ने एफसीएटी से अपील की, जिसके फैसले के बाद कुछ दृश्यों को काट दिया गया और फिल्म को 'A' सर्टिफिकेट के साथ रिलीज कर दिया गया।
- **हरामखोर (2015):** यह फिल्म एक स्कूली शिक्षिका और एक युवा छात्रा के बीच के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है। इसे सीबीएफसी द्वारा "बहुत उत्तेजक" होने के लिए प्रमाणन से वंचित कर दिया गया था। FCAT ने फिल्म को मंजूरी दे दी और कहा कि यह "एक सामाजिक संदेश को आगे बढ़ा रही है और लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए चेतावनी दे रही है"।
- अन्य उदाहरण थे - जैसे द मैसेंजर ऑफ गॉड (2015), कालाकांडी (2018) - जहां FCAT ने CBFC के फैसलों को खारिज कर दिया और फिल्म निर्माताओं की रचनात्मक स्वतंत्रता को बरकरार रखा।

FCAT के उन्मूलन का प्रभाव :

- **उच्च न्यायालय का रुख करें:** उन्मूलन का मतलब है कि फिल्म निर्माताओं को अब जब भी वे सीबीएफसी प्रमाणन को चुनौती देना चाहते हैं, या इसके अभाव में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा।
- विदित हो कि न्यायालयों का बोझ बढ़ाता है क्योंकि अब सीबीएफसी के फैसलों के खिलाफ अपील उच्च न्यायालयों के दरवाजे तक पहुंचती है
- फिल्म निर्माताओं की शिकायत निवारण में देरी क्योंकि अपीलों के समाधान के लिए अदालती प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक समय लेती है (एफसीएटी के मामले में)
- छोटे फिल्म निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है: छोटे बजट की फिल्मों के फिल्म निर्माताओं के पास अदालतों का दरवाजा खटखटाने के साधन नहीं हो सकते हैं
- **एकपक्षीय निर्णय:** FCAT को बंद करना एकपक्षीय लगता है क्योंकि निर्णय शामिल हितधारकों के साथ किसी भी परामर्श के बिना लिया गया था।
- **प्रतिबंधात्मक:** इस कदम को सरकार द्वारा नियुक्त निकाय सीबीएफसी के हाथों को सशक्त बनाने के रूप में देखा जाता है, जो बदले में फिल्मों को प्रमाणित करने में राज्य की भूमिका को बढ़ाता है। इसे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत फिल्म निर्माताओं की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली रचनात्मक स्वतंत्रता को सीमित करने के रूप में देखा जा सकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- समाजों में सिनेमा की भूमिका का विश्लेषण करें
 - नया सोशल मीडिया कोड
-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021

भाग-जीएस प्रीलिट्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खियों में-

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जा चुका है। इस विधेयक में तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों की सूची संशोधित करने का प्रावधान किया गया है।
- इसमें तमिलनाडु की सात जातियों को एक जाति देवेन्द्रकुला वेलालर में समाहित करने का प्रस्ताव किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इन जातियों में देवेन्द्रकुलथन, कदैयान, कल्लाडी, कुडुम्बन, पल्लन, पन्नाडी और वथिरियान शामिल हैं।
 - विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलौत ने कहा कि इस विधेयक में न तो किसी जाति को घटाने और न ही शामिल करने का प्रावधान किया गया है।
-

लोक अदालत

इसके बारे में:

- हमारी कानूनी प्रणाली के अधीन उचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए गरीबों के लिए न्याय तक पहुंच एक संवैधानिक जनादेश है।
- इसलिए, न्याय को सभी के लिए सुलभ और वहनीय बनाने के लिए लोक अदालतों (शाब्दिक रूप से, 'पीपुल्स कोर्ट') की स्थापना की गई।
- यह औपचारिक न्यायिक प्रणाली के बाहर भीड़-भाड़ वाले मामलों की समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच या फोरम हैं।
- संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 में "समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता" सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 39A को शामिल किया गया।
- इसके लिए, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और यह 1995 में "समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए" और "लोक अदालतों के संचालन को सुरक्षित करने के लिए" लागू हुआ था। कानूनी प्रणाली समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देती है।
- वैकल्पिक विवाद समाधान उपकरण के रूप में, पार्टियों को समझौता करने में मदद करने के लिए नियमित रूप से लोक अदालतों का संगठित किया जाता है।
- मोटर दुर्घटना के दावे, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवाद, चेक के अस्वीकृत से संबंधित मामले, और भूमि, श्रम और वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) आमतौर पर लोक अदालतों द्वारा उठाए जाते हैं।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSAs) दैनिक, पाक्षिक और मासिक आधार पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता रहा है।
- वादियों को मुख्य रूप से लोक अदालतों से संपर्क करने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि यह एक पार्टी संचालित प्रक्रिया है, जिससे उन्हें एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने की अनुमति मिलती है।

- लोक अदालतों में दोनों पार्टियों को त्वरित न्याय की सुविधा दी जाती है। इसकी प्रक्रिया में लचीलापन है। इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जैसी न्यायिक कानूनों की कोई कड़ाई नहीं की जाती है। यह आर्थिक रूप से सरल है, क्योंकि कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अंतिम न्याय प्राप्त होता है, क्योंकि इसके बाद अपील की सुविधा नहीं है। इसके द्वारा दिए गए निर्णयों को सिविल कोर्ट की डिक्री के समकक्ष माना जाता है।
- पंजाब राज्य बनाम जालौर सिंह (2008) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक अदालत पूरी तरह से सुलहकारी है और इसका कोई न्यायिक या न्यायिक कार्य नहीं है।

डेटा :

- 2016 से 2020 तक देश भर में आयोजित लोक अदालतों में 52,46,415 मामलों का निपटारा किया गया।
- नालसा के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों (NLAs) ने एक ही दिन में देश भर की बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया।
- उदाहरण के लिए, 8 फरवरी, 2020 को आयोजित NLAs ने 11,99,575 मामलों का निपटारा किया। 2016 से 2020 तक, NLAs ने कुल 2,93,19,675 मामलों का निपटारा किया है।

मामलों :

- चूंकि समझौता इसका केंद्रीय विचार, एक मामला और शायद एक वैध भी है, यह मामलों के त्वरित निपटान में न्याय के विचार को नजरअंदाज करता है।
- कई मामलों में, गरीबों पर समझौता किया जाता है, जिनके पास अक्सर उन्हें स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।
- अधिकतर मामलों में, ऐसे वादियों को लंबे समय से चली आ रही कानूनी प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए अपने न्यायसंगत अधिकारों, या छोटे मुआवजे के बजाय अपने दावों के भविष्य के रियायती मूल्यों को स्वीकार करना पड़ता है।
- इसी तरह, राज्य की तथाकथित 'सद्भाव विचारधारा' के तहत गरीब महिलाओं को विवाह के रोमांटिक दृष्टिकोण के तहत वैवाहिक विवादों से समझौता करने के लिए पारिवारिक अदालतों द्वारा वस्तुतः निर्देशित किया जाता है।

आगे की राह

- दक्षता और गति के अलावा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की लोक अदालतों को दिए गए न्याय की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए।
- कानूनी प्रक्रिया का न्यायोचित परिणाम शीघ्र निपटान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट के विचार

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - मौलिक अधिकार

सुर्खियों में-

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग अपना धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और यह दावा करने वाली एक याचिका पर फटकार लगाई कि देश भर में "किसी भी तरह से आवश्यक" बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसने कहा कि लोगों को संविधान के तहत धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार है।
- **अनुच्छेद 25:** यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
- प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद के धर्म का अंतिम तय करने वाला होता है कि उसका जीवन साथी कौन होना चाहिए।

- अदालतें किसी व्यक्ति के धर्म या जीवन साथी की पसंद के फैसले पर नहीं ठहर सकतीं।
- धार्मिक आस्था निजता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है।
- संविधान पीठ के फैसले ने पहले निजता के अधिकार की हिंसा को बरकरार रखा था, इसे जीवन के अधिकार, गरिमा और स्वतंत्रता के अधिकारों के साथ जोड़ा था।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक

संदर्भ: यह महामारी ने अधिक लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए बाध्य किया है जिसने केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर ध्यान केंद्रित किया है।

दुर्भाग्य से, भारत में मौजूदा डेटा सुरक्षा व्यवस्था इस मानक को पूरा नहीं करती है। वर्तमान डेटा सुरक्षा व्यवस्था उपयोगकर्ताओं और उनके व्यक्तिगत डेटा को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने से कम है।

डेटा सुरक्षा - मुद्दे

- **बढ़ते उल्लंघन:** प्रमुख डिजिटल सेवा प्रदाताओं से व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसी घटनाओं को रोकने और उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है।
- **नियमों और शर्तों का दुरुपयोग:** संस्थाएं व्यापक नियमों और शर्तों के तहत व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए उपयोगकर्ताओं की सहमति लेकर शासन में सुरक्षा को अवहेलना कर सकती हैं। यह संदेहास्पद है क्योंकि उपयोगकर्ता नियम और शर्तों या सहमति देने के निहितार्थ को नहीं समझ सकते हैं।
- **आँकड़े की गोपनीयता:** फ्रेमवर्क डेटा सुरक्षा पर बल देते हैं लेकिन डेटा गोपनीयता पर पर्याप्त जोर नहीं देते हैं।
- **डेटा प्रोसेसिंग:** जबकि संस्थाओं को व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए तकनीकी उपायों को नियोजित करना चाहिए, व्यक्तिगत डेटा को कैसे संसाधित किया जा सकता है, इसमें उपयोगकर्ताओं की प्राथमिकताओं का सम्मान करने के लिए उनके पास कमजोर दायित्व हैं। निकाय डेटा का उपयोग उन उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं जिनके लिए उपयोगकर्ता ने सहमति दी थी।
- **डेटा के सरकारी संग्रह पर जाँच:** मौजूदा आईटी अधिनियम के तहत डेटा सुरक्षा प्रावधान भी सरकारी एजेंसियों पर लागू नहीं होते हैं। यह डेटा सुरक्षा के लिए एक बड़ा वैक्यूम बनाता है जब सरकारें बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा एकत्र और संसाधित कर रही होती हैं।
- ऐसा प्रतीत होता है कि डेटा प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी में नए विकासों से उभरने वाले जोखिमों को दूर करने के लिए शासन पुरातन और अपर्याप्त हो गया है।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 उपरोक्त मुद्दों को कैसे संबोधित करता है?

यह उपयोगकर्ताओं और उनके व्यक्तिगत डेटा को मजबूत सुरक्षा प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है।

- **सभी पर लागू:** बिल सभी क्षेत्रों में सरकारी और निजी संस्थाओं दोनों के लिए डेटा सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का प्रयास करता है।
- **डेटा गोपनीयता को शामिल करता है:** विधेयक डेटा सुरक्षा और डेटा गोपनीयता पर जोर देने का प्रयास करता है। जबकि संस्थाओं को व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को बनाए रखना होगा, उन्हें डेटा सुरक्षा दायित्वों और पारदर्शिता और जवाबदेही उपायों के एक सेट को भी पूरा करना होगा जो यह नियंत्रित करते हैं कि संस्थाएं उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और हितों को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत डेटा को कैसे संसाधित कर सकती हैं।
- **उपयोगकर्ताओं को स्वायत्तता:** बिल उपयोगकर्ताओं को उनके व्यक्तिगत डेटा और उन अधिकारों का प्रयोग करने के साधनों पर अधिकारों का एक सेट देने का प्रयास करता है।

- **स्वतंत्र नियामक:** विधेयक एक स्वतंत्र और शक्तिशाली नियामक बनाने का प्रयास करता है जिसे डेटा संरक्षण प्राधिकरण (DPA) के रूप में जाना जाता है। डीपीए शासन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग गतिविधियों की निगरानी और विनियमन करेगा। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जब संस्थाएं व्यवस्था के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं करती हैं, तो DPA उपयोगकर्ताओं को निवारण के लिए एक चैनल देता है।

विधेयक के साथ मामलें

- विधेयक में कई प्रावधान शासन की प्रभावशीलता के बारे में मामलें का कारण होते हैं। ये प्रावधान सरकारी एजेंसियों को व्यापक छूट देकर और उपयोगकर्ता सुरक्षा, सुरक्षा उपायों को कमजोर करके विधेयक के उद्देश्यों का खंडन करते हैं।
- केंद्र सरकार किसी भी सरकारी एजेंसी को विधेयक के अनुपालन से छूट देती है। इसके बाद सरकारी एजेंसियां बिल के तहत किसी सुरक्षा उपाय का पालन किए बिना व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम होंगी। यह उपयोगकर्ताओं के लिए ज्यादा गोपनीयता जोखिम पैदा करती है।
- उपयोगकर्ताओं को बिल में विभिन्न उपयोगकर्ता सुरक्षा, सुरक्षा उपायों (जैसे अधिकार और उपचार) को लागू करने में कठिनाई हो सकती है। बिल उन उपयोगकर्ताओं के लिए कानूनी परिणामों की धमकी देता है जो डेटा प्रोसेसिंग गतिविधि के लिए अपनी सहमति वापस लेते हैं।
- यह उपयोगकर्ताओं को उन गतिविधियों को संसाधित करने के लिए सहमति वापस लेने से हतोत्साहित कर सकता है जिनसे वे बाहर निकलना चाहते हैं।
- एक स्वतंत्र प्रभावी नियामक के रूप में DPA के लिए अतिरिक्त मामलें भी सामने आते हैं जो उपयोगकर्ताओं के हितों को बनाए रखते हैं।

आधार से संबंधित समस्याएं

सन्दर्भ : सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र से झारखंड की एक दलित महिला द्वारा एक जनहित याचिका में लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए कहा कि आधार लिंकेज और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर जोर देने के कारण देश में 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं।

जब से आधार बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण को PDS में प्रस्तावित किया गया है, तब से इस बारे में कई रिपोर्टें आई हैं

- राशन की दुकान पर e-PoS डिवाइस से लोगों के उंगलियों के निशान की पुष्टि नहीं होना,
- आइरिस स्कैनर बैकअप के रूप में न होना
- खराब इंटरनेट कनेक्शन के कारण लोगों को दुकान की दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिससे एक दिन की कमाई का नुकसान होता है।

इस तरह के जातिवाद का क्या निहितार्थ रहा है?

- लाभार्थियों को आधार आईडी नहीं होने या उनके आधार बायोमेट्रिक विवरण मेल नहीं खाने या तकनीकी या सर्वर मुद्दों के कारण खाद्यान्न से वंचित कर दिया जाता है।
- इसके परिणामस्वरूप, भोजन की अनुपलब्धता के कारण भुखमरी से मौतें होती हैं।
- इन प्रशासनिक कमजोरियों ने हमारे देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा को प्रभावित किया है।

सर्वेक्षण निष्कर्ष

- राशन कार्ड रखने वाले परिवारों में से 28% या चार में से एक से अधिक परिवारों ने ऐसी स्थिति का अनुभव किया जहां उन्हें आधार न होने के कारण खाद्यान्न से वंचित कर दिया गया।

- जबकि प्रतिशत के मामलों में यह कुछ लोगों के लिए इतना अधिक नहीं लगता है, लेकिन निरपेक्ष रूप से (सामान्य घरेलू आबादी के लिए) यह बहुत ज्यादा है।
- **ग्रामीण और शहरी:** इस धारणा के विपरीत कि सीडिंग और प्रमाणीकरण की समस्याएं ज्यादातर दूरदराज के इलाकों में हो रही हैं, हमारे आंकड़े बताते हैं कि वे गांवों और कस्बों/शहरों में लगभग समान परिमाण के हैं।
- **गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव:** ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, सबसे गरीब ज्यादा प्रभावित हुए। 2,000 रुपये से कम मासिक आय वाले 39 फीसदी परिवारों ने कहा कि उन्हें आधार की समस्याओं के कारण PDS राशन से वंचित किया गया।
- **सबसे अधिक प्रभावित हिंदी भाषी राज्य:** बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में -40% RC-धारक परिवारों ने बाकी के 20% घरों की तुलना में आधार मुद्दों के कारण राशन से वंचित होने की सूचना दी।
- आंकड़े यह भी बताता है कि यह समस्या आधार के पास न होने के कारण कम और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और सर्वर मुद्दों के कारण अधिक हो सकती है, क्योंकि 'हिंदी' बेल्ट में RC-धारक परिवारों के 95% सहकारितायो ने आधार होने की रिपोर्ट दी थी।

पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए नए ओसीआई कार्ड पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है

भाग-जीएस प्रीलिट्स और जीएस - II - नागरिकता

सुर्खियों में-

- भारत के प्रवासी नागरिकों (OCI) को प्रत्येक बार उनके नाम पर एक नया पासपोर्ट जारी होने पर नए OCI कार्ड के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्तमान में, आवेदक के चेहरे में परिवर्तनों को देखते हुए प्रत्येक बार 20 वर्ष की आयु तक और एक बार 50 वर्ष पूरा करने के बाद नया पासपोर्ट जारी करने पर OCI कार्ड को फिर से जारी करना आवश्यक है।
- OCI कार्डधारकों की सुविधा के लिए अब इस आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
- एक व्यक्ति जिसने 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले OCI कार्डधारक के रूप में पंजीकरण करवाने वाले व्यक्ति को OCI कार्ड केवल एक बार फिर से जारी करना होगा, जब उसके 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद नया पासपोर्ट जारी किया जाएगा, ताकि उसे पकड़ने के लिए / वयस्कता प्राप्त करने पर उसके चेहरे की विशेषताएं।
- यदि किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण प्राप्त किया है, तो ओसीआई कार्ड को फिर से जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के विदेशियों और ओसीआई कार्डधारकों के जीवनसाथी के बीच बहुत लोकप्रिय साबित हुआ है, क्योंकि यह उन्हें भारत में बिना किसी परेशानी के प्रवेश और असीमित प्रवास में मदद करता है।
- भारत सरकार द्वारा अब तक लगभग 37.72 लाख ओसीआई कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
- मौजूदा कानून के अनुसार, भारतीय मूल के विदेशी या भारतीय नागरिक के विदेशी पति या ओसीआई कार्डधारक के विदेशी पति या पत्नी को ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
- ओसीआई कार्ड भारत में आने और रहने के लिए एक आजीवन वीजा है, इसके साथ कई अन्य प्रमुख लाभ जुड़े हुए हैं जो अन्य विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

चुनाव और एमसीसी(मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट)

अनुच्छेद 324 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण शक्तियाँ हैं और ये ECI में निहित हैं जो इस संवैधानिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

आदर्श आचार संहिता (एमसीसी)

- यह चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का एक समूह है जो राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकारों को चुनाव के दौरान पालन करने के लिए है।
- यह संहिता राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति पर आधारित है। यह 1960 में केरल सरकार द्वारा विधानसभा चुनावों के लिए तैयार की गई राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता से की जाती थी।
- बाद के वर्षों में ECI द्वारा इसे अपनाया, परिष्कृत और बढ़ाया गया था, और 1991 से सख्ती से लागू किया गया था।

चुनौतियाँ

- **शक्ति का विस्तार:** चुनाव के संबंध में संहिता के साथ-साथ इसके अन्य निर्णयों को लागू करने में ECI को उपलब्ध शक्तियों की सीमा और स्वभाव के बारे में काफी भ्रम मौजूद है।
- **वैधानिक समर्थन का अभाव :** यह राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के आधार पर बनाई गई आचार संहिता है, इसे कोई कानूनी समर्थन नहीं दिया गया है।
- **यथास्थिति के साथ-साथ कानूनी समर्थन की उपयोगिता:** यदि MCC कानून का भाग है, तो कोड के प्रवर्तन से जुड़े सभी मामलों को अदालत में ले जाते हैं, जिससे चुनाव में देरी होती है।
- **सिविल सेवकों का स्थानांतरण:** यह स्पष्ट नहीं है कि क्या चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 या आदर्श संहिता के अधीन सामान्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के किसी अधिकारी का स्थानांतरण कर सकता है।
- **केवल दिशानिर्देश:** कोड यह नहीं बताता कि चुनाव आयोग क्या कर सकता है; इसमें केवल उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और सरकारों के लिए दिशानिर्देश हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - राजनीति; केंद्र-राज्य संबंध

सुर्खियों में-

- गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रावधान 27 अप्रैल से प्रभावी माने जाएंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह अधिनियम वर्ष 1991 के अधिनियम की धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन करता है।
- यह विधान सभा (LA) और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- यह LA और उपराज्यपाल (LG) की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन करता है।
- यह प्रावधान है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 'सरकार' का आशय उप-राज्यपाल से होगा।
- यह विधान सभा को विधान सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है।
- यह प्रावधान है कि ऐसे नियम लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुरूप होने चाहिए।

क्या आप जानते हैं?

- यह LA को स्वयं या उसकी समितियों को सक्षम बनाने के लिए कोई नियम बनाने से रोकता है:

- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों पर विचार करना और
- प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में कोई जांच करना।
- **विधेयकों को स्वीकृति:**
 - अधिनियम में LG को राष्ट्रपति के विचार के लिए LA द्वारा पारित कुछ विधेयकों को आरक्षित करने की आवश्यकता होगी।
 - इसके लिए उपराज्यपाल को उन विधेयकों को भी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने की आवश्यकता है जो संयोगवश विधान सभा की शक्तियों के दायरे से बाहर के किसी भी मामले को कवर करते हैं।
- **कार्यकारी कार्रवाइयों के लिए उपराज्यपाल की राय:**
 - अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि सरकार द्वारा सभी कार्यकारी कार्रवाई, चाहे वह मंत्रियों की सलाह पर की गई हो या अन्य, उपराज्यपाल के नाम पर की जानी चाहिए।
 - बिल में कहा गया है कि कुछ मामलों पर, जैसा कि LG द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, मंत्री/मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले उनकी राय लेनी होगी।

पंचायती राज को मजबूत करना

स्थानीय निकाय - महत्व

- **ऐतिहासिक बुनियाद:** प्रगतिशील योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक सुव्यवस्थित पदानुक्रम के हिस्से के रूप में चोल स्थानीय निकायों के गठन में अग्रणी थे।
- **लोगों की आवाज सुनना :** पंचायती राज सुनिश्चित करता है कि लोगों की आवाज जल्दी और सही सुनी जाए। “लोगों की आवाज भगवान की आवाज है; पंचायत की आवाज लोगों की आवाज है, ”मोहनदास करमचंद गांधी इसके उद्धरण है।
- **सुशासन:** सत्ता के बंटवारे के बिना निर्बाध प्रशासन असंभव है।
- **समावेशी शासन:** यह सुनिश्चित करना कि अंतिम पंक्ति के दूर कोने में बैठे अंतिम व्यक्ति को भी लाभ प्राप्त हो।
- **सहभागी शासन:** प्रत्येक ग्राम सभा बैठक जीवन को बाधित करने वाले मुद्दों को उजागर करने का समान अधिकार सुनिश्चित करती है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** पंचायत के निर्वाचित सदस्य पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय विवरण और बैलेंस शीट को पढ़ने के लिए बाध्य रहें।

मुद्दे :

- **अपर्याप्त विचार-विमर्श:** ग्राम सभाएं नीलामी घरों की तरह काम कर रही हैं - उदाहरण के लिए नाडु सरकार ने आठ लेन की राजमार्ग परियोजना और हाइड्रोकार्बन परियोजना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों की राय और आम सहमति नहीं मांगी।
- **खराब भागीदारी:** कम उपस्थिति और लोगों के खराब प्रतिनिधित्व द्वारा चिह्नित बैठकें।
- **कॉर्पोरेट हितों का प्रभुत्व:** निजी और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लाभ के लिए कई परियोजनाएं लागू की जा रही हैं।
- **महिलाओं की भूमिका:** स्थानीय निकायों में महिलाएं खुद को प्रमुख प्रशासनिक भूमिकाओं में नहीं पाती हैं, हालांकि, कागजों पर महिलाओं को काफी मजबूती के रूप में दिखाया गया है। उदा. सरपंच पाटी.

आगे की राह

- आवंटित धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करना।
- प्रशासन की दक्षता और पात्र सदस्य नियुक्तियों को सुनिश्चित करना।

- हमारी ग्राम सभाओं को मजबूत करने, शहरों में क्षेत्र सभा आयोजित करने, वार्ड समितियां बनाने, ऑनलाइन पंचायत बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है।
- पंचायत प्रमुखों और पार्षदों को उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करना।
- ग्राम सभा को नियुक्त सदस्यों और प्रतिनिधियों को रद्द करने की शक्ति प्रदान करना।

निष्कर्ष

- केंद्र में संघीय शासन और राज्यों में स्वायत्त शासन की मांग के साथ-साथ स्वायत्त स्थानीय निकायों की भी आवश्यकता होनी चाहिए।
- सामूहिक रूप से सुनिश्चित करें कि पंचायती राज को मजबूत किया जाए। यह जन आंदोलन का परिणाम होना चाहिए।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम

प्रकाश सिंह केस: 2006 में पुलिस सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

संदर्भ: हाल ही में महाराष्ट्र में कई आईपीएस अधिकारियों द्वारा लॉबिंग के आरोप और सरकार के साथ सांठगांठ में 'पावर ब्रोकर्स' द्वारा पोस्टिंग पर निर्णय लेने से पता चलता है कि लगभग डेढ़ दशक पहले प्रकाश सिंह के फैसले के बावजूद पुलिस पोस्टिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप कायम है।

प्रकाश सिंह का पुलिस सुधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है?

- प्रकाश सिंह, जिन्होंने अन्य पोस्टिंग के अलावा यूपी और असम पुलिस में डीजीपी के रूप में कार्य किया, उन्होंने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति के बाद पुलिस सुधार की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की। 2006 में, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार लाने के उद्देश्य से 7 निर्देश दिए
- न्यायालय ने राजनीतिकरण, जवाबदेही तंत्र की कमी और प्रणालीगत कमजोरियों की आरोपित हुई समस्याओं को रिकॉर्ड में रखा है, जिसके परिणामस्वरूप खराब प्रदर्शन हुआ और पुलिस के प्रति वर्तमान सार्वजनिक असंतोष को बढ़ावा मिला।

निर्देश हैं-

1. **राज्य सुरक्षा आयोगों (एसएससी) की स्थापना** - यह व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश देता है, राज्य पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार अनुचित दबाव का प्रयोग न करे
2. डीजीपी का कार्यकाल (न्यूनतम दो वर्ष) और योग्यता आधारित पारदर्शी चयन का निर्धारण
3. पुलिस महानिरीक्षक के लिए न्यूनतम कार्यकाल
4. जांच और कानून व्यवस्था कार्यों को अलग करना
5. **पुलिस बोर्डों की स्थापना**- उपाधीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण, पदस्थापन, पदोन्नति तथा सेवा से संबंधित अन्य मामलों का निर्णय करना और उपाधीक्षक से ऊपर के स्तर के पुलिस अधिकारियों के इन मामलों में अनुशांसा करना।
6. **एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण का निर्माण** - उप पुलिस अधीक्षक के पद से ऊपर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जनता की शिकायतों की जांच करना
7. **राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन**- केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए दो साल के न्यूनतम कार्यकाल के साथ संघ स्तर पर एक पैनल तैयार करना।

SC के निर्देश को लागू करने वाले राज्यों का रिकॉर्ड क्या रहा है?

- कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI) की रिपोर्ट के अनुसार, सुधारों को लागू करने के प्रयास धीमे, क्रम से और बड़े पैमाने पर प्रतिगामी बने हुए हैं। एक भी राज्य सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहा।
- 18 राज्यों ने इस समय में अपने पुलिस अधिनियमों को पारित या संशोधित किया लेकिन एक भी विधायी मॉडल से पूरी तरह मेल नहीं खाता।
- एक भी केंद्र शासित प्रदेश निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहा है, जो केंद्र सरकार के गैर-अनुपालन का संकेत है।
- केवल छह राज्य अपने पुलिस प्रमुख के लिए कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करते हैं और 13 राज्यों ने एक आंतरिक तंत्र स्थापित किया है ताकि पुलिस नेतृत्व को राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना राज्य पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।
- CHRI ने पाया कि 28 में से 26 राज्यों ने पुलिस अधिनियमों या सरकारी आदेशों के माध्यम से एक SSC का गठन किया है। जबकि तेलंगाना और ओडिशा केवल दो राज्य हैं जिन्होंने कागज पर SSCs की स्थापना नहीं की है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एकमात्र ऐसे राज्य हैं जो SSC बाध्यकारी की सिफारिशें करते हैं।

राज्य सरकारें पुलिस पर नियंत्रण जारी रखने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना कैसे करती हैं?

- **टुकड़ों में परिवर्तन:** राज्य के विधानों की "त्रुटिपूर्ण" होने के लिए आलोचना की गई है और सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी से खुद को बचाने के लिए केवल टुकड़ों में बदलाव किया जा रहा है, जो उन राज्यों को आकर्षित कर रहे थे जिन्होंने इसके निर्देशों का पालन नहीं किया था। यह भी आलोचना की जाती है कि राज्य अधिनियमों को जानबूझकर इस तरह से तैयार किया गया था कि "यह पहले से मौजूद यथास्थिति को कानूनी रूप देता है"।
- **मुख्यमंत्री की विशेष शक्तियाँ पदासीन रहीं:** 2014 के महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में, एक धारा 22 (N) (2) जोड़ी गई थी, जो मुख्यमंत्री को 'प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं' के मामले में किसी भी बिंदु पर अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करती थी। इस प्रकार, जबकि SC का निर्देश था कि किसी अधिकारी को दिए गए कार्यकाल से पहले स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, सीएम ने इस खंड का उपयोग मध्यावधि स्थानांतरण के लिए किया है जिससे तबादलों पर नियंत्रण बना रहे।
- **अप्रभावी पुलिस स्थापना बोर्ड:** कई वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें से कुछ पांच सदस्यीय PEB का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने बताया है कि समिति के अधिकारियों को सरकार द्वारा 'अनौपचारिक रूप से' सूचित किया जाता है कि किस अधिकारी को किस पद के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। पांच अधिकारियों में से, भले ही एक या दो सहमत न हों, बहुसंख्यक में उस पोस्टिंग का पक्ष लेते हैं, जिसमें सरकार की दिलचस्पी होती है, इस प्रकार PEB को अपने कामकाज में अप्रभावी बना देता है।
- **अप्रभावी राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (SPCA):** जिन राज्यों में इसे स्थापित किया गया था, वहां एसपीसीए को जनता से शिकायतें मिलीं। हालांकि, एसपीसीए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यालय स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। कई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि एसपीसीए बिना दांत वाला है क्योंकि यह दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है (अंतिम निर्णय सरकार के पास है)। साथ ही स्टाफ मेंबर्स की कमी से भी शारीरिक परिश्रम अधिक है।

निष्कर्ष

- प्रकाश सिंह के निर्देश में अदालत की मंशा इस आंतरिक निर्णय को मजबूती से पुलिस नेतृत्व के सामने लाना था। इस निर्देश का लगातार पालन न करने से पुलिस नेतृत्व का अधिकार और कमजोर होगा, अधिकारियों का मनोबल प्रभावित होगा और जवाबदेही धूमिल होगी।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- पुलिस सुधार और हिरासत में मौतें

- पुलिस के सामने आने वाली समस्याएं
-



PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAMME (PEP) - 2021

PRELIMS STRATEGY CLASSES BY **SUNIL OBEROI** - Retd. IAS

Has worked on civil services reforms in India with UNDP and DOPT. Was associated with induction training of new entrants of civil services and in-service training of senior civil servants.



सामाजिक मुद्दे/ वेलफ़ेयर

MyNEP2020 प्लेटफॉर्म का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - शिक्षा

सुर्खियों में-

- NCTE वेब पोर्टल का "माईएनईपी2020" प्लेटफॉर्म हाल ही में लॉन्च किया गया।
- **मंत्रालय:** शिक्षा मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- सरकार ने राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के लिए शिक्षकों (एनपीएसटी) और नेशनल मिशन फॉर मेंटॉरिंग (एनएमएम) कार्यक्रम की सदस्यता के विकास के लिए मसौदा तैयार करने के लिए हितधारकों से सुझाव / इनपुट / सदस्यता भी आमंत्रित की।
- एनपीएसटी और एनएमएम एनईपी 2020 की दो प्रमुख सिफारिशें हैं।
- यह प्लेटफॉर्म 01 अप्रैल से लेकर 15 मई, 2021 तक चालू रहेगा।
- शिक्षक नीति पर दस्तावेज तैयार करने के लिए, एनसीटीई व्यक्तियों/संगठनों के साथ मिलकर काम करेगा।
- परामर्श अवधि के दौरान एकत्र किए गए सभी सुझावों / आदानों की बड़े पैमाने पर एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी और ड्राफ्ट को सार्वजनिक समीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा।
- हितधारकों से समीक्षकों द्वारा टिप्पणियां तब अधिसूचना के अंतिम मसौदे के गठन के लिए उपयोग की जाएंगी।

क्या आप जानते हैं?

- राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) भारतीय शिक्षा प्रणाली में मानकों, प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं की औपचारिक रूप से देखरेख करने के लिए 1995 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है।

अखिल भारतीय प्रवासी कामगार सर्वेक्षण

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खियों में-

- भारत सरकार ने अखिल भारतीय त्रैमासिक सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) और अखिल भारतीय प्रवासी श्रमिक सर्वेक्षण स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण शुरू किया।
- **मंत्रालय:** श्रम और रोजगार मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- अखिल भारतीय प्रवासी कामगार सर्वेक्षण का उद्देश्य: कामगारों द्वारा किए गए रोजगार से संबंधित प्रवास के प्रकार का अध्ययन करना।
- यह सर्वेक्षण प्रवासी कामगारों के काम करने, रहने की स्थिति और उनके काम की विश्व पर COVID 19 के प्रभाव का विवरण प्रदान करेगा।
- यह 10 या उससे अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाली इकाइयों की रोजगार की जरूरत और 9 या उससे कम श्रमिकों की भर्ती करने वाले इकाइयों के लिए तिमाही आधार पर सर्वेक्षण करेगा।
- ये सर्वेक्षण तिमाही आधार पर चयनित क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति में बदलाव पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा।
- ये सर्वेक्षण श्रम और रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर डेटा अंतर को प्लग-इन करेंगे और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण प्रक्रियाओं में सहायता करेंगे।

जातिवाद

जातिवाद एक व्यवस्थित विचारधारा है, यह विश्वासों और प्रथाओं का एक जटिल समूह है, जो जीव विज्ञान के अनुमानित आधार पर, मानवता को 'उच्च' और निम्न 'उन्हें' में विभाजित करता है।

संक्षेप में, यह है: कोई व्यक्ति, उसके समूह, अतीत और भविष्य के बारे में उसकी त्वचा के रंग को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण जानकारी बता सकता है।

मुद्दे :

- **मानव संसाधन का अधिक उल्लंघन:** मानव अधिकारों के उल्लंघन से परे नस्लीय भेदभाव, मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर हानिकारक प्रभाव डालता है, और सामाजिक सामंजस्य के लिए व्यापक व्यवधान का खतरा उठाता है।
- **जटिल:** नस्लवाद और भेदभाव के वर्तमान रूप जटिल और अक्सर गुप्त होते हैं। सूक्ष्म-आक्रामकता और रोजमर्रा के आक्रोश सहित भेदभाव के संरचनात्मक रूप व्यापक हैं।
- **सोशल मीडिया का विकास:** इंटरनेट की अनिमितता ने नस्लवादी रूढ़ियों और गलत सूचनाओं को ऑनलाइन फैलाने की अनुमति दी है।
- **तकनीकी-जातिवाद:** सुरक्षा में नई तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग 'तकनीकी-नस्लवाद' के खतरे को बढ़ा जाती है, क्योंकि चेहरे की पहचान कार्यक्रम नस्लीय समुदायों को गलत पहचान और लक्षित कर सकते हैं।
- **असमानताओं को बढ़ाता है:** नस्लीय भेदभाव हमारे समाजों में असमानता को तेज करना तथा बढ़ावा देता है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार और भेदभावपूर्ण कार्य, चाहे सूक्ष्म हों या खुले, ये समाज में मौजूदा असमानताओं को बढ़ाते हैं।
- **महिलाओं पर दोहरा बोझ:** महिलाओं और लड़कियों पर नस्लीय और लिंग आधारित पूर्वाग्रहों के संपर्क में आने का दोहरा बोझ भी होता है।

आगे की राह

- जातिवाद-विरोधी के प्रति सार्वजनिक दृष्टिकोण में सुधार हुआ है, क्योंकि जातिवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति सामाजिक रूप से कम स्वीकार्य हो गई है।
- नस्लवाद विरोधी कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से नस्लवाद के मूल कारणों से निपटने के लिए बहुक्षेत्रीय प्रयास।
- शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से नस्लवाद के खिलाफ यूनेस्को की कार्रवाई आगे बढ़ने का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है।
- यूनेस्को युवाओं को नस्लवाद को स्थिर रखने वाली प्रक्रियाओं को समझने, अतीत से सीखने और मानवाधिकारों के खड़े होने तथा स्थान देने में शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देता है।
- अंतर-सांस्कृतिक संवाद और सीखने के नए तरीकों के माध्यम से, युवाओं और समुदायों को हानिकारक रूढ़ियों को मिटाने और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के कौशल से लैस किया जा सकता है।
- जातिवाद को केवल अच्छे विश्वास के व्यवसायों से दूर नहीं किया जाएगा, बल्कि नस्लवाद विरोधी कार्रवाई के साथ इसका मुकाबला किया जाना चाहिए।
- सहिष्णुता, समानता और भेदभाव-विरोधी की एक वैश्विक संस्कृति महिलाओं और पुरुषों के दिमाग में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- जातिवाद का एनाटॉमी
-

नीति आयोग की राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का मसौदा

कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान बड़े शहरों से 10 मिलियन प्रवासियों (सरकारी आकड़ों के अनुसार) के पलायन से प्रेरित होकर, नीति आयोग ने अधिकारियों और नागरिक समाज के सदस्यों के एक उपसमूह के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का ड्राफ्ट (मसौदा) तैयार किया है।

मसौदा नीति के सकारात्मक पहलू

- **उचित मान्यता:** अर्थव्यवस्था में प्रवासियों के योगदान को बेहतर ढंग से पहचानने और उनके प्रयासों में समर्थन करने का इरादा।
- **कट्टरपंथी विचारधारा :** यह कई कट्टरपंथी विचारों को सामने रखता है, जिसमें अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को अपनाना और प्रवासियों के लिए एक अधिक सक्षम नीति वातावरण बनाने के लिए संस्थानों की एक अतिरिक्त परत स्थापित करना शामिल है।
- **समर्पित इकाई:** यह अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करने के लिए एक नई राष्ट्रीय प्रवास नीति और श्रम मंत्रालय के भीतर एक विशेष इकाई के गठन का प्रस्ताव करती है।
- **विभागों में अभिसरण लाने में मदद करता है:** नई संरचना सभी विभागों में बहुत आवश्यक अभिसरण लाएगी और प्रवास के कारणों और प्रभावों के साथ-साथ आवश्यक हस्तक्षेपों की एक सार्वभौमिक समझ की दिशा में बड़ा कदम होगा।
- **कार्यान्वयन पर ध्यान देना :** मसौदा नीति में देश के कई श्रम कानूनों के कार्यान्वयन पर रिकॉर्ड में सुधार करने का आह्वान किया गया है, जो कुल मिलाकर श्रमिक प्रवासियों के जीवन में बदलाव लाने में विफल रहे हैं।
- **कई कानूनों पर विचार किया गया:** यह समान पारिश्रमिक अधिनियम, बंधुआ श्रम अधिनियम, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम और अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम, के प्रावधानों के अलावा अन्य पर विस्तार से चर्चा करता है।
- **संबोधित अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्व:** यह ILO के सभ्य कार्य एजेंडा के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों का आह्वान करता है जिसका उद्देश्य श्रम अधिकारों की रक्षा करना है।
- **प्राप्त आंकड़ों का महत्व:** यह भर्ती पैटर्न और डेटा की कमी के कारण अत्यधिक खंडित प्रवासी कार्यबल के लिए कल्याणकारी प्रावधान की चुनौतियों को स्वीकार करता है। यह सामूहिक कार्रवाई और यूनियनों के महत्व को संदर्भित करता है और अल्पकालिक प्रवास, विशेष रूप से मौसमी और परिपत्र प्रवास पर डेटा में सुधार के लिए विस्तृत योजना है।

मुद्दे

- नीति में श्रम कानूनों के खराब कार्यान्वयन के अंतर्निहित कारणों की गहराई से जांच नहीं की गई है जो भर्ती और नियुक्ति की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं।
- यह रोजगार में लिंग भेद के बारे में बात नहीं करता है।
- प्रवासी महिलाओं के लिए घरेलू कामगार सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायों में से एक है। और उनकी उपेक्षा की गई है।
- जनजातीय प्रवासन को नियंत्रित करना प्रवासी एजेंसी को मान्यता देने के उद्देश्य के खिलाफ हो जाता है ताकि जनजातीय प्रवासियों को प्रवास द्वारा प्रदान किए गए अवसरों तक पहुँचने में मदद मिल सके।

भारत की शरणार्थी समस्या

संदर्भ: म्यांमार की सेना से भागे हुए छोटे बच्चों सहित म्यांमार के नागरिकों को पूर्वोत्तर में भारतीय सीमा पर वापस भेजे जाने से भारत में शरणार्थी सुरक्षा के बारे में घरेलू बहस फिर से शुरू हो गई है।

भारत की शरणार्थी समस्या

- इस क्षेत्र के भू-राजनीतिक, आर्थिक, जातीय और धार्मिक संदर्भों को देखते हुए भारत में शरणार्थियों का आना जल्द ही समाप्त होने की संभावना नहीं है।
- भारत में शरणार्थी संरक्षण के मुद्दे को चिकित्सकीय रूप से संबोधित करने और उचित कानूनी और संस्थागत उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है।

मुद्दे/चुनौतियां

- **शरणार्थियों और अवैध अप्रवासियों के बीच भेदभाव का अभाव:** अवैध अप्रवास और शरणार्थी दो अलग-अलग चीजें हैं। हालाँकि, भारतीय कानून के अनुसार, दोनों श्रेणियों के लोगों को एक समान माना जाता है और वे विदेशी अधिनियम, 1946 के अंतर्गत आते हैं। इसके कारण, इन मुद्दों से निपटने के लिए सरकार की नीतियों और उपायों में स्पष्टता की कमी के साथ-साथ नीति उपयोगिता की कमी भी है।
- **उचित कानूनी ढांचे का अभाव:** भारत कानूनी प्रावधानों की कमी के कारण शरणार्थियों और अवैध अप्रवासियों से अलग-अलग निपटने के लिए कानूनी रूप से अक्षम है। भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और इसके 1967 के प्रोटोकॉल का एक पक्ष नहीं है, जो शरणार्थी संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानूनी दस्तावेज हैं।
- **शरणार्थियों से निपटने में तदर्थवाद:** इस तरह के कानूनी ढांचे की अनुपस्थिति भी नीति अस्पष्टता की ओर ले जाती है जिससे भारत की शरणार्थी नीति मुख्य रूप से तदर्थवाद द्वारा निर्देशित होती है, जिसकी अक्सर अपनी 'राजनीतिक उपयोगिता' होती है।
- **शरणार्थी संरक्षण का घरेलू राजनीतिकरण:** एक कानूनी ढांचे और तदर्थ उपायों की अनुपस्थिति सरकार को कार्यालय में 'किस तरह के' शरणार्थियों को चुनने में सक्षम बनाती है, जो भी राजनीतिक या भू-राजनीतिक कारणों से और किस तरह के शरणार्थियों को वह चाहती है इसी तरह के कारणों से आश्रय देने से बचें।
- **भू-राजनीतिक दोषों को जटिल करता है:** कानूनी ढांचे की अनुपस्थिति और शरणार्थी समस्या का राजनीतिकरण शरणार्थियों को स्वीकार करने या न करने का निर्णय लेते समय भू-राजनीतिक विचारों के लिए द्वार खोलता है।
 - **उदाहरण:** म्यांमार के शरणार्थियों के घर में जुंटा से सुरक्षा के लिए भारत में भाग जाने के ताजे मामले पर विचार करें।
 - नई दिल्ली की चिंता यह है कि यदि यह निर्णय म्यांमार में जनरलों को परेशान करता है, तो बीजिंग जनता के करीब पहुंच जाएगा और म्यांमार में भारत के हितों को नुकसान पहुंचाएगा।
 - यदि नई दिल्ली में शरणार्थियों के संबंध में एक घरेलू कानून था, जो प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के हस्ताक्षरकर्ता नहीं होने के बावजूद, भागते हुए म्यांमारियों को वापस करने के लिए जुंटा की अपेक्षाओं को कम कर सकता था।
- **जिम्मेदार शक्ति के रूप में भारत की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान:** भारत, अधिकांश भाग के लिए, शरणार्थी संरक्षण के मुद्दे पर एक तारकीय रिकॉर्ड रहा है, एक नैतिक परंपरा जो हाल ही में बहुत तनाव में आई है। 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और 1967 के प्रोटोकॉल के पक्षकार न होने के बावजूद नई दिल्ली विश्व में शरणार्थियों के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक रही है।

भारत ने 1951 शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया?

- शरणार्थी की एकतरफा फ़ैसला जो पश्चिम का पक्ष लेती है
- 1951 के सम्मेलन में शरणार्थियों का फ़ैसला केवल नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है, उदाहरण के लिए, व्यक्तियों के आर्थिक अधिकारों से नहीं।
- गैर-प्रवेश व्यवस्था का गठन कई कानूनी और प्रशासनिक उपायों द्वारा किया गया है जिसमें वीजा प्रतिबंध, वाहक प्रतिबंध, 'शरणार्थी' की परिभाषा की प्रतिबंधात्मक व्याख्याएं, शरण चाहने वालों के लिए सामाजिक कल्याण लाभों की वापसी, और नजरबंदी की व्यापक प्रथाएं शामिल हैं।

आगे की राह - नया घरेलू कानून

- घरेलू शरणार्थी कानून में शरणार्थियों के लिए अस्थायी आश्रय और वर्क परमिट की अनुमति होनी चाहिए।
- यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उचित कानूनी उपायों, शरणार्थी दस्तावेजीकरण और वर्क परमिट के अभाव में, शरणार्थी अवैध तरीके से अवैध अप्रवासी बन सकते हैं।
- अस्थायी प्रवासी कामगारों, अवैध अप्रवासियों और शरणार्थियों के बीच अंतर करें और उचित कानूनी और संस्थागत तंत्र के माध्यम से उनमें से प्रत्येक के साथ अलग-अलग व्यवहार करें।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- रोहिंया शरणार्थी समस्या।

स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाना

स्ट्रीट वेंडर्स के लाभ

- **उपभोक्ताओं के लिए लागत लाभ:** सामान और सेवाओं को दरवाजे पर, या उन स्थानों पर उपलब्ध कराकर जो आसानी से सुलभ हैं, स्ट्रीट वेंडर उपभोक्ताओं के लिए रोजमर्रा की खरीद की लेनदेन लागत को कम करते हैं।
- **आपूर्ति श्रृंखला में समानता लाता है:** स्ट्रीट-वेंडिंग अर्थव्यवस्था अपने उत्पादन और वितरण मूल्य श्रृंखलाओं में आर्थिक लाभ का समान वितरण सुनिश्चित करती है।

मुद्दे :

- **संस्थागत उपेक्षा:** शहरी योजनाकारों के साथ निवेश के लिए आकर्षक शहर के परिदृश्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, स्ट्रीट वेंडर प्रणालीगत और संस्थागत अवमानना का अनुभव करते हैं।
- **COVID-19 के कारण ऋण संपत्ति :** महामारी ने रेहड़ी-पटरी वालों की स्थिति को खराब कर दिया, जिनमें से अधिकांश को जीवित रहने के लिए अपनी बचत किये हुए पूंजी को खर्च करना पड़ा, कई लोगों को भारी ऋण भी लेने में मजबूर होना पड़ा।
- **प्रशासन द्वारा उत्पीड़न:** परंपरागत रूप से, स्ट्रीट वेंडर उपेक्षित रहे हैं, पुलिस और स्थानीय सरकारों द्वारा उत्पीड़न के अधीन रहे हैं।
- **नीतियों का अधूरा क्रियान्वयन:** स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन अधूरा बना हुआ है।
- **स्ट्रीट वेंडर्स की देखभाल करने में बाजार की विफलता:** स्ट्रीट वेंडर्स को बहुत कम संस्थागत समर्थन मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार विफल हुए हैं जिसके कारण सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता हुई है।

आगे की राह

- केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना, जिसके तहत रेहड़ी-पटरी वालों को एक माइक्रो-क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाती है, उन्हें अपनी व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब तक, 2 मिलियन विक्रेताओं ने इस क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया है, जिसमें 40% लाभार्थी महिलाएं हैं।
- **शहरी विकास योजना में समावेशन:** शहरी विकास योजना के प्रत्येक पहलू पर स्ट्रीट वेंडर की भूमिका की जरूरतों और मजबूती को शामिल किया जाना चाहिए।
- **सिविल सोसाइटी से समर्थन:** भारतीय स्ट्रीट वेंडरों को भी अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए मजबूत सार्वजनिक संरक्षण की आवश्यकता है। इस तरह का संरक्षण उनके विकास के लिए एक मजबूत व्यावसायिक मामला तैयार करेगा और बाजार की विफलताओं को खत्म करने में मदद करेगा जो देश के स्ट्रीट-वेंडिंग परिदृश्य को चिह्नित करते हैं।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

कृत्रिम बुद्धि (एआई) के युग में बच्चों की रक्षा करना

संदर्भ: आज के बच्चे और किशोर आभासी वास्तविकता और कृत्रिम बुद्धि (एआई) द्वारा तेजी से संचालित विश्व में पैदा हुए हैं। सभी मूलभूत तकनीकी परिवर्तनों की तरह, एआई न केवल वह बदल रहा है जो मनुष्य कर सकता है, यह हमारे व्यवहारों, प्राथमिकताओं, विश्व की धारणाओं और स्वयं को आकार दे रहा है।

चिंता :

- **डिजिटल डिवाइड:** हर कोई इस परिवर्तन द्वारा पेश किए गए अवसरों का लाभ नहीं उठा सकता है। यूनिसेफ और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू) के अनुसार, दुनिया के दो-तिहाई बच्चों के पास घर पर इंटरनेट नहीं है।
- **सामाजिक असमानताओं का बढ़ना:** जब तक हम इस डिजिटल विभाजन को बंद करने के लिए तीव्र और ठोस कार्रवाई नहीं करते, एआई विभिन्न जातियों, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, लिंग और क्षेत्रों के बच्चों के बीच सामाजिक असमानताओं को मौलिक रूप से बढ़ा देगा।
- **प्रौद्योगिकी की जटिलता:** एआई का विस्तार और परिनियोजन इसके निहितार्थों को समझने की हमारी क्षमता, विशेष रूप से बच्चों पर इसके प्रभाव से कहीं अधिक है। बड़े लोग खुद ही तकनीक की जटिलता को समझते हैं जो हमें बच्चों और युवाओं को बचाने के लिए ज्ञान, उपकरण और जागरूकता से तैयार करने से रोक रही है।
- **बाल दुर्व्यवहार के खतरे:** जबकि वीडियो गेमिंग और चैट फ़ोरम बच्चों को अपने दोस्तों के साथ मेलजोल करने के लिए एक ऑनलाइन स्थान प्रदान करते हैं, कई रिपोर्टें ऐसे आभासी खेल के मैदानों को बाल शिकारियों के लिए "हनीपोट्स" के रूप में पहचानती हैं।
- **माता-पिता द्वारा निरीक्षण के साथ चुनौतियाँ:** स्क्रीन समय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बाद, माता-पिता को इस बात पर नज़र रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि उनके बच्चे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, और किसके साथ ऑनलाइन होमवर्क होने से माता-पिता दोनों के निरीक्षण और भी कठिन हो गया है।
- **डिजिटल लत का कारण बनने वाले व्यावसायिक मॉडल:** कई वीडियो गेम और सोशल नेटवर्क चलाने वाले एआई सिस्टम को एल्गोरिदम और "लकीर", "पसंद", अनंत स्क्रॉल, आदि जैसी चालबाजियों के माध्यम से बच्चों को जोड़े रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भले ही यह अंतर्निहित व्यापार मॉडल का एक सहायक परिणाम है, नुकसान तो होता है। बच्चे, एक निविदा उम्र से किशोरावस्था तक, डिजिटल रूप से आदी हो रहे हैं।
- **कम ध्यान अवधि और सामाजिक संपर्क:** ठीक उसी समय जब उन्हें एकाग्रता कौशल, भावनात्मक और सामाजिक बुद्धिमत्ता सीखने की आवश्यकता होती है, डिजिटल लत बच्चों के ध्यान को हमेशा-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर रही है, और उनकी सामाजिक बातचीत का तेजी से वर्चुअलाइजेशन कर रही है।
- **विश्वदृष्टि का अस्वास्थ्यकर आकार:** इसी तरह, जब बच्चे और युवा विश्व के अपने शुरुआती विचार प्रकट कर रहे हैं, तो उन्हें आभासी गहरे स्थान में धकेला जा रहा है, जिसमें नकली समाचारों के ब्रह्मांड, षड्यंत्र के सिद्धांत, प्रचार, अभिमान, ऑनलाइन बदमाशी, अभद्र भाषा और पसंद आदि शामिल हैं।
- **असहिष्णुता पैदा करने वाले इको चैम्बर्स:** इको चैम्बर एक ऐसा वातावरण (एआई द्वारा सहायता प्राप्त) है जहां एक व्यक्ति को केवल ऐसी जानकारी या राय का सामना करना पड़ता है जो स्वयं को प्रतिबिंबित और सुदृढ़ करती है। इको चैम्बर गलत सूचना पैदा कर किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को विकृत कर सकते हैं, इसलिए उन्हें नकारात्मक दृष्टिकोणों पर विचार करने और जटिल विषयों पर चर्चा करने में कठिनाई होती है।
- **डेटा संचयन और गोपनीयता:** एआई संचालित खिलौने बच्चों के लिए चंचल और रचनात्मक अवसर प्रदान कर सकते हैं, कुछ तो साक्षरता, सामाजिक कौशल और भाषा के विकास को भी बढ़ावा दे सकते हैं। हालाँकि, वे हमारे बच्चों को भी सुनते और देखते हैं, उनके डेटा को अवशोषित कर लेते हैं, और इसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कोई ढांचा नहीं है।

आगे का रास्ता- साथ ही डिजिटल डिवाइड को बंद करें, और एआई के युग में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करें

- चौथी औद्योगिक क्रांति के अगले चरण में सभी बच्चों तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए जबरदस्त जोर शामिल होना चाहिए। सरकारों, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी, माता-पिता और बच्चों को इसके लिए अभी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए, इससे पहले कि AI पहले से मौजूद असमानताओं को और गहरा करे और अपनी असमानताएँ पैदा करे।
- और ऑनलाइन नुकसान को कम करने के लिए, हमें एक बहु-आयामी कार्य योजना की आवश्यकता है:
 - हमें कानूनी और तकनीकी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
 - हमें माता-पिता, अभिभावकों और बच्चों के बीच इस बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है कि AI पर्दे के पीछे कैसे काम करता है।
 - हमें सुरक्षित AI ऐप्स पर ध्वनि विकल्प सक्षम करने के लिए भरोसेमंद प्रमाणन और रेटिंग सिस्टम जैसे टूल की आवश्यकता है।
 - हमें अज्ञातकृत खातों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।
 - हमें एआई सिस्टम की नीति और डिजाइन में अंतर्निहित गैर-भेदभाव और निष्पक्षता के लागू करने योग्य नैतिक सिद्धांतों की आवश्यकता है।
 - हमें बच्चों या उनके डेटा के साथ इंटरैक्ट करने वाले सभी एल्गोरिदम के लिए "कोई नुकसान नहीं" जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता है।
 - हमें एल्गोरिथम हेरफेर के बिना और प्रतिबंधित प्रोफाइलिंग और डेटा संग्रह के साथ बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन स्थान चाहिए।
 - हमें ऑनलाइन टूल (और एक ऑनलाइन संवर्धन) की आवश्यकता है जो व्यसन को रोकने में मदद करता है, जो ध्यान आकर्षित करने का कौशल को बढ़ावा देता है, जो बच्चों के क्षितिज, विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए समझ और प्रशंसा का विस्तार करता है, और जो उनकी सामाजिक भावनात्मक सीखने की क्षमताओं का निर्माण करता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- चौथी औद्योगिक क्रांति और उसकी चुनौतियाँ

मानस मोबाइल एप का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - I - सोसायटी

सुर्खियों में-

- भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने सभी आयु समूहों की देखभाल के लिए 'मानस' (Mental Health and Normalcy Augmentation System-MANAS) ऐप लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसे NIMHANS बेंगलुरु, AFMC पुणे और C-DAC बेंगलुरु द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया।
- मानस अर्थात् 'मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली' (Mental Health and Normalcy Augmentation System- MANAS), जिसे प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- मानस एक व्यापक, समर्पित और राष्ट्रीय डिजिटल कल्याणकारी मंच है।
- जिसे भारतीय नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये विकसित किया गया है।

- यह विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रयासों को एकीकृत करता है, तथा विभिन्न राष्ट्रीय निकायों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित/शोध किए गए सरलीकृत इंटरफेस के साथ वैज्ञानिक रूप से मान्य स्वदेशी उपकरण है।

महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे

महिला एवं सहकारी डेयरी फार्मिंग

संदर्भ: भारत की 'श्वेत क्रांति' में योगदान देने में महिला डेयरी किसानों की उपलब्धियां शायद मार्च में महिला इतिहास माह मनाने का सबसे बड़ा कारण हैं।

महिला एवं सहकारी डेयरी फार्मिंग

- **महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी:** देश भर में 1,90,000 से अधिक डेयरी सहकारी समितियां हैं, जिनमें लगभग 6 मिलियन महिला सदस्य हैं।
- **महिलाओं के नेतृत्व वाली डेयरी यूनियनों और कंपनियों का उदय:** एनडीडीबी ने श्रीजा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जैसे महिलाओं के नेतृत्व वाले उत्पादक उद्यमों की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसे 24 महिलाओं के साथ शुरू किया गया था और अब लगभग 450 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार के साथ 90,000 से अधिक सदस्य हैं।
- **संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने में मदद करता है:** कई महिलाएं जिन्हें कभी शिक्षा या औपचारिक रोजगार तक पहुंच नहीं थी, उन्होंने सहकारी दुग्ध संघ की सदस्य बनने के बाद जीवन परिवर्तन का अनुभव हुआ है। इससे महिलाओं, विशेष रूप से एकल माता-पिता को अपनी आय बढ़ाने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिली।
- **सूचना विषमता को दूर करता है:** डेयरी क्षेत्र में प्रमुख चुनौती किसानों के बीच सूचना विषमता है। आंकड़े बताते हैं कि छोटे और सीमांत किसानों की पहुंच बड़े और मध्यम किसानों के संसाधनों का केवल 50-70% है। हालाँकि, सहकारी समितियों और दुग्ध संघों के रूप में सामूहिक उपस्थिति महिलाओं के ज्ञान और बार्गेनिंग की शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **नए कौशल सीखना:** कई महिला डेयरी किसानों ने औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, लेकिन डेयरी के नियम कानून, दूध संघों और सहकारी समितियों जैसे बड़े समूहों के साथ काम करके, वे वित्त और विपणन की बारीकियों में महारत हासिल की है।

निष्कर्ष

महिला डेयरी किसानों के लिए, सहकारी समितियां और संघ वित्तीय स्थिरता का मार्ग हैं।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- भारत के डेयरी क्षेत्र पर RCEP का प्रभाव
- भारत अपनी डेयरी कार्ट को कैसे आगे बढ़ा सकता है

एमटीपी विधेयक, 2020 पर चिंताएं

संदर्भ: हाल ही में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) विधेयक [Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill], 2020 राज्यसभा में पारित किया गया था।

मुद्दे

- हितधारकों के साथ परामर्श का अभाव
- एमटीपी ढांचे के भीतर ट्रांसजेंडर लोगों को शामिल करने का अभाव
- महिलाओं की स्वायत्तता को केन्द्रित करने पर अवधारणा का अभाव
- मेडिकल बोर्ड निजता के उल्लंघन का गठन करेंगे
- विशेषज्ञों की कमी के कारण गर्भपात की सुविधा में अत्यधिक देरी
- निर्णय लेने के लिए समय सीमा का अभाव
- महिलाओं का अस्पष्ट प्रतिनिधित्व
- व्यापक प्रक्रियात्मक बाधाएं
- एमटीपी संशोधन विधेयक के तहत गर्भपात की अनुमति गर्भवती व्यक्ति के अनुरोध पर नहीं दी जाएगी, लेकिन डॉक्टर की अनुमति पर यह सशर्त है। यह प्रजनन स्वायत्तता और शारीरिक अखंडता पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायशास्त्र के खिलाफ है
- विधेयक बिना किसी ऊपरी गर्भधारण सीमा के केवल "असामान्यताओं" वाले भ्रूणों के लिए गर्भपात की अनुमति देगा, जिससे राज्य के सक्षम तर्क को बढ़ावा मिलेगा।
- यह विधेयक भी अत्यधिक विषमलैंगिक है, इसमें केवल सिजेंडर महिलाओं पर विचार किया गया है, न कि अन्य लैंगिक पहचान वाले व्यक्ति।

निष्कर्ष

- राज्य "प्रगति" के तर्क को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के प्रजनन और यौन अधिकारों को नियंत्रित करना जारी रखता है।
- महिलाओं के अधिकारों की संकीर्ण समझ, जो कानून को रेखांकित करती है, कानून के अधिकांश विषम-पितृसत्तात्मक नियामक अभिविन्यास की व्याख्या करने का कार्य करती है।
- विधेयक को बढ़ावा देने के लिए बयानबाजी में "महिलाओं के अधिकारों" का सह-विकल्प विडंबनापूर्ण है, क्योंकि इसके प्रावधान गर्भपात का अपराधीकरण जारी रखना और प्रजनन, कामुकता और मातृत्व के हानिकारक रूढ़ियों और कलंक को स्थिर रखना।
- लगातार यह धारणा है कि महिलाएं "स्वाभाविक" मां हैं, जैसा कि राज्यसभा की बहस में दोहराया गया है, पितृसत्तात्मक विचार को आगे बढ़ाता है कि महिलाओं को अपने यौन और प्रजनन अधिकारों से संबंधित निर्णय लेने में मदद की जरूरत है।

नोट - यह निष्कर्ष 'फेमिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट' से आया है, इस निष्कर्ष के साथ बैक फायर हो सकती है, हालाँकि आप इसका उपयोग PSIR और समाजशास्त्र में कर सकते हैं।

बिंदुओं को कनेक्ट करना:

- महिलाओं के प्रजनन अधिकार बनाम अजन्मे बच्चे के अधिकार (यदि कोई भी)

वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021

भाग- जीएस प्रील्लिम्स और जीएस- I - सोसायटी

सुर्खियों में-

- हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की गई।
- द्वारा: विश्व आर्थिक मंच

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत 28 पायदान नीचे आ गया है।
- अब यह दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक है,
- यह पड़ोसी देश - बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार से नीचे है।
- भारत की रैंकिंग में 156 देशों में 140वें स्थान पर है।
- दक्षिण एशिया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसके बाद मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका का स्थान है।
- कुल मिलाकर, कई देशों ने आर्थिक प्रदर्शन के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की रैंकिंग में और भी खराब प्रदर्शन किया है।
- अपने वर्तमान प्रक्षेपवक्र पर, विश्व भर में लैंगिक अंतर को भरने में अब इसे 135.6 वर्ष लगेंगे।
- राजनीतिक सशक्तीकरण में लैंगिक अंतराल सबसे अधिक है, वैश्विक स्तर पर संसद की कुल 35,500 सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 26.1 प्रतिशत है, कुल 3,400 से अधिक मंत्रियों में से केवल 22.6 प्रतिशत ही महिलाएँ हैं।
- 15 जनवरी, 2021 तक 81 देशों में से किसी में भी महिला प्रमुख की नियुक्ति नहीं हुई है।

महिला मुद्दे

संदर्भ: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है, जो भारत को नीचे से 17वें स्थान पर रखा है।

मुद्दे

- **गुमशुदा महिलाएं:** भारत में लिंग-चयनात्मक गर्भपात के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के दुरुपयोग के साथ भ्रूण में भेदभाव शुरू होता है।
- **अपर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** महिला मंत्रियों की हिस्सेदारी 23 से 9 प्रतिशत तक तेजी से घटी है।
- **खराब श्रम भागीदारी:** भारतीय महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी पिछले एक दशक में घटकर मात्र 21 प्रतिशत रह गई है।
- **कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न:** महामारी से पहले, भारतीय बोर्डरूम में केवल 15 प्रतिशत महिलाएं थीं, यहां तक कि #MeToo आंदोलन ने कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के हिमखंड को उजागर कर दिया।
- **नीतियों का खराब कार्यान्वयन:** 50 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी कार्यालयों और मनरेगा कार्यस्थलों में कानूनी रूप से अनिवार्य होने के बावजूद कार्यस्थल पर शिशु गृह दुर्लभ हैं। आंगनबाड़ियों को भी अभी तक क्रेच में विस्तारित नहीं किया गया है।
- **बाल विवाह:** पितृसत्ता ज्यादातर घर में ही स्थापित की जाती है। 17 राज्यों के प्रारंभिक जनसंख्या भारत औसत से पता चलता है कि महामारी से पहले भी, 2015-16 में पिछले सर्वेक्षण के बाद से बाल विवाह में मामूली वृद्धि हुई है।
- **उच्च शिक्षा:** जबकि शिक्षा अब अधिक समावेशी है, तीन-चौथाई महिलाएं साक्षर हैं, केवल 37 प्रतिशत ही कक्षा 10 को पूरा करती हैं।
- **वित्तीय निर्भरता:** एक तिहाई से भी कम भारतीय महिलाएं आय अर्जित करती हैं।
- **घरेलू हिंसा:** आर्थिक स्वतंत्रता की कमी के कारण, एक चौथाई से अधिक विवाहित महिलाएं भी वैवाहिक हिंसा की रिपोर्ट करती हैं।
- **बलात्कार:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2019 में प्रतिदिन लगभग 88 बलात्कारों की गणना की, जिसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दलित महिलाएं सबसे अधिक असुरक्षित हैं।

ग्रीन शूट्स

- **वित्तीय समावेशन:** हर पांच में से चार महिलाएं अब अपने स्वयं के बैंक खाते संचालित करती हैं,
- **व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जागरूकता:** दो तिहाई से अधिक युवा महिलाएं मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों का उपयोग करती हैं,
- **प्रजनन अधिकार:** आधे से अधिक विवाहित महिलाएं आधुनिक गर्भ निरोधकों का उपयोग करती हैं जिससे महिलाओं को अपने प्रजनन अधिकारों का दावा करने में मदद मिली है
- **संचार तक पहुंच:** लगभग आधे के पास मोबाइल फोन है, हालांकि एक तिहाई से भी कम के पास कभी इंटरनेट रहता है।

IAS baba **BABA'S धर्मपरम्परा** **ONE-TO-ONE MENTORSHIP**

CONNECT TO CONQUER
The Bond of GURU SHISHYA
Parampara Continued...

A NEVER BEFORE INITIATIVE
UPSC/IAS 2021 PREPARATION

By Mohan Sir
Founder IASbaba

स्वास्थ्य समस्या

भारत में डबल म्यूटेन्ट कोरोनावायरस वेरिएंट

भाग- जीएस प्रीलियम्स और जीएस - II - स्वास्थ्य और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक सुर्खियों में-

- हाल ही में कोरोना वायरस के एक नए 'डबल म्यूटेन्ट' (Double Mutant) वेरिएंट का पता चला है जो भारत के अलावा विश्व के किसी अन्य देश में नहीं देखा गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- हालांकि, यह अभी भी प्रमाणित किया जाना है कि क्या इसकी बढ़ी हुई संक्रामकता में या COVID-19 को और अधिक गंभीर बनाने में कोई भूमिका है।
- पूरे भारत में 10 प्रयोगशालाओं के एक संघ द्वारा वायरस के नमूनों के एक वर्ग के
- भारतीय सार्स-सीओवी-2 जीनोमिक कंसोर्टिया (Indian SARS-CoV-2 Consortium on Genomics-INSACOG), ने कम से कम 200 वायरस नमूनों में दो म्यूटेन्ट, E484Q और L452R की उपस्थिति का पता चला है।
- वायरस में अपने आप में परिवर्तन आश्चर्यजनक नहीं हैं।
- उत्परिवर्तन जो टीकों या प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं या बढ़े हुए मामलों की ओर ले जाते हैं, चिंता के बड़े कारण हैं।
- इन दो उत्परिवर्तनों को विश्व स्तर पर SARS-CoV-2 के अन्य प्रकारों में व्यक्तिगत रूप से पहचाना गया है
- वे टीके की प्रभावशीलता में कमी के साथ भी जुड़े हुए हैं।
- उनके संयुक्त प्रभाव और जैविक प्रभावों को अभी तक समझा नहीं जा सका है।
- आने वाले दिनों में, INSACOG द्वारा इन वेरिएंट का विवरण ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग एवियन इन्फ्लूएंजा डेटा (GISAID) नामक एक वैश्विक कोष हेतु प्रस्तुत किया जाएगा और यदि यह प्रभावित करता है, तो इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न (Variant of Concern- VOC) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

क्या आप जानते हैं?

- अब तक केवल तीन वैश्विक VOCs की पहचान की गई है जिनमें यू.के. वेरिएंट (B.1.1.7), दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट (B.1.351) और ब्राजील वेरिएंट (P.1) शामिल हैं।

COVID-19 के कारण मातृ मृत्यु और मृत जन्म में वृद्धि

भाग- जीएस प्रीलियम्स और जीएस - II - हेल्थ

सुर्खियों में-

- द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, COVID-19 महामारी से निपटने में स्वास्थ्य प्रणाली की विफलता के परिणामस्वरूप मातृ मृत्यु और मृत जन्म में वृद्धि हुई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- कुल मिलाकर, मृत जन्म की संभावना में 28% की वृद्धि हुई।
- गर्भावस्था या प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु का जोखिम लगभग एक तिहाई बढ़ गया।
- मातृ अवसाद में भी वृद्धि हुई।
- गर्भावस्था के परिणामों पर COVID-19 का प्रभाव गरीब देशों पर असमान रूप से अधिक था।

- यह रिपोर्ट 17 देशों में 40 अध्ययनों का विश्लेषण है।
- सख्त लॉकडाउन उपायों के बजाय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की अक्षमता के परिणामस्वरूप देखभाल तक पहुंच कम हो गई।

क्या आप जानते हैं?

- भारत में, अप्रैल और जून 2020 के बीच राष्ट्रीय लॉकडाउन के महीनों के दौरान, 2019 में इसी अवधि की तुलना में, गर्भवती महिलाओं में चार या अधिक प्रसव पूर्व जांच प्राप्त करने में 27% की गिरावट आई, संस्था-संबंधी प्रसव में 28% की गिरावट और प्रसवपूर्व सेवाओं में 22% की गिरावट आई।

दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - हेल्थ

सुर्खियों में-

- हाल ही में "दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021" को मंजूरी दी है।
- **मंत्रालय:** स्वास्थ्य मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- **उद्देश्य:** (1) स्वदेशी अनुसंधान पर ज्यादा जोर के साथ दुर्लभ बीमारियों के उपचार की ऊंची लागत को कम करना; (2) उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) के रूप में वर्णित 8 स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से दुर्लभ बीमारियों से बचाव और उपचार के लिए तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत करना।
- आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय संघ की स्थापना की जाएगी।
- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसके संयोजक होंगे।
- **विजन:** नीति में दुर्लभ बीमारियों की परिभाषा और देश के भीतर दुर्लभ बीमारियों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्धता हेतु दुर्लभ बीमारियों की एक राष्ट्रीय स्तर की अस्पताल आधारित रजिस्ट्री की परिकल्पना की गई है।
- **फोकस:** नीति प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे जैसे स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों (डीईआईसी) के माध्यम से और उच्च जोखिम वाले माता-पिता के लिए परामर्श के माध्यम से प्रारंभिक जांच और रोकथाम पर केंद्रित है।
- स्क्रीनिंग को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित निदान केंद्रों द्वारा भी सहायता प्रदान की जाएगी।
- सीओई को निदान सुविधाओं के उन्नयन के लिए 5 करोड़ रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- "राष्ट्रीय आरोग्य निधि की छाता योजना के तहत 20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान उन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए प्रस्तावित है, जिनके लिए एकमुश्त उपचार (समूह 1 के तहत सूचीबद्ध बीमारियां) की आवश्यकता होती है। रोग नीति)।

क्या आप जानते हैं?

- भारत में, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और बच्चों में प्राथमिक इम्यूनो की कमी, ऑटो-इम्यून रोग, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (Lysosomal Storage Disorder), पोम्पे डिजीज, साइस्टिक फाइब्रोसिस (Cystic Fibrosis) दुर्लभ बीमारियों की सूची में हैं।

एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (IHIP) का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - स्वास्थ्य

सुर्खियों में-

- हाल ही में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (IHIP) का शुभारंभ किया गया।
- **मंत्रालय:** स्वास्थ्य मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) की अगली पीढ़ी का अत्यधिक परिष्कृत संस्करण है।
- भारत इस तरह की उन्नत रोग निगरानी प्रणाली को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश है।
- इसमें भारत के रोग निगरानी कार्यक्रम के लिए डेटा प्रविष्टि और प्रबंधन होगा।
- पहले की 18 बीमारियों की तुलना में अब 33 रोगों पर नजर रखने के अलावा यह डिजिटल मोड में निकट वास्तविक समय के डाटा को सुनिश्चित करेगा, जिसे काम करने के तरीके पेपर-मोड के साथ पूरा किया जाएगा।
- यह विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन रोग निगरानी मंच है।
- यह राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अनुरूप है।

जैविक खतरे

देश को तीन प्रमुख जैविक खतरों का सामना करना पड़ रहा है:

1. मनुष्यों, पौधों या जानवरों में स्वाभाविक रूप से होने वाले संक्रमण

- भारत अधिकतर प्राकृतिक रूप से होने वाले कृषि संक्रमणों का सामना करता है, जैसे हाल ही में टिड्डियों का हमला; ऐसे रोग जो जानवरों को प्रभावित करते हैं और ये मनुष्यों को संक्रमित नहीं करते हैं, जैसे कि बर्ड फ्लू का प्रकोप और जूनोटिक संक्रमण जो जानवरों से मनुष्यों में फैल गए, जैसे कि COVID-19।
- फिर भी, संक्रमण से निपटने के लिए देश के पास उचित रणनीति नहीं है।
- इसके बजाय, यह एक प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, एक बार आपदा आने पर आपातकालीन समितियों, तदर्थ प्रतिक्रिया पैनल और समूहों का आयोजन करता है।

2. प्रयोगशालाओं से अनजाने में रोग पैदा करने वाले रोगजनकों का प्रदर्शन

- देश ने अब तक रोगजनकों के आकस्मिक उठने का कोई मामला दर्ज नहीं किया है। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसजेनिक फसलों की अवैध खेती होती रही है।
- ट्रांसजेनिक फसलों की यह अवैध वृद्धि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान की सुरक्षा बनाए रखने के लिए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को चुनौती देती है।

3. जैव आतंकवाद

- इस श्रेणी के जोखिमों में आतंकवादी या अन्य बुरे अभिनेता शामिल हैं जो जैविक हथियार बनाने के लिए जानबूझकर जैव प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग कर रहे हैं जो मनुष्यों, जानवरों या फसलों को प्रभावित कर सकते हैं।
- भारत अब तक जैव आतंकवाद का अनुभव न करने में भाग्यशाली रहा है।

क्या भारत तैयार है?

- भारत प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों स्रोतों से उत्पन्न होने वाले जैविक खतरों से निपटने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का अनुसरण करता है। हालांकि, इन जोखिमों को प्रबंधित करने की इसकी क्षमता में कुछ स्पष्ट कमियां हैं।
- भारत में खराब रोग-निगरानी नेटवर्क के कारण प्रकोपों का समय पर पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
- जूनोटिक संक्रमणों को रोकने के लिए मंत्रालयों के बीच अपर्याप्त समन्वय प्रतिक्रिया को जटिल बनाता है।
- वैज्ञानिक अनुसंधान में निराशाजनक निवेश सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में शामिल शोधकर्ताओं को हतोत्साहित करता है, जो खतरनाक जीवों के विरुद्ध पहचान, उपचार और टीकाकरण की क्षमता विकसित करके मदद करते हैं।
- विभिन्न मंत्रालयों के तहत काम कर रहे संगठनों की बहुलता से देश भर में जैव सुरक्षा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है।
- **विशेषज्ञों का न्यूनतम हस्तक्षेप:** जानबूझकर जैविक हमलों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरों के बारे में चर्चा अक्सर बंद नीति मंडलों तक सीमित होती है जिसमें सरकार के बाहर के विशेषज्ञों का न्यूनतम या कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।
- खराब जैव सुरक्षा जागरूकता ने जानबूझकर स्रोतों से उभरने वाले खतरों के प्रति भारत की तैयारी को और जटिल बना दिया है।

आगे की राह

- **समर्पित सरकारी निकाय की आवश्यकता:** संक्रामक रोगों का प्रसार एक दीर्घकालिक, बार-बार उभरने वाला खतरा है और भारत के सभी तीन प्रकार के जैविक खतरों को रोकने और कम करने के लिए सरकारी निकाय की आवश्यकता है।
- **NDMA के साथ एकीकरण:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत जैविक खतरों की तैयारी और प्रतिक्रिया का पूर्णकालिक कार्यालय इस संबंध में एक संभावित विकल्प है। यह कार्यालय नोडल एजेंसी बन सकता है जो विभिन्न मंत्रालयों के विशेषज्ञों, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों और अकादमिक और वैज्ञानिक समुदायों के पेशेवरों को एक साथ लाता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- यूनिवर्सल बायो-डिटेंस

स्पुतनिक V आपातकालीन उपयोग के लिए अनुशंसित

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - हेल्थ

सुर्खियों में-

- विषय विशेषज्ञ समिति (SEC) की बैठक के बाद भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए रूस के COVID-19 वैक्सिन - स्पुतनिक V - की सिफारिश की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तथा स्पुतनिक वी भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सिन के बाद उपलब्ध होने वाला तीसरा टीका होगा।

- स्पुतनिक वी को रूस के गैमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है
 - यह 90% से अधिक की प्रभावकारिता के साथ विश्व के तीन टीकों में से एक होने का दावा करता है।
 - वैश्विक बाजार के लिए वैक्सीन की आपूर्ति भारत, ब्राजील, चीन, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों में रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष (RDIF) के अंतरराष्ट्रीय भागीदारों द्वारा की जाएगी।
-

आहार क्रांति का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - हेल्थ

सुर्खियों में-

- हाल ही में 'आहार क्रांति' मिशन शुरू किया गया।
- **मंत्रालय:** स्वास्थ्य मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- **उद्देश्य:** यह पोषण तथा भारत में स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों तक पहुंच स्थापित करने के बारे में समर्पित एक मिशन है।
- **शुरू किया गया:** विज्ञाना भारती (विभा), 'ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट्स एंड टेक्नोक्रेट्स' फोरम (जीआईएसटी)
- इसका आदर्श वाक्य है- उत्तम आहार-उत्तम विचार या अच्छा आहार-अच्छी अनुभूति।
- "आहार क्रांति" आंदोलन को भारत और दुनिया में बहुतायत में भूख और बीमारियों की गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार किया गया है।
- इसके अलावा विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मंत्रालय तथा एजेंसियां के अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त निकाय, विज्ञानप्रसार तथा प्रवासी भारतीय अकादमिक और वैज्ञानिक संपर्क (प्रभास) भी इस सहयोगात्मक प्रयास का एक हिस्सा बन गए हैं।
- **फोकस:** इस कार्यक्रम में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो प्रशिक्षण के बाद अनेक छात्रों को इस कार्यक्रम का संदेश देंगे जो छात्रों के माध्यम से उनके परिवारों तक पहुंचेगा और आखिर में बड़े पैमाने पर समाज में इसका प्रचार होगा।
- पोलियो उन्मूलन के लिए ऐसी रणनीति अपनाई गई और यह बड़ी सफलता साबित हुई।

क्या आप जानते हैं?

- अध्ययनों का अनुमान है कि भारत जितनी कैलोरी का उपभोग करता है उससे दो गुना अधिक उत्पादन करता है।
 - हालांकि, देश में कई अभी भी कुपोषित हैं।
 - इस अजीब घटना का मूल कारण हमारे समाज के सभी वर्गों में पोषण संबंधी जागरूकता की कमी है।
 - संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में फलों और सब्जियों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है।
 - संयुक्त राष्ट्र सतत लक्ष्य #3 मानव कल्याण पर जोर देता है।
-

पोषण ज्ञान का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - हेल्थ

सुर्खियों में-

- हाल ही में पोषण ज्ञान को शुरू किया गया है।
- यह स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है।
- **द्वारा शुरू किया गया:** नीति आयोग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज, अशोका यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में,

महत्वपूर्ण तथ्य

- पोषण ज्ञान भंडार की संकल्पना एक संसाधन के रूप में की गई है।
- पोषण ज्ञान डिजिटल कोष को एक संसाधन के रूप में अवधारणाबद्ध किया गया, जिसे विभिन्न भाषाओं, स्वास्थ्य प्रकारों, लक्षित उपयोगकर्ताओं और स्रोतों में स्वास्थ्य एवं पोषण के 14 विषयगत क्षेत्रों पर संचार सामग्री की खोज के लिए सक्षम किया गया है।
- इस कोष के लिए आवश्यक डिजिटल सामग्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों तथा विकास संगठनों से प्राप्त हुई थी।
- यह एक अनूठी क्राउडसोर्सिंग सुविधा पेश करता है जो किसी को भी वेबसाइट पर शामिल करने के लिए संचार सामग्री जमा करने की अनुमति देता है, इसके बाद एक नामित समिति द्वारा समीक्षा की जाती है।

कोविड -19 टीकाकरण: चुनौतियां, चीनी मॉडल और आगे की राह

सन्दर्भ : आठ महीने पहले, भारत ने दैनिक कोविड -19 संक्रमणों में इस हद तक गिरावट शुरू कर दी थी कि कई विशेषज्ञों का मानना था कि भारत में विनाशकारी दूसरी लहर की संभावना नहीं थी। हालाँकि, कोविड -19 की दूसरी लहर ने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को लगभग ध्वस्त कर दिया है।

- इसके अलावा, महामारी को रोकने के लिए भारत के विकल्प कम होते जा रहे हैं क्योंकि अब यह एक और लॉकडाउन को वहन कर सकता है। इस संदर्भ में, घबराहट, जनता के दबाव और संकट की भयावहता के संयोजन ने केंद्र सरकार को 18 से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टीके अधिकृत करने और राज्यों को खरीद पर अधिक नियंत्रण देने के लिए प्रेरित किया है।

वैक्सीन के त्वरित रोलआउट से संबंधित समस्याएं

- **वैक्सीन की कमी:** मामलों में वृद्धि के बीच उत्पादन बढ़ाने और टीकों की आपूर्ति और प्रबंधन में समस्याएं जारी हैं। प्रति दिन तीन मिलियन खुराक की आशावादी दर पर, प्रत्येक वयस्क को कम से कम एक बार लेने में अप्रैल से कम से कम 260 दिन लगेंगे।
- **टीकाकरण नीति बदलना:** जनवरी 2021 की शुरुआत में भारत की विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई प्रक्रियाएं इस धारणा के तहत थीं कि टीकों को सभी के लिए पूरी तरह से खोले जाने से पहले यह कम से कम अगस्त होगा। टीकों की कमी को देखते हुए, भारत एक एकल या सार्वभौमिक नीति नहीं रख सकता है इसे और अधिक लक्षित बनाने की आवश्यकता है।
- **राज्यों की कमजोर बार्गेनिंग शक्ति:** फाइजर और मॉडेर्ना जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वैक्सीनेटरों की आपूर्ति प्रतिबद्धताएं पहले से ही जुड़ी हुई हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि केवल वैक्सीन आपूर्ति को उदार बनाने के नीतिगत कदम से भारत में टीके राज्यों के पास पर्याप्त स्टॉक खरीदने के लिए वित्त और बातचीत की शक्ति होगी।
- **राज्यों के बीच असमान पहुंच:** राज्यों को उनके अपने साधनों पर छोड़ने से केवल नीतिगत असंगति बढ़ेगी और विभिन्न वित्तीय क्षमता वाले राज्यों और स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के बीच असमान पहुंच होगी।

- **कच्चे माल की कमी:** संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत जरूरी कच्चे माल - बैग, शीशियों, सेल कल्चर मीडिया, सिंगल-यूज ट्यूबिंग, विशेष रसायनों आदि को प्राप्त करने में असमर्थता, जिन्हें अब निर्यात के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, भारत में उत्पादन वैक्सीन को बाधित कर दिया है।
- **वैश्विक प्रतिबद्धताओं को संतुलित करना:** एक अन्य मुद्दा अंतरराष्ट्रीय दायित्वों से संबंधित है। वैश्विक गठबंधन कार्यक्रम कोवैक्स ने अब तक 84 देशों को 3.8 मिलियन खुराकों का वितरण किया है, जबकि 2.8 मिलियन खुराक भारत में। इसलिए उस दायित्व का पालन करना पड़ सकता है क्योंकि उन्हें अपनी दूसरी खुराक की आवश्यकता होगी।

चीन में COVID-19 वायरस कैसे था? - आवासीय समितियों द्वारा तारकीय भूमिका

- जमीनी स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आवासीय समितियों (आरसी) ने निभाई। हालांकि आधिकारिक तौर पर राज्य का हिस्सा नहीं है और स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में परिभाषित किया गया है, ये समितियां प्रभावी शासन और राजनीतिक नियंत्रण के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के उपकरण हैं।
- उन्हें प्रशासनिक कार्यों को करने, नीति को लागू करने, स्थानीय विवादों में मध्यस्थता करने और सार्वजनिक निगरानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने, बुजुर्गों की देखभाल आदि में सरकारी एजेंसियों की सहायता करने का अधिकार है।
- केंद्रीय नेतृत्व ने श्रमिकों के लाभ के लिए सब्सिडी, स्वास्थ्य उपकरण का प्रावधान, बीमा, प्रचार और अन्य संस्थागत समर्थन जैसे प्रावधान किए। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा संसाधनों और अधिकार को केंद्रीय से स्थानीय संगठनों तक पहुंचाने के लिए स्पष्ट चैनल स्थापित किए गए थे।

आगे की राह

- **बड़े पैमाने पर मल्टीमीडिया अभियान:** यदि नए लॉकडाउन से बचना है, तो हमें सूचना, शिक्षा और संचार के लिए बड़े पैमाने पर मल्टीमीडिया अभियानों में निवेश करके मास्क को लागू करने की आवश्यकता है, जैसे कि पोलियो और एचआईवी के लिए किया गया था।
- **वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना:** इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) प्रणाली को बढ़ाने से देश के सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स में वैक्सीन स्टॉक और भंडारण तापमान पर वास्तविक समय की जानकारी बढ़ेगी।
- **घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना:** सरकार को वैक्सीन निर्माताओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक वित्तीय पैकेज देना चाहिए जिससे उनकी उत्पादन सुविधाओं का विस्तार किया जा सके और उनकी आपूर्ति श्रृंखला में सुधार किया जा सके।
- **चीन के RC मॉडल से सीख:** कई शहरी क्षेत्रों में आवासीय संघ और स्थानीय सरकारें हैं जो चीन में RC के समान ही संचालित कर सकती हैं। हालांकि, यह एक केंद्रीकृत कार्य योजना के बिना नहीं किया जा सकता है, जो इस मॉडल का प्रमुख पहलू है।

कोविड-19 टीकों के लिये विभेदक मूल्य निर्धारण

सन्दर्भ : सुप्रीम कोर्ट ने महामारी से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई के दौरान, टीकों के लिए अंतर मूल्य निर्धारण को हरी झंडी दिखाई, और केंद्र सरकार को अपने हलफनामे में मूल्य निर्धारण के आधार और औचित्य को स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

सरकार दवाओं के मूल्य निर्धारण को कैसे नियंत्रित करती है?

- आवश्यक दवाओं के मूल्य निर्धारण को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के माध्यम से केंद्रीय स्तर पर नियंत्रित किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ड्रग्स मूल्य नियंत्रण आदेश (Drug Price Control Order-DPCO) लागू किया गया है।
- ड्रग्स मूल्य नियंत्रण आदेश ने 800 से अधिक आवश्यक दवाओं को सूचीबद्ध करते हुए उनके मूल्य पर नियंत्रण स्थापित किया।

- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) एक स्वायत्त निकाय है, जो देश में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक दवाओं (NLEM) एवं उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी।

क्या सरकार DPCO के माध्यम से Covid-19 के टीकों की कीमत को नियंत्रित कर सकती है?

- DPCO के माध्यम से कोई भी नियमन पेटेंट दवाओं या निश्चित खुराक संयोजन (FDC) दवाओं पर लागू नहीं होता है।
- यही कारण है कि एंटीवायरल ड्रग रेमेडीविर (remdesivir), जो वर्तमान में कोविड-19 के गंभीर मामलों के उपचार के लिये काफी प्रचलित है, की कीमत सरकार द्वारा विनियमित नहीं की जा रही है।
- हाल ही में, सरकार ने कहा कि उसके अनुरोध पर रेमेडिसविर इंजेक्शन के प्रमुख निर्माताओं/विपणकों ने अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में स्वैच्छिक कमी की सूचना दी थी।
- वैश्विक स्तर पर, अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी फर्म गिलियड साइंसेज के पास इस दवा का पेटेंट है। कई दवा कंपनियों ने गिलियड से रेमेडिसविर बनाने का लाइसेंस हासिल किया है।
- कोविड -19 के उपचार में उपयोग किये जाने वाले कोविड-19 के टीके या दवाओं के लिये संशोधन करना आवश्यक है जैसे-DPCO के तहत रेमेडिसविर को शामिल करना।

टीकों के मूल्य निर्धारण के लिये उपलब्ध अन्य कानूनी रास्ते

1. पेटेंट अधिनियम, 1970

- कानून में दो प्रमुख प्रावधान हैं जिन्हें संभावित रूप से टीके के मूल्य निर्धारण को विनियमित करने के लिए लागू किया जा सकता है।
- इस अधिनियम की धारा 100 केंद्रीय सरकार को सरकार के प्रयोजनों के लिये आविष्कारों का उपयोग करने की शक्ति प्रदान करती है। यह प्रावधान सरकार को विनिर्माण में तेजी लाने और समान मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिये विशिष्ट कंपनियों को वैक्सीन के पेटेंट का लाइसेंस देने में सक्षम बनाता है।
- अधिनियम की धारा 92 केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपातकाल या सार्वजनिक तात्कालिकता के मामले में अनिवार्य लाइसेंस देने का अधिकार देता है।
- सरकार द्वारा धारा 92 के तहत अधिसूचना जारी करने के बाद, फार्मा कंपनियां उत्पाद को रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा निर्माण शुरू करने के लिए लाइसेंस के लिए सरकार से संपर्क कर सकती हैं।
- COVID-19 टीकों के संबंध में चुनौतियां: हालांकि, कोविड-19 जैसे जैविक टीकों के मामले में, भले ही सामग्री और प्रक्रियाएं अच्छी तरह से ज्ञात हों, फिर भी इस प्रक्रिया को दोहराना मुश्किल है। इस प्रक्रिया में सुरक्षा और प्रभावोत्पादकता स्थापित करने के लिए नए नैदानिक परीक्षण भी शामिल होंगे, जो अनिवार्य लाइसेंसिंग को कम आकर्षक बनाता है।

2. महामारी रोग अधिनियम, 1897:

- टीकों के मूल्य निर्धारण को विनियमित करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाया गया एक अन्य कानूनी मार्ग महामारी रोग अधिनियम है। सरकार ने महामारी के प्रकोप से लड़ने के लिये इसे मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है।
- इस अधिनियम की धारा 2 सरकार को विशेष उपाय करने और महामारी के दौरान विशेष नियम निर्धारित करने का अधिकार देती है।
- अधिनियम के अंतर्गत अपरिभाषित शक्तियों का व्यापक उपयोग मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने के लिये किया जा सकता है।

आगे की राह

- इन कानूनी उपायों के अतिरिक्त विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार समान मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिये निर्माताओं से प्रत्यक्ष खरीद के मार्ग पर विचार का सकती है, क्योंकि एक खरीदार के रूप सरकार के पास सौदेबाजी (bargaining) या मोल-भाव करने की शक्ति अधिक होगी।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- महामारी रोग अधिनियम

विराफिन को मिली आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-द्वितीय - स्वास्थ्य और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक सुर्खियों में-

- ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने कोरोना संक्रमित व्यस्कों के लिए जायडस कैडिकल (ZyduCadila) की विराफिन दवा को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- विराफिन एक पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा -2 बी (PegIFN) है, जिसे संक्रमण की शुरुआत वाले कोरोना मरीजों को त्वचा के नीचे इंजेक्शन के रूप में दिया जाए तो इससे मरीज अन्य मरीजों की तुलना में जल्दी ठीक हो जाएंगे।
- क्लीनिकल परीक्षणों ने विराफिन की सुरक्षा, सहनशीलता और प्रभावकारिता की पुष्टि की है।
- अध्ययनों में यह बताया गया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों में जिन मरीजों को त्वचा के नीचे इंजेक्शन के रूप में विराफिन दी गई थी, इस दवा के माध्यम से कोरोना संक्रमित मरीजों में ऑक्सीजन का स्तर घटने से सांस लेने में हो रही कठिनाइयों को कम किया जा सकता है।



IAS baba

BABAPEDIA
(Prelimspedia + Mainspedia) 2021

One Stop Destination For UPSC Current Affairs
(Prelims And Mains)







CONTACT US: ✉ ilp@iasbaba.com ☎ 8429688885 | 9169191888

सरकारी योजनाएँ

AIM-प्राइम का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - इनोवेशन; उद्यमिता

सुर्खियों में-

- हाल ही में अटल नवाचार मिशन (Atal Innovation Mission- AIM), नीति आयोग (NITI Aayog) ने एआईएम-प्राइम (AIM-PRIME- नवाचार, बाज़ार परकता और उद्यमिता पर शोध कार्यक्रम) का शुभारंभ किया।
- यह मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार द्वारा की गई एक प्रमुख पहल है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस संबंध में, एआईएम ने इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के साथ साझेदारी की है।
- जिसे एक गैर-लाभकारी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर 'वेंचर सेंटर' (Venture Center) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- कार्यक्रम का सबसे पहले लाभ मजबूत विज्ञान-आधारित गहन प्रौद्योगिकी बिजनेस आइडिया के साथ प्रौद्योगिकी विकसित करने वालों (शुरुआती-चरण वाले प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप, और वैज्ञानिकों / इंजीनियरों / चिकित्सकों) को मिलेगा।
- यह कार्यक्रम एआईएम द्वारा अनुदान प्राप्त अटल इनक्यूबेशन सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए भी खुला है, जो गहन प्रौद्योगिकी उद्यमियों (deep tech entrepreneurs) को मदद उपलब्ध करा रहे हैं।

क्या आप जानते हैं?

- गहन प्रौद्योगिकी (Deep technology) उच्च स्तर की ज्ञान सामग्री पर आधारित बहुत सघन अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) का परिणाम है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य 12 महीने की अवधि के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से विज्ञान आधारित ठोस प्रौद्योगिकी (Deep Technology) के विचारों को बढ़ावा देना है।

संकल्प से सिद्धि का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खियों में-

- संकल्प से सिद्धि- गाँव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम (Sankalp se Siddhi - Village and Digital Connect Drive) हाल ही में शुरू किया गया।
- द्वारा लॉन्च किया गया: ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (TRIFED)
- मंत्रालय: जनजातीय मामलों के मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह 100 दिन का अभियान है जिसे 1 अप्रैल, 2021 से शुरू किया गया था।
- इसमें 150 टीमों शामिल होंगी, जो प्रत्येक दस गांवों का दौरा करेंगी।
- एक वन धन विकास केंद्र का निर्माण किया जाता है।
- उद्देश्य: इन गांवों में एक वन धन विकास केंद्र का निर्माण को सक्रिय करना।
- वन धन विकास योजना के तहत ही वन धन विकास केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं।

- वन धन विकास केंद्रों (VDVK) का उद्देश्य आदिवासियों को कौशल उन्नयन एवं क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना तथा प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन सुविधाओं की स्थापना करना है।
- **ट्राइफूड का उद्देश्य:** यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। इस योजना के तहत गौण वन उपजों के गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है।

झारखंड सरकार द्वारा समर अभियान

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खियों में-

- राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए झारखंड सरकार द्वारा “SAAMAR अभियान” (कुपोषण और एनीमिया में कमी के उन्मूलन के लिए रणनीतिक कार्रवाई) अभियान शुरू किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करना और अभियान कुपोषण की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई विभागों को एकजुट करता है।
- इसमें 1000 दिनों के लक्ष्य के साथ SAAMAR अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत, प्रगति पर नजर रखने के लिए वार्षिक सर्वेक्षण किया जाएगा।
- किसी में एनीमिया और कुपोषण के लक्षण दिखने पर निकटतम आंगनवाड़ी केंद्रों पर जांच कराई जाएगी। वहीं, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को समुचित इलाज के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजा जायेगा।
- इसी प्रक्रिया में एनीमिक महिलाओं को भी सूचीबद्ध किया जाएगा और गंभीर मामलों में स्वास्थ्य केंद्रों पर रेफर किया जाएगा।
- आंगनवाड़ी की सहायिका और सेविका उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएंगी जहां उनकी दोबारा जांच की जाएगी और फिर राज्य पोषण मिशन के पोर्टल पर उनका पंजीकरण कराया जाएगा।

उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड

संदर्भ: उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 में उत्तराखंड राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था।

इसी अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने 15 जनवरी, 2020 को उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया।

- इस बोर्ड के तहत, वर्तमान में 53 मंदिर हैं, जिनमें चार तीर्थ-बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री- और इन मंदिरों के आसपास स्थित अन्य मंदिर शामिल हैं।
- तीर्थ बोर्ड मंदिरों के प्रबंधन के लिए सर्वोच्च शासी निकाय है, जिसके पास नीतियां बनाने, इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए निर्णय लेने, बजट तैयार करने और व्यय को मंजूरी देने की शक्तियां हैं।
- बोर्ड मंदिरों में निहित निधियों, मूल्यवान प्रतिभूतियों, आभूषणों और संपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा, रोकथाम और प्रबंधन के लिए भी निर्देश दे सकता है।
- देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सरकार ने वित्तीय और नीतिगत निर्णयों पर नियंत्रण कर लिया है।

पहले व्यवस्था क्या थी ?

- इससे पहले, श्री बद्रीनाथ-श्रीकेदारनाथ मंदिर समिति द्वारा श्रीबद्रीनाथ-श्रीकेदारनाथ अधिनियम, 1939 दो मंदिरों (बद्रीनाथ और केदारनाथ) और 45 मंदिरों के प्रबंधन के लिए जगह में था।
- समिति की अध्यक्षता सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति करते थे जबकि अखिल भारतीय सेवा का एक अधिकारी सीईओ हुआ करता था।

- बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित उन 45 मंदिरों और उनके आसपास के दान, धन और विकास कार्यों के उपयोग से संबंधित सभी निर्णय उसी समिति द्वारा लिए गए और सरकार ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया।
- गंगोत्री और यमुनोत्री में, मंदिरों का प्रबंधन पहले स्थानीय ट्रस्टों के नियंत्रण में था और सरकार को भक्तों द्वारा किए गए दान से कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था।

कौन विरोध कर रहा है और क्यों?

- बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में धर्मशालाएं और दुकानें चलाने वाले पुजारियों, पंडों, डिमरी और अन्य लोगों ने देहरादून में विरोध प्रदर्शन किया।
- उन्होंने आरोप लगाया कि श्राइन बोर्ड से सरकार पूरे इलाके और चंदे पर नियंत्रण हासिल कर लेगी
- कुछ लोगों का तर्क है कि हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज द्वारा शासित किया जाना चाहिए और मंदिरों की संपत्तियों और धार्मिक प्रणालियों के प्रबंधन पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए।

क्या कहती है सरकार?

- **न्यायपालिका द्वारा बरकरार रखे गए अधिनियम की संवैधानिक वैधता:** जुलाई 2020 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 2019 अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने माना कि चार धाम और संबंधित मंदिर सार्वजनिक मंदिर हैं जिनके धर्मनिरपेक्ष कार्यों को सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए कानून द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
- **सरकार की जिम्मेदारी और अधिकार:** जब सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को देखती है, तो सरकार को धन के उपयोग और क्षेत्र के नियोजित विकास पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा अधिकार देवस्थानम बोर्ड सरकार को देता है।
- **लोक सेवाओं को बढ़ाता है:** राज्य सरकार का तर्क है कि जनता देवस्थानम बोर्ड के समर्थन में है क्योंकि वे वहां अच्छी सेवाएं चाहते हैं और सरकार केवल उन्हें ये सेवाएं प्रदान करती है।
- **हितधारक अधिकार सुरक्षित:** सरकार ने तीर्थ पुरोहितों, रावल और पंडों के अधिकारों की रक्षा करने वाला पद पेश किया है। इसलिए यह अधिनियम परंपराओं और धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है बल्कि केवल मंदिरों के धर्मनिरपेक्ष कार्यों को विनियमित कर रहा है।

NCSC ने “ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल” का शुभारम्भ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-द्वितीय - नीतियां और हस्तक्षेप सुर्खियों में-

- भारत सरकार ने "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) का ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल" का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह NCSC शिकायत प्रबंधन पोर्टल देश के किसी भी हिस्से से अनुसूचित जाति की आबादी के लिए अपनी शिकायत दर्ज करना आसान बना देगा।
- इस पोर्टल को भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स (BISAG-N), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत उत्कृष्टता केंद्र के साथ मिलकर डिजाइन किया गया है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत NCSC की स्थापना की गई थी

- **उद्देश्य:** किसी भी कानून के तहत या भारत सरकार के किसी भी आदेश के तहत अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मुद्दों की जांच और निगरानी करना।

शिक्षा और परीक्षा: प्रारंभिक मूल्यांकन

संदर्भ: COVID-19 मामलों में भारी उछाल का सामना करते हुए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की दसवीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर दी और 4 मई से होने वाली बारहवीं कक्षा की परीक्षा स्थगित कर दी।

चुनौतियां क्या हैं?

- **उच्च शिक्षा में प्रवेश पर प्रभाव:** विभिन्न बोर्डों की परीक्षाओं को संरचित करना एक व्यावहारिक आवश्यकता है क्योंकि उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश समान रूप से किया जाना चाहिए और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए।
- **आकलन की पारंपरिक पद्धति के साथ चुनौतियां:** अब चुनौती यह है कि ऐसे रचनात्मक आकलन किए जाएं जहां पेन-पेंसिल की वार्षिक परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकतीं।
- **आकलन के संबंध में अस्पष्टता:** छात्रों को प्रारंभिक शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रकृति के बारे में आश्चर्य होता है जो कि पिछले वर्ष के दौरान उनके दसवीं कक्षा के प्रदर्शन पर लागू होगा, जिसे ऑनलाइन कक्षाओं और टीवी-आधारित निर्देश में बदलाव द्वारा चिह्नित किया गया था।

फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है?

- वार्षिक हाई-स्टेक पब्लिक स्कूल परीक्षा को योगात्मक मूल्यांकन के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस साल महामारी के कारण इसे रद्द या स्थगित करना पड़ा।
- वर्तमान में, शैक्षणिक प्रणाली को निरंतर मूल्यांकन तकनीकों या अन्य मेट्रिक्स पर पीछे हटना पड़ा। इसे रचनात्मक मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है।
- यूनेस्को के अनुसार, इस पैटर्न के प्रमुख पहलू अवलोकन, प्रश्नोत्तरी, असाइनमेंट और फीडबैक का उपयोग हैं।

स्कूलों ने कैसे प्रतिक्रिया दी है?

- केंद्र के नवीनतम कार्यवाही के बाद, प्रमुख सीबीएसई स्कूलों का कहना है कि उन्हें व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने दसवीं कक्षा के लिए समय-समय पर आंतरिक परीक्षा, अभ्यास के साथ-साथ "प्री-बोर्ड" परीक्षण आयोजित किया था। यह छात्रों के मूल्यांकन के लिए उपयोगी होगा।
- सीबीएसई ने 2009-10 में एक सतत और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) ढांचे के माध्यम से एक प्रारंभिक मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत की, लेकिन आठ साल बाद दसवीं कक्षा के लिए अनिवार्य सार्वजनिक परीक्षा के पक्ष में इसे छोड़ दिया।
- सीबीएसई में दसवीं कक्षा के लिए एक सार्वजनिक परीक्षा फिर से शुरू करने के निर्णय का सरकार द्वारा बचाव किया गया था क्योंकि राज्य और अन्य बोर्डों के 1.93 करोड़ माध्यमिक छात्रों के खिलाफ भेदभाव को दूर किया गया था, जिन्होंने एकिजट परीक्षा देना जारी रखा था।

क्या सभी स्कूल निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन कर सकते हैं?

- ठोस रचनात्मक आकलन करने के लिए स्कूलों की क्षमताओं का प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि सभी में समान सुविधाएं नहीं हैं।
- जबकि सीबीएसई स्कूल अधिक शहरीकृत हो सकते हैं, अन्य बोर्डों के लिए तस्वीर मिली-जुली है।
- शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के आंकड़ों से पता चलता है कि सभी प्रबंधन के तहत 2017-18 में, 1,88,742 ग्रामीण स्कूल और 83,207 शहरी स्कूल थे।

- उसी वर्ष के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि केवल 4% ग्रामीण परिवारों और 23% शहरी परिवारों के पास कंप्यूटर था।
- इंटरनेट का उपयोग 15% ग्रामीण और 42% शहरी परिवारों तक सीमित था।

आगे की राह

- वास्तव में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने भी रटने पर जोर नहीं दिया था और CCE जैसे ढांचे की सिफारिश की थी।
- NEP 2020 छात्रों को "एक ही स्ट्रीम में सामग्री / सामग्री के एक बहुत ही संकीर्ण बैंड को सीखने" के लिए मजबूर करने के लिए मौजूदा बोर्ड परीक्षाओं को सीखने और आलोचना करने के लिए (रचनात्मक) मूल्यांकन पर जोर देता है।
- इसलिए, भविष्य के सुधारों को दो मोर्चों पर काम करना होगा - प्रत्येक छात्र के लिए कक्षाओं में या दूर से सीखने की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, और मैट्रिक्स के वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन किए गए सेट के माध्यम से रचनात्मक मूल्यांकन को संभव बनाना।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- बोर्ड परीक्षाओं की आलोचना

शिशु बच्चा और देखभाल करने वाले के अनुकूल पड़ोस (ITCN) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खियों में-

- हाल ही में 'शिशु बच्चा और देखभाल करने वाले के अनुकूल पड़ोस (ITCN) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम' शुरू किया गया।
- **लॉन्च किया गया:** बर्नार्ड वैन लीयर फाउंडेशन (BvLF) के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान (NIUA)।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस कार्यक्रम को भारत में शहरों के भीतर छोटे बच्चों और परिवार के अनुकूल पड़ोस विकसित करने के लिए शहर के अधिकारियों और युवा पेशेवरों की क्षमता बनाने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है।
- NULP, MoHUA और NIUA द्वारा ज्ञान प्रसार के लिए विकसित मंच है।

अन्य संबंधित तथ्य

- शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान (एनआईयूए), भारत में शहरी क्षेत्र के लिए अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक प्रमुख संस्थान है।
- इसकी स्थापना 1976 में हुई थी।
- राष्ट्रीय शहरी शिक्षण मंच (NULP) की परिकल्पना शहरी हितधारकों के लिए आवश्यक प्रमुख कौशल और ज्ञान को डिजिटल रूप से समेकित करने और सभी अभिनेताओं को उनकी पसंद के चैनल पर उपलब्ध कराने के साधन के रूप में की गई है।

एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2021

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खियों में-

- कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनिजों और कोयला खनन अधिकारों के लिए नीलामी प्रक्रिया के नवीनीकरण को कारगर बनाने के लिए लोकसभा में 2021 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक पेश किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **बंदी खानों द्वारा खनिजों की बिक्री:** विधेयक में प्रावधान है कि बंदी खदानें (परमाणु खनिजों के अलावा) अपनी स्वयं के जरूरतों को पूरा करने के बाद, खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज उत्पादन का 50% तक बेच सकती हैं।
- ऑपरेटरों को वर्तमान में केवल अपने औद्योगिक उपयोग के लिए कैप्टिव खानों से निकाले गए कोयले और खनिजों का उपयोग करने की अनुमति है।
- खनिकों (Miner) के लिये लचीलेपन में वृद्धि के कारण कैप्टिव खानों से अधिक-से-अधिक उत्पादन करने की अनुमति मिलेगी क्योंकि वे अब अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन को बेचने में सक्षम होंगे।
- इसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए खनन पट्टों के विस्तार के लिए राज्यों को अतिरिक्त रॉयल्टी भुगतान तय करने का प्रस्ताव है।
- इस अधिनियम से नीलामी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी क्योंकि ऐसी धारणा है कि राज्य सरकारें कुछ मामलों में उनके पसंदीदा बोलीदाताओं को प्राथमिकता देती हैं तथा उन्हें लीज नहीं मिलने पर नीलामी प्रक्रिया रद्द करने का प्रयास करती हैं।

टू-चाइल्ड नॉर्म

संदर्भ: महाराष्ट्र जेल विभाग की एक महिला अधिकारी को दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करने और तीसरे बच्चे के संबंध में तथ्य को छिपाने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कि उसने महाराष्ट्र सिविल सेवा (छोटे परिवार की घोषणा) नियमों का उल्लंघन किया था क्योंकि उसने विभाग में अपनी नियुक्ति से पहले यह जानकारी छिपायी थी कि वह तीन बच्चों की मां हैं।

महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 'दो बच्चे' सेवा नियम क्या है?

- महाराष्ट्र, देश के उन कुछ राज्यों में से एक है जहां सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए या यहां तक कि कुछ स्थानीय सरकारी निकायों के चुनावों के लिए भी 'दो बच्चों' की नीति है।
- इन नियमों के तहत बच्चे की परिभाषा में गोद लिए गए बच्चे शामिल नहीं हैं।
- यह नियम राज्य सरकार को 'उचित और न्यायसंगत' तरीके से छूट देने का अधिकार भी देते हैं और ऐसे कारणों को दर्ज करने का आदेश देते हैं।
- अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, उत्तराखंड और असम में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए इसी तरह की बाल नीति है।

प्रावधान का विश्लेषण

- **उदाहरण के आधार पर:** जनसंख्या नियंत्रण के लिए दो-बाल नीति का पालन करने के लिए नागरिकों के सामने एक उदाहरण स्थापित करने के इरादे से सिविल सेवकों के लिए ये अनिवार्य मानदंड तैयार किए गए थे।
- **जनसंख्या नियंत्रण का उपकरण:** एक नीति के रूप में इसका उद्देश्य लोगों को सरकारी सेवा की संभावनाओं से रोककर दो से अधिक बच्चे पैदा करने से हतोत्साहित करना था।
- **उल्लंघन को रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधान:** अतीत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां कर्मचारियों ने विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके बच्चों की संख्या के बारे में झूठ बोलना है। कुछ लोगों पर 'लोक सेवकों द्वारा आपराधिक विश्वासघात' के लिए आईपीसी प्रावधान का भी आरोप लगाया गया है।
- **अभावग्रस्त क्रियान्वयन :** नियमों के तहत सेवारत कर्मचारियों की अयोग्यता दुर्लभ मामलों में की गई है। ज्यादातर मामलों में, मामले तब सामने आते हैं जब कोई कर्मचारी के दो से अधिक बच्चे होने के बारे में अधिकारियों से शिकायत करता है।

निष्कर्ष

जबकि देश में केवल कुछ राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय स्तर के चुनावों के लिए अनिवार्य नियम बनाए हैं, दो बच्चों का मानदंड कुछ ऐसा है जो इस मुद्दे पर अधिक सूचित सहमति और व्यापक कार्यान्वयन की मांग करता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली: सरकार के बदलाव और उसका प्रभाव

संदर्भ: भारत में अनौपचारिक रोजगार के प्रभुत्व को देखते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो एक औपचारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध पर निर्भर है, जो केवल कार्यबल के एक अंश को कवर करता है।

नई पेंशन योजना के बारे में

- पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) नामक एक नए नियामक के तहत 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के रूप में शुरू की गई, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए भाग लेने और निर्माण करने के लिए खुली है। सेवानिवृत्ति घोंसला-अंडा
- पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) नामक एक नए नियामक के तहत 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के रूप में शुरू की गई, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए भाग लेने और सेवानिवृत्ति का निर्माण करने के लिए खुली है।
- एनपीएस का आकार धीरे-धीरे बढ़ रहा है और अब यह ₹5.78 लाख करोड़ की बचत और कई बचत योजनाओं में 4.24 करोड़ खातों का प्रबंधन करता है।

PFRDA की योजना क्या है?

- **बचत का वार्षिकीकरण:** NPS से बाहर निकलने पर मिलने वाली एकमुश्त निकासी राशि पर कर छूट सीमा बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। इसके साथ ही समूची निकासी राशि अब आयकर से मुक्त हो जाएगी। (मौजूदा समय में वार्षिक तौर पर खरीद के लिये इस्तेमाल की गई कुल संचित राशि का 40 प्रतिशत कर मुक्त है। सेवानिवृत्ति के समय NPS के सदस्य द्वारा निकाली जाने वाली संचित राशि के 60 प्रतिशत में से 40 प्रतिशत कर मुक्त है, जबकि शेष 20 प्रतिशत राशि कर योग्य है।)
- **वार्षिकीकरण के लिए छूट:** जो सदस्य सेवानिवृत्ति के समय अपने एनपीएस खाते में ₹2 लाख तक जमा करते हैं, उन्हें अनिवार्य वार्षिकीकरण से छूट दी जाती है, और वे पूरी राशि निकाल सकते हैं।
- **नई छूट सीमा का प्रस्ताव:** हाल ही में, PFRDA के अध्यक्ष ने कहा कि इस सीमा को जल्द ही संशोधित कर ₹5 लाख किया जाएगा।
- मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति के समय ₹2.1 लाख तक पहुंच गया, तो उसे ₹84,000 (कॉर्पस का 40%) का वार्षिकी घटक मिलेगा, जो आज ₹400 या ₹450 प्रति माह की आय देगा। इसलिए, अब PFRDA ₹5 लाख तक की बचत करने वालों को अनुमति देगा कि यदि वे चाहें तो पूरी रकम निकाल सकते हैं।
- **अतिरिक्त फंड मैनेजर:** जल्द ही कम से कम तीन और फंड मैनेजरों की नियुक्ति होने की उम्मीद है, जिससे कुल मैनेजरों की संख्या दस हो जाएगी।
- हालांकि इस बदलाव के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होगी, वार्षिकी-मुक्त निकासी की सीमा 2 लाख रूपये से बढ़ाकर 5 लाख रूपये जल्दी की जा रही है।

क्या इस पुनर्विचार के लिए प्रेरित किया?

- **एनपीएस अभिदाताओं की शिकायतें:** घटती ब्याज दरों और वार्षिकी उत्पादों द्वारा दिए जाने वाले खराब प्रतिफल के कारण कुछ सदस्यों और विशेषज्ञों ने अनिवार्य वार्षिकीकरण खंड के बारे में शिकायतें शुरू कर दी थीं।

- **खराब रिटर्न:** चूंकि वार्षिकी कर योग्य हैं, इसलिए कर में कटौती और मुद्रास्फीति में फैक्ट्रिंग का मतलब है कि वार्षिकी नकारात्मक रिटर्न दे रही हैं। पिछले वर्ष की तुलना में खुदरा मुद्रास्फीति लगभग 5% -6% पर चल रही है, वार्षिकी पर रिटर्न वास्तव में नकारात्मक है, भले ही कोई कर में कारक न हो।

किए जा रहे परिवर्तनों का क्या प्रभाव है?

- लोगों को इस तरह के अनाकर्षक निवेश के लिए मजबूर करने से बचने के लिए, नियामक ने अपने नियमों में बदलाव किया है ताकि अपने पेंशन ग्राहकों को बेहतर रिटर्न की अनुमति मिल सके।
- पेंशन प्रणाली का लचीलापन अधिक लोगों को एनपीएस में निवेश करने में सक्षम बनाएगा क्योंकि इसे उनकी बचत पर सुरक्षित और जोखिम मुक्त रिटर्न माना जाएगा।
- अतिरिक्त निधि प्रबंधकों की नियुक्ति से पता चलता है कि सरकार एनपीएस के उपयोगकर्ता आधार के विस्तार और निधियों के कुशल उपयोग के माध्यम से इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए विचारशील है।

IAS baba

PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAM (PEP) - 2021

HISTORY AND ART & DAILY CLASS AND TESTS
(Offline And Online)

Rs. 2,800/- (+ 18% GST)

REGISTER NOW

IAS baba

PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAM (PEP) - 2021

GEOGRAPHY DAILY CLASS AND TESTS
(Offline And Online)

Rs. 2,800/- (+ 18% GST)

REGISTER NOW

अंतरराष्ट्रीय

विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतरराष्ट्रीय संबंध; स्वास्थ्य

सुर्खियों में-

- हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 'विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन' के अंतर्गत 'टीका उत्पादन और एशिया में वितरण' विषय पर एक वर्चुअल संगोष्ठी को संबोधित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **पहल:** होप कंसोर्टियम
- **उद्देश्य:** COVID-19 से निपटने के लिए दुनिया के दृष्टिकोण में सहयोग बढ़ाना और सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करना।
- **द्वारा होस्ट किया गया:** अबू धाबी
- प्रशंसित वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल और परोपकारी नेताओं, निर्णय निर्माताओं, विशेषज्ञों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए एक एकीकृत वैश्विक दृष्टिकोण का पता लगाने के शामिल हुए।

अन्य संबंधित तथ्य

आशा संघ

- **नेतृत्व:** स्वास्थ्य विभाग - अबू धाबी
- यह विश्व स्तर पर COVID-19 टीकों को वितरित करने के लिए एंड-टू-एंड समाधान के लिए अग्रणी ब्रांडों को एक साथ लाता है।

संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतरराष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान मध्यस्थों के जरिए परोक्ष बातचीत शुरू करेंगे ताकि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने से संबंधित समझौते पर दोनों देश वापस आ सकें।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह घोषणा दोनों देशों को 2015 के समझौते में वापस लाने के प्रयासों में पहली बड़ी प्रगति को चिह्नित किया, जिसने ईरान को अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से राहत के बदले अपने परमाणु कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका को समझौते से बाहर निकाल लिया था और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे।
- इसके अतिरिक्त ईरान ने उन्नत सेंट्रीफ्यूज पर अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने के साथ फोर्डो(Fordow) में फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया।
- ईरान के कदमों ने प्रमुख विश्व शक्तियों पर दबाव बढ़ा दिया और अमेरिकी सहयोगियों और पश्चिम एशिया में रणनीतिक भागीदारों के बीच तनाव बढ़ा दिया।

- वर्ष 2015 में वियना में ईरान और P5+1 देशों(चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ) के बीच संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action- JCPOA) के नाम से एक समझौता हुआ। इसी को आम भाषा में ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता है।

चीन की डिजिटल मुद्रा

संदर्भ: अपनी नई डिजिटल मुद्रा के पायलट परीक्षणों का नवीनतम दौर शुरू किया, जिसमें इस वर्ष के अंत तक और फरवरी 2022 में बीजिंग में वाले बीजिंग विंटर ओलम्पिक से पहले इस नई डिजिटल मुद्रा को व्यापक स्तर पर शुरू करने की योजना है।

जबकि कई देश डिजिटल मुद्राओं के साथ प्रयोग कर रहे हैं, कई शहरों में चीन के हालिया परीक्षणों ने इसे वक्र से आगे रखा है और यह देखने की पेशकश की है कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल निविदा डिजिटल भुगतान की दुनिया को कैसे प्रभावित कर सकती है।

चीन की डिजिटल मुद्रा के बारे में

- आधिकारिक तौर पर 'डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान' (Digital Currency Electronic Payment–DCEP) के रूप में घोषित, डिजिटल RMB अथवा रेंमिन्बी (Renminbi), चीन की मुद्रा का एक डिजिटल संस्करण है। ज्ञातव्य है, रेंमिन्बी या RMB चीन की मुद्रा को कहा जाता है।
- इसे, चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) द्वारा अधिकृत एप्लिकेशन के माध्यम से डाउनलोड और एक्सचेंज किया जा सकता है।
- चीन उन देशों के एक छोटे समूह में शामिल है, जो प्रायोगिक परीक्षण शुरू कर दिए हैं; अन्य में स्वीडन, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड शामिल हैं।

यह ई-वॉलेट से कैसे अलग है?

- भारत में पेटीएम, चीन में अलीपे या वीचैट पे जैसे ई-वॉलेट के विपरीत, डिजिटल RMB में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं है।
- उपयोगकर्ताओं के लिए, यह अनुभव आम तौर पर ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से, डिजिटल मुद्रा अलग है। यह केंद्रीय बैंक द्वारा प्रत्याभूत एक 'वैध मुद्रा' (legal tender) है, न कि किसी थर्ड-पार्टी ऑपरेटर द्वारा गारंटीकृत भुगतान।
- इसमें कोई थर्ड-पार्टी लेनदेन नहीं होता है, और इसलिए, इस पर कोई लेनदेन शुल्क नहीं लगता है।
- ई-वॉलेट के विपरीत, डिजिटल मुद्रा को इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं है। इसके द्वारा 'नियर-फील्ड कम्युनिकेशन' (NFC) तकनीक के माध्यम से भुगतान किया जाता है।
- इसके अलावा, गैर-बैंक भुगतान प्लेटफॉर्म के विपरीत, जिसके लिए उपयोगकर्ताओं को बैंक खातों को लिंक करने की आवश्यकता है, इसे एक व्यक्तिगत पहचान संख्या के साथ खोला जाता है, जिसका अर्थ है "चीन की असंबद्ध आबादी संभावित रूप से लाभान्वित होती है"।

चीन में इसका व्यापक रूप से उपयोग कैसे किया जा रहा है?

- PBOC ने नवंबर में कहा था कि पिछले साल COVID-19 महामारी के बाद शुरू किए गए परीक्षणों के बाद, \$300 मिलियन मूल्य के 4 मिलियन लेनदेन ने डिजिटल RMB का उपयोग किया था।
- चीनी नव वर्ष की छुट्टी के साथ फरवरी में परीक्षण के नवीनतम दौर में, बीजिंग ने लॉटरी के माध्यम से निवासियों को लगभग 1.5 मिलियन डॉलर की मुद्रा वितरित की, जिसमें प्रत्येक आभासी "लिफाफा" के साथ 200 आरएमबी (लगभग \$ 30) प्रत्येक निवासी को भेजा गया।

- शेन्जेन और सूझौ अन्य शहर थे जो पायलट परीक्षणों के हिस्से के रूप में मुद्रा वितरित करते थे, जो कि वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि आने वाले महीनों में विस्तारित किया जाएगा, शीतकालीन ओलंपिक से पहले एक व्यापक रोल-आउट की उम्मीद है।

इस योजना के पीछे क्या कारण हैं?

- **डिजिटल भुगतान बाजार पर निजी प्रभुत्व:** सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (सीएसआईएस) की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है, "डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ने चीन में वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने में मदद की है, लेकिन उन्होंने देश के पैसे को कुछ प्रौद्योगिकी कंपनियों के हाथों में रखा है।
- 2019 तक, अलीबाबा (जो Alipay से पीछे है) ने चीन में मोबाइल भुगतान के लिए 55.1% बाजार को नियंत्रित किया। Tencent (जो WeChat पे का मालिक है) ने अन्य 38.9% को नियंत्रित किया।
- चीनी अधिकारियों द्वारा परीक्षण चीनी नियामकों के कदमों से मेल खाता है, जिसमें अलीबाबा के कुछ इंटरनेट दिग्गजों को शामिल किया गया है
- **वित्तीय स्थिरता:** चीन की संप्रभु डिजिटल मुद्रा का एक प्रमुख उद्देश्य था "अगर Alipay और वीचैट पे को 'कुछ होता है' तो वित्तीय स्थिरता बनाए रखना।
- **क्रिप्टोकॉर्सेसी का काउंटर उदय:** चीनी नियामकों ने भी क्रिप्टोकॉर्सेसी के उदय को जंगी तरीके से देखा है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल आरएमबी अपने सिर पर विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकॉर्सेसी के तर्क को बदल देगा, बिना गोपनीयता और गुमनामी के, जो वे पेशकश करते हैं, नियामकों को लेनदेन पर पूर्ण नियंत्रण देते हैं।
- **वैश्विक प्रेरणाएँ:** चीन की सीमाओं से परे, DCEP रॉन्मिन्बी के अंतर्राष्ट्रीयकरण को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी

E9 पार्टनरशिप मीटिंग

भाग-जीएस प्रीलियम और जीएस - II - शिक्षा; अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

सुर्खियों में-

- शिक्षा मंत्री (भारत) ने E9 पहल पर E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक को संबोधित किया: सतत विकास लक्ष्य (SDG) 4 - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ाना।

अन्य संबंधित तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र (UN) के नेतृत्व में, E9 पार्टनरशिप पहली बार 1993 में स्थापित की गई थी।
- **E9 देश:** बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान।
- **उद्देश्य:** 2020 की वैश्विक शिक्षा बैठक प्राथमिकताओं में से तीन में शिक्षा प्रणालियों में तेजी से बदलाव लाकर SDG 4 एजेंडा को आगे बढ़ाना: (i) शिक्षकों को समर्थन; (ii) कौशल में निवेश; और (iii) डिजिटल डिवाइड को कम करना।

विश्व जनसंख्या रिपोर्ट -2021

भाग-जीएस प्रीलियम और जीएस - I - सोसाइटी; जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund- UNFPA) ने 'माय बॉडी इज़ माय ओन' (My Body is My Own) शीर्षक से विश्व जनसंख्या रिपोर्ट (World Population Report)- 2021 जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र (United Nation) की रिपोर्ट ने शारीरिक स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित किया है।
- शारीरिक स्वायत्तता को हिंसा के डर के बिना आपके शरीर के विषय में या किसी और के लिये निर्णय लेने की शक्ति तथा एजेंसी के रूप में परिभाषित किया गया है।
- 57 विकासशील देशों की लगभग आधी महिलाओं को अपने शरीर के विषय में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, जिसमें गर्भनिरोधक का उपयोग करना, स्वास्थ्य देखभाल की माँग करना या यहाँ तक कि अपनी कामवासना के संबंध में स्वयं निर्णय नहीं ले पाना शामिल है।
- आंकड़ों की उपलब्धता वाले देशों में से केवल 55% महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा, गर्भनिरोधक का उपयोग करने और यौन संबंध के लिए हां या ना कहने का विकल्प चुनने का पूरा अधिकार हासिल है।
- केवल 75% देश कानूनी रूप से अपने यहाँ गर्भनिरोधक के लिये पूर्ण और समान पहुँच सुनिश्चित करते हैं।
- शारीरिक स्वायत्तता के उल्लंघन के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं-बाल विवाह, महिला जननांग विकृति, गर्भ निरोधक विकल्पों का अभाव, अनचाहे गर्भधारण को बढ़ावा देना, घर और भोजन के बदले अवांछित सेक्स, असमान यौन झुकाव और लिंग पहचान वाले व्यक्ति हमलों तथा अपमान से डरना।
- इसके दायरे में विकलांगों के आत्मनिर्णय का अधिकार, हिंसा से मुक्ति और संतोषजनक यौन जीवन का आनंद शामिल हैं।
- कोविड-19 के कारण विश्व भर में महिलाओं के शारीरिक स्वायत्तता संबंधी मौलिक अधिकार की व्यापक उपेक्षा हुई है। वस्तुतः इस रिपोर्ट के माध्यम से महिलाओं द्वारा अपने शरीर के संबंध में निर्णय लेने की क्षमता को मापा गया है।

मध्य शक्तियां और बहुध्रुवीयता

नया शीत युद्ध

- **अमेरिका बनाम चीन:** अमेरिका विश्व मंच पर चीन को अपने प्रमुख विरोधी के रूप में कहा है और यह भारत-प्रशांत में चीन को चुनौती देने के लिए क्वाड का इस्तेमाल करेगा, जो संभवतः एक "नए शीत युद्ध" के हिस्से के रूप में होगा।
- **भू-राजनीतिक रंगमंच का पुनर्गठन:** नया शीत युद्ध अब एक नए भू-राजनीतिक बाइनरी - इंडो-पैसिफिक बनाम यूरोशिया में परिलक्षित हो रहा है।

मध्य शक्तियां

- इस विभाजन का अंतिम स्वरूप चार राष्ट्रों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, अर्थात् जापान, ईरान, तुर्की और भारत, जो "मध्य शक्तियों" के रूप में, क्षेत्रीय रूप से शक्ति को प्रोजेक्ट करने, गठबंधन बनाने और रणनीतियों का समर्थन (या बाधित) करने की क्षमता रखते हैं।
- जापान और भारत क्वाड में गहराई से जुड़े हुए हैं और यू.एस. के साथ पर्याप्त सुरक्षा संबंध हैं।
- ईरान लंबे समय से पश्चिमी दृष्टि से बहिष्कृत रहा है और उसने चीन-रूसी गठबंधन के साथ रणनीतिक आराम मिला है।
- नाटो के सदस्य तुर्की ने अपने हितों को अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बजाय रूस और चीन द्वारा बेहतर सेवा प्रदान की है।

- चार मध्य शक्तियाँ, जिनके संरेखण की पसंद विश्व व्यवस्था के लिए एक राजनीतिक और सैन्य द्विआधारी प्रदान करेगी, इसे एक वास्तविकता बनाने के लिए असन्तुष्ट हैं।
- इन राष्ट्रों को "रणनीतिक स्वायत्तता" में मुक्ति मिल सकती है - नम्य साझेदारी द्वारा परिभाषित, अलग-अलग समय पर विशिष्ट हितों के अनुरूप गठबंधन बनाने की स्वतंत्रता के साथ।
- इस प्रकार ये चार मध्य शक्तियाँ एक नए शीत युद्ध के बजाय, उभरती वैश्विक व्यवस्था की परिभाषित विशेषता के बजाय बहुध्रुवीयता बनाएंगी।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- रूस-भारत-चीन
- चीन-रूस संबंध

यूरोपीय संघ की परिषद

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- यूरोपीय संघ की परिषद ने इंडो-पैसिफिक में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ की रणनीति पर निष्कर्षों को मंजूरी दी।
- रणनीति क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों और तनाव के समय क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान करने के लिए अपने रणनीतिक फोकस को सुदृढ़ करेगी।
- यूरोपीय संघ का लक्ष्य आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ) केंद्रीयता के लिए अपने समर्थन को दोहराते हुए प्रभावी नियम-आधारित बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना होगा।

क्या आप जानते हैं?

- यूरोपीय संघ की परिषद यूरोपीय संघ (ईयू) की सात संस्थाओं में से तीसरी है, जैसा कि यूरोपीय संघ की संधि में सूचीबद्ध है।
- यह तीन विधायी निकायों में से एक है और यूरोपीय संसद के साथ मिलकर विधायी पहल रखने वाले यूरोपीय आयोग के प्रस्तावों में संशोधन और अनुमोदन का कार्य करता है।
- इसकी स्थापना 1 जुलाई 1967 को हुई थी।

अमेरिकी आयोग ने की भारत को 'विशेष चिंता वाला देश' घोषित करने की सिफारिश

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध; मौलिक अधिकार

सुर्खियों में-

- अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले में CPC में शामिल करने की सिफारिश 'अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग' (U. S. Commission on International Religious Freedom- USCIRF) द्वारा की जाने वाली शीर्ष स्तर की सिफारिश है। गंभीर उल्लंघनों के मामले में इसके बाद विशेष निगरानी सूची देशों (Special Watch List Countries) का स्थान आता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यूएससीआईएसआरएफ ने सिफारिश की कि प्रशासन "धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन" के लिए भारतीय व्यक्तियों और संस्थाओं पर लक्षित प्रतिबंध लगाए।

- दूसरी सिफारिश प्रशासन के लिए अंतर-धार्मिक संवाद और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सभी समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए थी "जैसे कि चतुर्भुज का मंत्रिस्तरीय [क्वाड]"।
- एक और सिफारिश यू.एस.-भारत द्विपक्षीय अंतरिक्ष में मुद्दों को उठाने की थी, जैसे कि सुनवाई की मेजबानी करके, पत्र लिखकर और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का गठन करके।

क्या आप जानते हैं?

- यूएससीआईआरएफ की सिफारिशें गैर-बाध्यकारी हैं।
- 2021 की रिपोर्ट की प्रमुख चिंताओं में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम शामिल है।

भारत अमेरिकी मुद्रा व्यवहार निगरानी सूची में

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध
सुर्खियों में-

- हाल ही में यू.एस. ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उच्च डॉलर खरीद (जीडीपी के करीब 5%) का हवाला देते हुए, यू.एस. कांग्रेस को प्रस्तुत मुद्रा जोड़तोड़ के लिए एक निगरानी सूची पर भारत को बरकरार रखा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष- जो 12 महीने की अवधि में कम-से-कम 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो।
- अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष 2020-21 में लगभग 5 बिलियन डॉलर बढ़कर 23 बिलियन डॉलर हो गया क्योंकि COVID-प्रभावित वर्ष में निर्यात की तुलना में आयात अधिक तेजी से गिर गया।
- भारत के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय बाजारों में स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार जमा नहीं कर रहा है।
- मुद्रा में स्थिरता प्रदान करना केंद्रीय बैंक का अधिदेश है जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री करते हैं।
- भारत का कुल भंडार 500 अरब डॉलर से 600 अरब डॉलर पर काफी हद तक स्थिर रहा है।

बोआओ फोरम फॉर एशिया

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध
सुर्खियों में-

- हाल ही में 'बोआओ फोरम फॉर एशिया' (Boao Forum for Asia- BFA) का वर्ष 2021 का वार्षिक सम्मलेन आयोजित किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

एशिया के लिए बोआओ फोरम (BFA)

- **मुख्यालय:** चीन
- यह 29 सदस्य देशों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- यह बोआओ, हैनान, चीन में नियमित रूप से अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है।
- **स्थापना का उद्देश्य:** एशिया में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना।

- **मिशन:** एशिया और विश्व के विकास के लिए सकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करना।
- **पहला सम्मेलन:** 26-27 फ़रवरी , 2001
- यह स्विट्ज़रलैंड के दावोस में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच पर आधारित है।

डेटा और एक नई वैश्विक व्यवस्था

डिजिटल डेटा क्रांति - सामरिक प्रभाव

- सैन्य और नागरिक प्रणालियां सहजीवी नियत स्वभाव और डिजिटल डेटा की व्यापकता हैं
- साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा है, और इसके लिए नए सैन्य सिद्धांत और राजनयिक ढांचे दोनों की आवश्यकता है।
- लोगों और आर्थिक गतिविधियों द्वारा उत्पन्न भारी मात्रा में डेटा एशिया को एक सतत उत्पादकता लाभ प्रदान करते हैं।
- डेटा स्ट्रीम अब वैश्विक व्यापार और देशों की आर्थिक और राष्ट्रीय शक्ति के केंद्र में हैं।
- इस प्रकार, भारत के पास अमेरिका और चीन के बराबर के रूप में नए नियमों पर बातचीत करने की क्षमता है।

चीन और डिजिटल क्षेत्र

- डेटा स्ट्रीम पर आधारित नवाचार ने चीन की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और यू.एस. के "निकट-सहकर्मी" के रूप में उदय में योगदान दिया है।
- चीन ने सीमा पार से भुगतान के लिए SWIFT के साथ एक संयुक्त उद्यम का गठन किया और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के बीच अंतर के लिए मूलभूत सिद्धांतों का सुझाव दिया।

सक्रियता

- विश्व का केंद्र एशिया के साथ, प्रमुख शक्तियां भारत के साथ सम्बंधित वैल्यू को पहचानती हैं।
- भारत लीवरेज प्रदान करने के लिए यू.एस. फ्रेम में ठीक बैठता है। चीन चाहता है कि भारत भी एक डिजिटल शक्ति हो, वह इसे एक भागीदार के रूप में देखे, न कि प्रतिद्वंद्वी के रूप।
- भारत को दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए अमेरिका और चीन दोनों का सामना करते हुए हाइपर-कनेक्टेड विश्व के लिए नियमों को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर की दर

संदर्भ: हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने G-20 देशों से वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर (Global Minimum Corporate Tax) को अपनाने का आग्रह किया गया है।

यह पिछले 30 वर्ष में विभिन्न देशों के बीच बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने हेतु कॉर्पोरेट कर की दरों को कम करने को लेकर चल रही प्रतिस्पर्धा को समाप्त करेगा।

ग्लोबल न्यूनतम कर क्यों?

- प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का लक्ष्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मुनाफे और कर राजस्व को कम-कर वाले देशों में स्थानांतरित करने से हतोत्साहित करना है, भले ही उनकी बिक्री कहीं भी हो।
- नशीली दवाओं के पेटेंट, सॉफ्टवेयर और बौद्धिक संपदा पर रॉयल्टी जैसे अमूर्त स्रोतों से होने वाली आय तेजी से इन अधिकार क्षेत्र में चली गई है, जिससे कंपनियों को अपने पारंपरिक घरेलू देशों में उच्च करों का भुगतान करने से बचने की अनुमति मिली है।

अंतर्राष्ट्रीय कर वार्ता कहाँ हैं?

- आर्थिक सहयोग और विकास के लिए पेरिस स्थित संगठन दो प्रमुख प्रयासों पर 140 देशों के बीच वर्षों से कर वार्ताओं का समन्वय कर रहा है: सीमा पार डिजिटल सेवाओं पर कर लगाने और कर आधार क्षरण पर अंकुश लगाने के लिए, वैश्विक कॉर्पोरेट बाद के न्यूनतम कर भाग के साथ।
- न्यूनतम कर से 50 बिलियन डॉलर- 80 बिलियन डॉलर के अतिरिक्त कॉर्पोरेट टैक्स की उम्मीद है कि ओईसीडी का अनुमान है कि कंपनियों को वैश्विक स्तर पर भुगतान करना होगा अगर दोनों प्रयासों पर सौदे होते हैं।

एक वैश्विक न्यूनतम कर कैसे काम करेगा?

- वैश्विक न्यूनतम कर की दर कंपनियों के विदेशी मुनाफे पर लागू होगी। इसलिए, यदि देश वैश्विक न्यूनतम पर सहमत होते हैं, तब भी सरकारें स्थानीय कॉर्पोरेट कर की जो भी दर चाहें निर्धारित कर सकती हैं।
- लेकिन अगर कंपनियां किसी विशेष देश में कम दरों का भुगतान करती हैं, तो उनकी घरेलू सरकारें अपने करों को सहमत हुए न्यूनतम दर पर “टॉप-अप” कर सकती हैं, जो कर के लाभ को एक टैक्स हेवन में स्थानांतरित करने के लाभ को समाप्त करता है।
- अमेरिका ने कहा है कि वह उन देशों को भुगतान किए गए करों में छूट से इनकार करना चाहता है जो न्यूनतम दर से सहमत नहीं हैं।
- ओईसीडी ने पिछले महीने कहा था कि सरकारें मोटे तौर पर न्यूनतम कर के मूल डिजाइन पर पहले ही सहमत हैं, हालांकि दर पर सहमति बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय कर विशेषज्ञों का कहना है कि यह सबसे पेचीदा मुद्दा है।
- अन्य वस्तुओं पर अभी भी बातचीत की जा रही है कि क्या निवेश कोष और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट जैसे उद्योगों को कवर किया जाना चाहिए, जब नई दर लागू करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि कर-आधार क्षरण को रोकने के लिए 2017 अमेरिकी कर सुधारों के अनुकूल है।

उस न्यूनतम दर के बारे में क्या?

- बिडेन प्रशासन अमेरिकी कॉर्पोरेट कर की दर को 28% तक बढ़ाना चाहता है, इसलिए उसने 21% की वैश्विक न्यूनतम प्रस्तावित की है – वर्तमान GILTI कर की दर को दोगुना करना। यह भी चाहता है कि न्यूनतम अमेरिकी कंपनियों पर लागू हो, जहां कर योग्य आय अर्जित की जाती है।
- यह प्रस्ताव 12.5% न्यूनतम कर से बहुत ऊपर है जिस पर पहले ओईसीडी वार्ता में चर्चा की गई थी - एक ऐसा स्तर जो आयरलैंड की कॉर्पोरेट कर दर से मेल खाता है।
- अमेरिका कॉर्पोरेट कर की दरों को वर्तमान में 21 % से बढ़ाकर 28 % कर 14 वर्षों में 2.5 ट्रिलियन डॉलर प्राप्त करने पर विचार कर रहा है। हालांकि, अलगाव में ऐसा करने से अमेरिका को टैक्स हेवन के मुकाबले नुकसान होगा। इसलिए, वह चाहता है कि हर कोई उसके नेतृत्व का अनुसरण करे।

निम्न आय/मध्यम आय वाले देशों के लिए अच्छा नहीं है

- बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्रोत हैं। ये निगम संसाधनों के कुशल उपयोग के साथ मांग उत्पन्न करने और कम आय वाले देशों में रोजगार पैदा करने में मदद करते हैं।
- कम कर दर भारत के लिए वैकल्पिक रूप से आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का एक साधन है। यदि प्रस्ताव लागू होता है, तो भारत अन्य विकसित देशों की अपेक्षा लंबे समय तक आर्थिक हैंगओवर का अनुभव कर सकता है, जिसमें मेगा प्रोत्साहन पैकेज देने की क्षमता कम है।
- नीति स्वयं वैश्वीकरण पर एक प्रश्न रखती है क्योंकि यह केवल अमेरिका के लिए एकाधिकार बनने के लिए लाभदायक होगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- आधार क्षरण और लाभ साझेदारी (BEPS)

आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)

भाग- जीएस प्रीलियम और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध
सुर्खियों में-

- भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से भारत-प्रशांत क्षेत्र में लचीला आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई) शुरू की। इस पहल का उद्देश्य चीन पर निर्भरता को कम करना है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **उद्देश्य:** क्षेत्र में अंततः मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास प्राप्त करने की दृष्टि से आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने का एक अच्छा चक्र बनाना।
- इसके तहत संभावित नीतिगत उपाय शामिल हो सकते हैं: (1) डिजिटल प्रौद्योगिकी के संवर्धित उपयोग का समर्थन करना और (2) व्यापार और निवेश के विविधीकरण पर जोर देना।
- यह आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित करने, खरीदार-विक्रेता मिलान कार्यक्रम आयोजित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा ताकि हितधारकों को उनकी आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण की संभावना का पता लगाने के अवसर प्रदान किए जा सकें।
- एससीआरआई के विस्तार सर्वसम्मति के आधार पर, यदि आवश्यक हो, नियत समय में विचार किया जा सकता है।

ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW)

भाग- जीएस प्रीलियम और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध
सुर्खियों में-

- ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि फ़िलिस्तीनियों और अपनी स्वयं की अरब आबादी पर यहूदी "प्रभुत्व" बनाए रखने की मांग करके इजराइल "रंगभेद" का अपराध कर रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW)

- यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है,
- **मुख्यालय:** न्यूयॉर्क शहर।
- यह अक्सर शरणार्थियों, बच्चों, प्रवासियों और राजनीतिक बंदियों की ओर से काम करता है।

क्या आप जानते हैं?

- ह्यूमन राइट्स वॉच ने 1997 में लैंडमाइंस पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान के संस्थापक सदस्य के रूप में नोबेल शांति पुरस्कार में हिस्सा लिया और इसने क्लस्टर युद्ध सामग्री पर प्रतिबंध लगाने वाली 2008 की संधि में अग्रणी भूमिका निभाई।
- हेलसिंकी समझौते के साथ तत्कालीन सोवियत संघ के अनुपालन की निगरानी के लिए, 1978 में रॉबर्ट एल. बर्नस्टीन और आर्यह नीयर द्वारा हेलसिंकी वॉच नाम के तहत एक निजी अमेरिकी गैर सरकारी संगठन के रूप में इसकी सह-स्थापना की गई थी।



IAS BABA

RAPID REVISION (RaRe) SERIES

Road Map For The Next 120 Days For UPSC 2021!

FREE INITIATIVE

10 Stepping Stones To Success!
A Dedicated Portal For Focused Preparation

REGISTER NOW

Prelims+Mains Focus #ReviseWithBaba **Starting From 31st May, 2021**

भारत और विश्व

बिम्सटेक देशों की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध
सुर्खियों में-

- बिम्सटेक देशों की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक वस्तुतः आयोजित की गई।
- भारत ने बिम्सटेक ढाँचे के तहत आगे भी क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और संगठन को मजबूत, जीवंत, अधिक प्रभावी और परिणाम-उन्मुख बनाने के प्रति प्रतिबद्धता ज़ाहिर की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के सहयोग पर बिम्सटेक कन्वेंशन मार्च 2021 में लागू हुआ है।
- ये कन्वेंशन इस क्षेत्र में हमारे सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करेंगे।
- भारत में आयोजित किया जा रहा बिम्सटेक मौसम और जलवायु केंद्र आपदा पूर्व चेतावनी प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पूरी तरह कार्यात्मक है।

अन्य संबंधित तथ्य

बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक)

- यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में स्थित सात सदस्य राज्य शामिल हैं।
- यह संगठन 1997 में बैंकाक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया।
- इसके 7 सदस्यों में से 5 सदस्य- बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका दक्षिण एशिया से हैं तथा दो- म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण-पूर्व एशिया से हैं।

भारत - सेशेल्स संबंध

**भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध
सुर्खियों में-**

- भारतीय प्रधान मंत्री और सेशेल्स के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से सेशेल्स में कई भारतीय परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- सेशेल्स, भारत के 'सागर' - 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' के विजन के केन्द्र में है।
- भारत ने सेशेल्स में नए मजिस्ट्रेट कोर्ट भवन के निर्माण में योगदान दिया है।
- दोनों पक्षों के बीच आभासी शिखर सम्मेलन में स्थानीय निकायों, शैक्षिक और व्यावसायिक संस्थानों के सहयोग से भारतीय उच्चायोग द्वारा कार्यान्वित 10 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDPs) को भी सौंपा गया।

क्या आप जानते हैं?

- सेशेल्स के वर्तमान राष्ट्रपति, वेवेल रामकलावन भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) हैं, जिनकी जड़ें बिहार के गोपालगंज से जुड़ी हैं।

भारत-नीदरलैंड आभासी शिखर सम्मेलन

**भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध
सुर्खियों में-**

- भारतीय प्रधान मंत्री और नीदरलैंड के प्रधान मंत्री ने एक आभासी शिखर सम्मेलन (Virtual Summit) में भाग लिया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- मार्च 2021 में हुए आम चुनावों के बाद यह पहला उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन था जिसमें नीदरलैंड के प्रधान मंत्री मार्क रूट ने भाग लिया था।
- शिखर सम्मेलन के दौरान, दोनों नेताओं ने व्यापार और अर्थव्यवस्था, जल प्रबंधन, कृषि क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं अंतरिक्ष जैसे विविध क्षेत्रों में अपने संबंध और मजबूत करने के लिये विचार साझा किये।
- दोनों प्रधानमंत्रियों ने जल सम्बंधित क्षेत्र के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए 'जल पर एक रणनीतिक साझेदारी' स्थापित करने पर सहमत हुए उन्होंने जल पर संयुक्त कार्य समूह को मंत्री स्तर पर अपग्रेड करने पर भी सहमति व्यक्त की।
- नीदरलैंड की इंडो-पैसिफिक नीति का भी स्वागत किया गया।

आईएनएस सर्वेक्षक मॉरीशस में तैनाती पर

**भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध
सुर्खियों में-**

- आईएनएस सर्वेक्षक एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। यह मॉरीशस में अपने समकक्षों के साथ संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए मॉरीशस में तैनात है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह तैनाती के दौरान उन्नत हाइड्रोग्राफिक उपकरणों और प्रथाओं पर मॉरीशस कर्मियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
- इसने पोर्ट लुइस के गहरे समुद्र क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शुरू किया है।
- आईएनएस सर्वेक्षक एक विशेष सर्वेक्षण पोत है, जो 'डीप सी मल्टी-बीम इको साउंडर', साइड स्कैन सोनार जैसे अत्याधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों से सुसज्जित है।
- इसके अलावा, जहाज में एक चेतक हेलीकॉप्टर है, जिसे सर्वे के दौरान तैनात किया जाता है।

- आईएनएस सर्वेक्षक ने पिछले कुछ वर्षों में मॉरीशस, सेशेल्स, तंजानिया और केन्या में विभिन्न विदेशी सहयोग सर्वेक्षण किए हैं।

यूएसए ने भारतीय EEZ में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन (FONOP) किया

भाग- जीएस प्रीलिट्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- भारत ने पश्चिमी हिंद महासागर में भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में गश्त करने के यू.एस. के फैसले का विरोध किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यू.एस. नौसेना ने घोषणा की कि उसके जहाज, यूएसएस जॉन पॉल जोन्स ने भारतीय EEZ में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन (एफओएनओपी) को अंजाम दिया था, यह कहते हुए कि इसके संचालन ने "चुनौती" दी थी जिसे यू.एस. ने भारत के "अत्यधिक समुद्री दावे" कहा था।
- जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप, भारत की पूर्व सहमति का अनुरोध किए बिना, भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर, लक्षद्वीप समूह के नज़दीक 130 समुद्री मील पश्चिम में भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में एक अभियान को अंजाम देने का दावा किया है।
- समुद्री कानून के तहत संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) पर भारत सरकार की घोषित स्थिति यह है कि कन्वेंशन "अन्य राज्यों को विशेष रूप से EEZ और महाद्वीपीय शेल्फ, सैन्य अभ्यास या युद्धाभ्यास में करने के लिए अधिकृत नहीं करता है जो तटीय राज्य की सहमति के बिना हथियारों या विस्फोटकों के उपयोग में शामिल हैं।
- जबकि भारत ने 1995 में UNCLOS की पुष्टि की, यू.एस. अब तक ऐसा करने में विफल रहा है।

भारत ने 156 देशों के लिये पुनः बहाल किया ई-वीजा

भाग- जीएस प्रीलिट्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affair) ने 156 देशों से चिकित्सीय परिचर्याओं सहित चिकित्सा कारणों, व्यापार और सम्मेलनों में भाग लेने के उद्देश्य से आने वाले विदेशियों के लिये इलेक्ट्रॉनिक वीजा (ई-वीजा) सुविधा बहाल कर दी है। अभी पर्यटकों के लिये ई-वीजा बहाल नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ई-वीजा पाँच श्रेणियों में प्रदान किया जाता है- पर्यटन, व्यवसाय, सम्मेलन, चिकित्सा और चिकित्सीय परिचर्या।
- इस व्यवस्था के अंतर्गत एक विदेशी यात्रा करने से चार दिन पहले ई-वीजा के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
- आवेदक द्वारा दिये गए विवरण के सत्यापित होने के पश्चात् एक 'इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अधिकार-पत्र' (Electronic Travel Authorization) जनरेट किया जाता है, जिसे देश में आगमन करने के बाद चेक पोस्ट पर दिखाना होता है।
- ई-वीजा के माध्यम से भारत में केवल 28 निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और पाँच प्रमुख बंदरगाहों पर प्रवेश की अनुमति है।
- यद्यपि यह सुविधा 171 देशों में उपलब्ध है, लेकिन वर्ष 2020 में लगाए गए प्रतिबंधों की घोषणा के बाद अभी इसे केवल 156 देशों के लिये बहाल किया गया है।
- चीन, ब्रिटेन, कनाडा, हॉन्गकॉन्ग, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया और सऊदी अरब को अभी इस सुविधा से बाहर रखा गया है।

- COVID-19 महामारी की दूसरी घातक लहर के मद्देनजर यह छूट दी गई है।
-

बिम्सटेक (BIMSTEC)

इसके बारे में -

- 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया : क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1997 की बैंकॉक घोषणा के माध्यम से चार देशों - भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका सामूहिक रूप में स्थापित हुए तथा बिम्सटेक का विस्तार बाद तीन और देशों - म्यांमार, नेपाल और भूटान को शामिल हुआ .
- **सार्क का विकल्प:** नई दिल्ली ने इसे डगमगाते सार्क की तुलना में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक अधिक व्यावहारिक साधन के रूप में माना।
- अब साझा लक्ष्य "बंगाल क्षेत्र की एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और सतत खाड़ी" की ओर बढ़ना है।

हर्डल्स

- **द्विपक्षीय मुद्दे:** एक मजबूत बिम्सटेक अपने सभी सदस्य-राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण और तनाव मुक्त द्विपक्षीय संबंधों को मानता है। हाल के वर्षों में भारत-नेपाल, भारत-श्रीलंका और बांग्लादेश-म्यांमार संबंधों के प्रक्षेपवक्र को देखते हुए ऐसा नहीं हुआ है।
- **सार्क जटिल मामलों पर अनिश्चितता:** काठमांडू और कोलंबो दोनों चाहते हैं कि सार्क शिखर सम्मेलन को पुनर्जीवित किया जाए, भले ही वे कम उत्साह के साथ बिम्सटेक के भीतर सहयोग करें।
- **उपमहाद्वीप में चीन की बढ़ती उपस्थिति:** दक्षिण-दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में चीन के निर्णायक घुसपैठ ने व्यापार समझौते, निवेश और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर समूह की एकजुटता के बारे में काली छाया डाल दी है।
- **FTA का खराब कार्यान्वयन:** 2004 में हस्ताक्षरित बिम्सटेक मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्रेमवर्क समझौता अभी तक फलीभूत नहीं हुआ है। इसके विपरीत, मानवीय सहायता , आपदा राहत और सुरक्षा में बहुत कुछ हासिल किया गया है, जिसमें आतंकवाद का मुकाबला, साइबर सुरक्षा और तटीय सुरक्षा सहयोग शामिल है।

आगे की राह

- **पुनः आविष्कार:** समूह को खुद को फिर से खोजने की जरूरत है, संभवतः स्वयं का नाम बदलकर 'बंगाल की खाड़ी समुदाय' के रूप में भी रखा जाए।
- **व्यापक आर्थिक समझौता:** बिम्सटेक को वास्तविक गेम चेंजर बनने के लिए एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते की तत्काल आवश्यकता है। सही रूप से इसमें माल, सेवाओं और निवेश में व्यापार शामिल होना चाहिए; नियामक सामंजस्य को बढ़ावा देना; क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला विकसित करने वाली नीतियों को अपनाना; और गैर-टैरिफ बाधाओं को समाप्त करना।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति और नियमित बैठकें:** इसे नियमित वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर विचार करना चाहिए। तभी इसके नेता इस क्षेत्र को दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले इस अनूठे मंच के लिए नई दृष्टि के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त होंगे।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- सार्क
 - क्या आपको लगता है कि बिम्सटेक में दक्षिण एशिया के सामूहिक भविष्य को बदलने की वास्तविक क्षमता है? जांच करें। इसमें क्या चुनौतियां हैं? चर्चा करें।
-

BABA'S PRELIMS TEST (PT) SERIES 2021

Prelims Is Still A Tough Nut To Crack
Keep Practicing Regularly In This Extra Time With
BABA'S PRELIMS TEST (PT) SERIES 2021
To Ace Prelims



BUY "BABA'S PRELIMS TEST SERIES & TLP+ COMBO" AT A SPECIAL PRICE

STARTS FROM  27th May, 2021

अर्थव्यवस्था

सभी छोटे बचत साधनों पर दरें घटी

भाग-जीएस प्रीलिट्स और जीएस - III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- सरकार ने 2021-22 की पहली तिमाही के लिए सभी लघु बचत साधनों पर दरों में तेजी से कमी की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर रिटर्न की दर: 7.1% से घटकर 6.4%
- एक वर्षीय सावधि जमा पर भुगतान की गई तिमाही ब्याज दर: 5.5% से घटाकर 4.4%
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर रिटर्न की दर: 7.4% से घटाकर 6.5%
- सुकन्या समृद्धि खाता योजना का रिटर्न: 7.6% से घटाकर 6.9% किया गया।
- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र पर भुगतान की गई ब्याज दर: 6.8% से 5.9% तक
- किसान विकास पत्र: 6.9% से घटकर 6.2%।
- किसान विकास पत्र जो 124 महीने में मैच्योर होता था, अब 138 महीने में मैच्योर होगा।
- बचत जमा: 4% से घटाकर 3.5%।
- इस समय उच्चतम रिटर्न सुकन्या समृद्धि खाता योजना है, इसके बाद वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाएं और सार्वजनिक भविष्य निधि हैं।

इसका क्या मतलब है?

- जबकि सरकार हर तिमाही में छोटे बचत साधनों पर ब्याज दर को फिर से निर्धारित करती है, दरों में कटौती का यह दौर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकार वर्ष के लिए अपनी उधार योजनाओं को निष्पादित करना आसान बनाने और विकास को बढ़ाने के लिए ब्याज दरों को कम करने की इच्छुक है।
- सरकार की योजना 2021-22 में 12.05 लाख करोड़ रुपए ऋण लेने की है, जो 2020-21 में 13.71 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सकल ऋण के आधार पर है।
- नीतिगत दरों में कटौती को बैंकिंग प्रणाली में प्रसारित करना सुनिश्चित करने में केंद्रीय बैंक द्वारा उच्च लघु बचत दरों का उद्घरण दिया गया है।

विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियों (SPACs)

भाग-जीएस प्रीलिट्स और जीएस - III - इकोनॉमी

सुर्खियों में-

- इस महीने की शुरुआत में, यूएस सिक्क्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने एक निवेशक अलर्ट जारी किया, जो विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियों (SPACs) के लिए पहली तरह की चेतावनी थी।

अन्य संबंधित तथ्य

- SPAC या ब्लैक-चेक कंपनी, विशेष रूप से किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक फर्म के अधिग्रहण के उद्देश्य से स्थापित की गई इकाई होती है।

- **उद्देश्य:** एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (Initial Public Offering- IPO) के माध्यम से धन जुटाना होता है लेकिन उसके पास कोई संचालन या राजस्व नहीं होता है।
- इसके अंतर्गत निवेशकों से धन लेकर उसे एस्करो अकाउंट (Escrow Account) में रखा जाता है, जिसका उपयोग अधिग्रहण करने में किया जाता है।
- अगर IPO के दो वर्ष के भीतर अधिग्रहण नहीं किया जाता है, तो SPAC को हटा दिया जाता है और धन को निवेशकों को लौटा दिया जाता है।
- कुछ बाजार सहभागियों का मानना है कि, SPAC लेनदेन के माध्यम से, एक निजी कंपनी पारंपरिक IPO की तुलना में मूल्य निर्धारण और सौदे की शर्तों पर अधिक निश्चितता के साथ सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन सकती है।

भारतीय परिदृश्य:

- पिछले महीने भारत में, अक्षय ऊर्जा उत्पादक रीन्यू पावर ने एक ब्लैक-चेक कंपनी RMG एक्विजिशन कॉर्प II के साथ विलय करने के लिए एक समझौते की घोषणा की।
- SPAC सौदों में नवीनतम उछाल के दौरान यह पहली भारतीय कंपनी बन गई।

एचएसएन कोड

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III- इकोनॉमी

सुखियों में-

- वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाले व्यवसायों को कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए जारी चालान पर छह अंकों का एचएसएन (Harmonized System of Nomenclature) या टैरिफ कोड उल्लेख करना होगा।

बारे में :

- HSN का अर्थ है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। यह सामान और सेवाओं की आपूर्ति पर बिजनेस-टु-बिजनेस (बीटुबी) और बिजनेस-टु-कंज्यूमर (बीटुसी) दोनों कर चालानों के लिए अनिवार्य है।
- इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) द्वारा 1988 में पेश किया गया था।
- इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के सामानों के व्यवस्थित वर्गीकरण के लिए पेश किया गया था।
- HSN कोड में 21 वर्ग हैं। इन्हें 99 अध्यायों में विभाजित किया गया है जो 1244 शीर्षक में विभाजित हैं। यह प्रणाली GST को सरल और विश्व स्तर पर स्वीकार्य बनाने में मदद करती है। 6 अंकों वाले सामानों के लिए HSN कोड सार्वभौमिक रूप से सामान्य हैं। सामान्य HSN कोड सीमा शुल्क और GST पर लागू होते हैं। सीमा शुल्क टैरिफ में निर्धारित कोड GST उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। सीमा शुल्क टैरिफ में, HS कोड को शीर्षक (4 अंक HS), उप-शीर्षक (6 अंक HS) और टैरिफ आइटम (8 अंक) के रूप में निर्धारित किया गया है।

सैक एचएसएन कोड

- SAC कोड का पूरा नाम “सेवा लेखा कोड (सर्विसेज अकाउंटिंग कोड)” के रूप में भी जाना जाता है।
- यह जीएसटी के तहत प्रत्येक सेवा को वर्गीकृत करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी किया जाता है।
- प्रत्येक सेवा का एक विशिष्ट SAC होता है।

- इन SAC कोडों का उपयोग आपके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए और बनाए गए चालानों में किया जाता है। एचएसएन और सैक कोड का इस्तेमाल जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है।

मुद्रास्फीति लक्ष्य

संदर्भ: वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम दिन, वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि अप्रैल 2021 और मार्च 2026 के बीच के पांच वर्षों के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% पर अपरिवर्तित रहेगा, जिसमें ऊपरी सहिष्णुता का स्तर 6% और निम्न सहिष्णुता का स्तर 2% होगा।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- भारत ने 2015 में मुद्रास्फीति लक्ष्य-आधारित मौद्रिक नीति ढांचे को अपनाया था, जिसमें 4% लक्ष्य 2016-17 से शुरू हुआ था।
- पांच साल की अवधि के लिए लक्ष्य को अपनाने में, केंद्रीय बैंक के पास हर महीने इसे हासिल करने के बजाय मध्यम अवधि में लक्षित मुद्रास्फीति के स्तर को प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों को सुचारू रूप से बदलने और समायोजित करने के लिए दृश्यता और समय होता है।

सरकार के लक्ष्यों का विश्लेषण

- **चिंताजनक रुझान:** खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव और तेल की बढ़ती कीमतों ने भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति को 2020 में कई बार 6% सहिष्णुता सीमा से आगे बढ़ा दिया था। दिसंबर 2020 से खुदरा मुद्रास्फीति 6% से नीचे बनी हुई है। हालांकि, इसमें तेजी आई। जनवरी 2021 में 4.1% से फरवरी 2021 में 5% तक। फरवरी 2021 में कोर CPI मुद्रास्फीति भी बढ़कर 78 महीने के उच्च स्तर 6.1% हो गई।
- **तेल की कीमतों का दबाव:** तेल की कीमतों के दबाव बने रहने से उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति बनी हुई है।
- **वृद्धि बनाम मुद्रास्फीति:** कुछ अटकलें थीं कि केंद्र सरकार, जिसकी सर्वोच्च प्राथमिकता अब COVID-19 महामारी-पस्त अर्थव्यवस्था में विकास को पुनर्जीवित करना है, मुद्रास्फीति लक्ष्य को एक या दो प्रतिशत कम कर सकती है। इससे आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती के लिए अधिक समय मिल जाती, भले ही मुद्रास्फीति थोड़ी अधिक होती।
- **वेलकम स्टेप :** कि सरकार ने ऐसा करने से परहेज किया है और मुद्रास्फीति लक्ष्य को अधूरा छोड़ दिया है, अर्थशास्त्रियों द्वारा वेलकम किया गया है, जो मानते हैं कि नए ढांचे ने पिछले पांच वर्षों में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में काफी अच्छा काम किया है। वे हाल के कुछ उदाहरणों का श्रेय देते हैं जब ऊपरी लक्ष्य को COVID-19 महामारी की असाधारण प्रकृति का उल्लंघन किया गया था।

इस पर आरबीआई का क्या स्थिति है?

- हाल के महीनों में, आरबीआई ने 2% की नम्य सहिष्णुता सीमा के साथ 4% लक्ष्य को जारी रखने की मांग की थी।
- यह तर्क दिया गया है कि 6% की ऊपरी सीमा उन देशों में वैश्विक अनुभव के अनुरूप है, जिनके उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति सूचकांकों में खाद्य पदार्थों का एक बड़ा हिस्सा है।
- केंद्रीय बैंक ने जोर दिया था कि 6% से अधिक मुद्रास्फीति के स्तर को स्वीकार करने से देश की विकास संभावनाओं को नुकसान होगा।

इससे उपभोक्ता कैसे प्रभावित होते हैं?

- मान लीजिए कि उपभोक्ताओं के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य को 2% सहिष्णुता बैंड के साथ 5% तक बढ़ाया जाना था, इसका मतलब यह होगा कि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति और सरकार के राजकोषीय स्थिति ने मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने के लिए जरूरी प्रतिक्रिया नहीं दी होगी। भले ही खुदरा मूल्य वृद्धि का रुझान 6% से अधिक हो।

- उदाहरण के लिए, केंद्रीय बैंक शायद एकमात्र प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान रहा है जिसने केंद्र और राज्यों दोनों के लिए ईंधन पर लगाए जाने वाले उच्च करों में कटौती करने के लिए एक अंतराल बनाई है, जिसके कारण कुछ जिले में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर पार कर गई हैं।
- इस प्रकार, मुद्रास्फीति लक्ष्य केंद्रीय बैंक को उपभोक्ताओं के लिए एक शाश्वत चैंपियन बनाता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुदरा कीमतों को बढ़ाता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- मुद्रास्फीति पर आरबीआई के निर्धारण के खतरे

कॉपीराइट (संशोधन) नियम, 2021

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - इकोनॉमी

सुर्खियों में-

- भारत सरकार ने कॉपीराइट (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत में, कॉपीराइट के लिए कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और कॉपीराइट नियम, 2013 कानून हैं।
- कॉपीराइट नियम, 2013 को अंतिम बार वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था।
- **संशोधनों का उद्देश्य:** मौजूदा नियमों को अन्य प्रासंगिक विधानों के साथ समानता में लाना।
- आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता को समाप्त करते हुए एक कॉपीराइट पत्रिका के प्रकाशन को शामिल किया गया है।
- उक्त पत्रिका कॉपीराइट कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
- जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए नए प्रावधान पेश किए गए हैं, जिससे वितरित नहीं की गयी रॉयल्टी राशियों का समाधान करने तथा रॉयल्टी संग्रह व वितरण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और पता लगाने योग्य भुगतान प्रणालियों के उपयोग की सुविधा प्राप्त होगी।

क्या आप जानते हैं?

- कॉपीराइट समितियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट तैयार करने और सार्वजनिक करने की आवश्यकता होगी।
- कॉपीराइट बोर्ड का अपीलीय बोर्ड में विलय कर दिया गया है।
- सॉफ्टवेयर कार्यों के पंजीकरण के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को कम कर दिया गया है।
- आवेदक के पास स्रोत कोड के पहले 10 और अंतिम 10 पृष्ठों, या पूरे स्रोत कोड यदि 20 से कम पृष्ठ हैंको दर्ज करने की स्वतंत्रता है तथा खाका या संपादित अंश की जरूरत नहीं रह गयी है।
- केंद्र सरकार के समक्ष कॉपीराइट सोसाइटी के पंजीकरण के आवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा आवेदन का जवाब देने संबंधी समय-सीमा को बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है, ताकि आवेदन की अधिक व्यापक जांच की जा सके।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को ड्रोन का उपयोग करने के लिए अनुमति मिली

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - अर्थव्यवस्था; विज्ञान और तकनीक

सुर्खियों में-

- कोलफील्ड सर्वे के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को ड्रोन का उपयोग करने के लिए अनुमति दी गई।

महत्वपूर्ण तथ्य

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला क्षेत्रों में सर्वेक्षण के लिए केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान (सीएमपीडीआई) को सशर्त छूट दी है।
- अनुमति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड के कोलफील्ड क्षेत्रों में यूएवी आधारित ऑप्टिकल, LiDAR और थर्मल पेलेड, वॉल्यूमेट्रिक माप और निरीक्षण का उपयोग करके मैपिंग और सर्वेक्षण गतिविधि की निगरानी के लिए डेटा के अधिग्रहण के लिए ड्रोन तैनात किए जाएंगे।
- यह पत्र जारी होने की तारीख से 04 अप्रैल 2022 तक या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (चरण -1) के पूर्ण संचालन तक, जो भी पहले हो, तक वैध है।
- संचालन से पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय से UAS Rules,, 2021 के तहत छूट प्राप्त करनी होगी।

डीजीएफटी का व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - इकोनॉमी

सुखियों में-

- हाल ही में डीजीएफटी 'व्यापार सुविधा' मोबाइल ऐप व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और आयातकों/निर्यातकों को सूचना तक त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया।
- **मंत्रालय:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मंत्री

महत्वपूर्ण तथ्य

- **द्वारा विकसित:** विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के निर्देशों के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस)।

यह प्रावधान:

- रियल-टाइम व्यापार नीतियों की जानकारी, सूचनाएं, आवेदन स्थिति की जानकारी, ट्रेकिंग सहायता अनुरोध
- वस्तुओं के आधार पर निर्यात-आयात नीति और उनके आंकड़ों का अन्वेषण। आईईसी पोर्टफोलियो को ट्रैक करना
- एआई-आधारित 24 घंटे व्यापार संबंधित प्रश्नों के लिए सहायता देना
- डीजीएफटी सेवाएं सभी के लिए सुलभ है
- आपका ट्रेड डैशबोर्ड किसी भी समय और कहीं भी सुलभ है

क्रिटिकल केएसएमएस/ड्रग इंटरमीडिएट और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुखियों में-

- देश में क्रिटिकल की स्टार्टिंग मैटेरियल्स (केएसएम)/ड्रग इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंकड इंसैटिव (पीएलआई) योजना के तहत 16 आवेदकों को मंजूरी दी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इन 16 संयंत्रों की स्थापना से 348.70 करोड़ रुपये का निवेश होगा और कंपनियों द्वारा लगभग 3,042 रोजगार सृजन होगा।
- 1 अप्रैल, 2023 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होगा।
- केएसएम/एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्युटिकल विभाग द्वारा योजना शुरू की गई है।
- यह न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन के साथ ग्रीनफील्ड संयंत्र स्थापित करके प्राप्त किया जाएगा।

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय दवा उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है।
 - हालांकि, भारत बुनियादी कच्चे माल के आयात पर काफी हद तक निर्भर है, जैसे कि दवाओं का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली थोक दवाएं।
 - कुछ विशिष्ट थोक दवाओं में, आयात पर निर्भरता 80 से 100% होती है।
-

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC) की पहली बैठक

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था; चालू होना

सुर्खियों में-

- वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC) की पहली बैठक की अध्यक्षता की।

अन्य संबंधित तथ्य

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद

- **द्वारा गठित:** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)
 - **उद्देश्य:** इस परिषद का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार को देश में नवाचार और स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक उपायों पर सलाह देना है। यह देश में सतत आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगी।
 - परिषद में विभिन्न हितधारकों जैसे कि सफल स्टार्टअप के संस्थापक, भारत में कंपनियों का विकास और विस्तार करने वाले दिग्गज, स्टार्टअप में निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति, और उद्योग संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
-

डॉगकोइन क्रिप्टोक्यूरेंसी की मूल्य वृद्धि

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- जिस तरह इस सप्ताह वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन और एथेरियम के मूल्य में वृद्धि हुई है, उसी तरह डॉगकोइन- एक क्रिप्टोकॉरेसी 2013 में एक इंटरनेट पैरोडी के रूप में शुरू हुई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह "डोगे" मेम पर आधारित है और बिटकॉइन के "फन " विकल्प के रूप में शुरू हुआ है।
 - अब इसका मूल्य \$34 बिलियन है।
 - **द्वारा निर्मित:** सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्कस और जैक्सन पामर
 - बिटकॉइन के विपरीत, जिसकी अधिकतम संभव संख्या 21 मिलियन (एक आंकड़ा जो 2040 तक पहुंचने का अनुमान है) तय की गई है, डॉगकोइन संख्या की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, और पहले से ही 100 बिलियन से अधिक अस्तित्व में हैं।
-

ई-सांता का शुभारंभ

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- हाल ही में ई-सांता का उद्घाटन किया गया।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस है जो एक्वा किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

- द्वारा शुरू किया गया: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- इससे किसानों को बेहतर कीमत मिल सकेगी।
- यह निर्यातकों को पता लगाने की क्षमता बढ़ाने वाले किसानों से सीधे गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीदने में सक्षम बनाएगा।
- ई-संता शब्द वेब पोर्टल के लिए बनाया गया था, जिसका अर्थ है जलीय कृषि में NaCSA किसानों के व्यापार को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाधान।
- नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर (NaCSA) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA), भारत सरकार की एक विस्तार शाखा है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- ई-संता निम्न द्वारा किसानों के जीवन और आय को 'उठाएगा':
 1. जोखिम कम करना
 2. उत्पादों और बाजारों के बारे में जागरूकता
 3. आय में वृद्धि
 4. गलत व्यवहार से बचाव
 5. प्रक्रियाओं में आसानी

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS)

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - स्टार्ट अप

सुर्खियों में-

- रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) की शुरुआत की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य

- उद्देश्य: स्टार्टअप की अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षणों, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के प्रमाणीकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- पूरे भारतवर्ष में पात्र इनक्यूबेटर्स के माध्यम से पात्र स्टार्टअप को बीज का वित्तपोषण प्रदान करने के लिए 945 करोड़ की राशि का विभाजन अगले 4 वर्षों में किया जाएगा।
- इस योजना से 300 इनक्यूबेटर्स के माध्यम से अनुमानित 3,600 स्टार्टअप को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
- एसआईएसएफएस सीड फंडिंग को सुरक्षित करेगा, नवाचार को प्रेरित करेगा, परिवर्तनकारी विचारों का समर्थन करेगा, कार्यान्वयन को सुगम बनाएगा और स्टार्टअप क्रांति शुरू करेगा।
- यह टियर 2 और टियर 3 क्षेत्रों में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने में मददगार साबित होगा, क्योंकि भारत में छोटे शहरों को अक्सर उपयुक्त धन मुहैया नहीं कराया जाता है।

ई-कॉमर्स

- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने अपने कुशल, त्वरित और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के साथ, उपभोक्ता व्यवहार पैटर्न को ऑफलाइन से ऑनलाइन शॉपिंग मोड में बदल दिया है।
- जब दुनिया में ठहराव आ गया तब महामारी के दौरान उपयोगिता भी स्पष्ट हो गई थी।
- आम जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में ई-कॉमर्स एक समर्थकारी के रूप में उभरा।

- भारत और विश्व भर में खुदरा खरीदारी के भविष्य में ई-कॉमर्स तेजी से महत्वपूर्ण बन है।
- इंटरनेट और स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की बढ़ती लय से समर्थित डिजिटल साक्षरता पर सरकार के प्रोत्साहन के साथ यह प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी।

ई-कॉमर्स का महत्व

- असाधारण रूप से बड़ी संख्या में श्रमिकों को नियोजित करने वाले छोटे व्यवसायों को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स का अधिक से अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है।
- ये व्यवसाय सस्ते आयातित सामानों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जबकि उन्हें कई नुकसान का सामना करना पड़ता है जो उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को गलत तरीके से कमजोर करते हैं।
- जीएसटी और डिजिटलीकरण की ओर बढ़ने के साथ, अधिक छोटे व्यापारियों को परिवर्तन करने और विस्तार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- व्यापार पर एक व्यापक एफडीआई नीति की आवश्यकता जो सभी हितधारकों की जरूरतों का ख्याल रखती है: उत्पादक, उपभोक्ता, आपूर्ति श्रृंखला में सेवा प्रदाता और छोटे व्यापारी।
- सार्वजनिक नीति को ई-कॉमर्स पर हमारे घरेलू व्यवसायों को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के सपनों को पूरा करने के लिए देश में कई और रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में सभी हितधारकों के विचारों और हितों पर समान प्रीमियम रखने की आवश्यकता है।

अंडमान और निकोबार को मिला बड़ा जैविक प्रमाणन भूभाग

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - इकोनॉमी

सुर्खियों में-

- भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के कार निकोबार और द्वीपों के समूह नैनकोवरी के 14,491 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक प्रमाणपत्र दिया है। यह क्षेत्र पीजीएस-इंडिया (पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम) प्रमाणन कार्यक्रम के लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन (एलएसी) योजना के तहत जैविक प्रमाणीकरण से प्रमाणित किए जाने वाला पहला बड़ा क्षेत्र बन गया है।
- कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को प्रमाणित जैविक उत्पादन केंद्रों में बदलने के लिए उनकी पहचान करने के लिए काम कर रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

बड़े क्षेत्र प्रमाणन (एलएसी) कार्यक्रम

- कृषि विभाग ने अपनी प्रमुख योजना परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत इन संभावित क्षेत्रों का इस्तेमाल करने के लिए एक अनूठा त्वरित प्रमाणन कार्यक्रम “लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन” (एलएसी) शुरू किया है।
- एलएसी एक त्वरित प्रमाणन प्रक्रिया है जो कम लागत वाली है और किसानों को पीजीएस जैविक प्रमाणित उत्पादों के विपणन के लिए 2-3 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ता है।
- एलएसी के तहत, क्षेत्र के प्रत्येक गांव को एक क्लस्टर/ग्रुप के रूप में माना जाता है।
- गांव के अधार पर दस्तावेज सरल बनाए गए हैं।
- अपने खेत और पशुधन वाले सभी किसानों को मानक आवश्यकताओं का पालन करना होता है और प्रमाणित होने के बाद उन्हें संक्रमण अवधि तक इंतजार नहीं करना होता है। पी

- जीएस-इंडिया के अनुसार मूल्यांकन की एक प्रक्रिया द्वारा वार्षिक सत्यापन के माध्यम से वार्षिक आधार पर प्रमाणन का नवीनीकरण किया जाता है।

आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंक में शीर्ष अधिकारियों का कार्यकाल तय किया

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - बैंकिंग

सुर्खियों में-

- आरबीआई ने एक निजी क्षेत्र के बैंक में एमडी, सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) का कार्यकाल 15 वर्ष निर्धारित किया है और ऐसे पदाधिकारियों के लिए अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- आरबीआई द्वारा बोर्ड के चेयरमैन, मीटिंग, बोर्ड की विभिन्न समितियों के सदस्यों के संयोजन, आयु, कार्यकाल, निदेशकों के वेतन और WTDs की नियुक्तियों को जारी दिशा-निर्देशों में एमडी और सीईओ के कार्यकाल की मियाद और आयु से जुड़ी समयसीमा का उल्लेख किया गया है।
- आरबीआई ने कहा है कि वह आने वाले समय में बैंकों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर मास्टर डायरेक्शन लेकर आएगा।
- एक ही व्यक्ति 15 साल से ज्यादा समय तक एमडी और सीईओ या पूर्णकालिक निदेशक के पद पर नहीं रह सकता है।
- इसके बाद, तीन साल के अंतराल के बाद अगर बोर्ड को ऐसा करना आवश्यक लगता है तो उसी बैंक में उस व्यक्ति की नियुक्ति एमडी और सीईओ या पूर्णकालिक निदेशक के तौर पर की जा सकती है। अन्य अहर्ता शर्तों को पूरा करने पर ही ऐसा हो सकता है।
- इसमें कहा गया है कि इस तीन साल की कूलिंग अवधि के दौरान, व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी क्षमता में बैंक या उसके समूह संस्थाओं के साथ नियुक्त या संबद्ध नहीं किया जाएगा।
- साथ ही अध्यक्ष और गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 75 वर्ष निर्धारित की गई है।

वेज एंड मीन्स एडवांस

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - इकोनॉमी

सुर्खियों में-

- BI ने COVID-19 की व्यापकता के कारण सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वेज एंड मीन्स एडवांस (तात्कालिक देनदारी पूरी करने के लिए उधार) की व्यवस्था के तहत अंतरिम 51,560 करोड़ रुपये की सीमा 30 सितंबर, 2021 तक बनी रहेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- वेज और मीन्स एडवांस (WMA) एक ऐसा तंत्र है जिसका उपयोग आरबीआई द्वारा अपनी क्रेडिट नीति के तहत राज्यों को बैंकिंग प्रदान करने के लिए किया जाता है, ताकि सरकार की प्राप्ति और भुगतान के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल को दूर करने के लिये।
- यह आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के तहत निर्देशित है।
- राज्य सरकारों, 2021 (सुधीर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में) को WMA पर सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर, RBI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की WMA योजना को संशोधित किया था।
- समिति राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल व्यय के आधार पर अस्थायी कर्ज सुविधा सीमा तय करती है। यह सीमा 47,010 करोड़ रुपये बनती है।

- आरबीआई ने कहा कि वह इसके बाद महामारी के दौरान और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के आधार पर डब्ल्यूएमए सीमा की समीक्षा करेगा।

सोयाबीन की एक अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, एमएसीएस - अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट (एआरआई), पुणे के वैज्ञानिकों ने इस किस्म को विकसित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस नई विकसित किस्म को MACS 1407 कहा जाता है।
- यह असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर-पूर्वी राज्यों में खेती के लिए उपयुक्त है।
- 2022 में इसके बीज खरीफ सीजन के दौरान किसानों को बुवाई के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 2019 में, भारत ने लगभग 90 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन किया।
- सोयाबीन की व्यापक रूप से तिलहन के रूप में खेती की जाती है और पशु आहार और कई पैकेज्ड भोजन के लिए प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत है।
- भारत सोयाबीन के विश्व के प्रमुख उत्पादकों में शामिल होने का प्रयास कर रहा है।
- फलियों की अधिक उपज देने वाली, रोग प्रतिरोधी किस्में इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकती हैं।

The banner features several program icons and a central call-to-action button. From left to right:

- eCLP**: e-Classroom Mentorship Program (Foundation Course)
- ILP**: ONLINE Integrated Learning Program (Mentorship Based), with sub-options for ILP Basic, ILP Plus, and ILP Connect.
- AIPTS+**: All India Prelims Test Series + Video Discussions
- TLP / TLP+**: MAINS Mentorship-Based Answer Writing Program Online + Offline
- PEP**: Prelims Exclusive Program With Mentorship
- ADMISSION OPEN**: A prominent blue button with a white arrow pointing right, accompanied by a 'NEW BATCH' badge.

चावल गहनता प्रणाली (SRI)

SRI (एसआरआई) के बारे में :

- धान की सघनता की प्रणाली में अधिक से अधिक जैविक खाद के साथ धान की खेती करना शामिल है, जिसकी शुरुआत एक वर्गाकार पैटर्न में व्यापक दूरी पर अकेले रोपे गए नए पौधे से होती है; इसमें रुक-रुक कर सिंचाई करते रहने चाहिए जो मिट्टी को नम बनाये रखता है लेकिन जलभराव नहीं करना चाहिए है, और समय-समय पर निराई करने से पौधों की जड़ में आसानी से हवा की आवाजाही हो जाती है।
- SRI एक मानकीकृत, निश्चित तकनीकी पद्धति नहीं है।
- बल्कि यह विचारों का एक समूह है, जो भूमि, बीज, पानी, पोषक तत्वों और मानव श्रम के उपयोग के तरीके को बदलकर संसाधनों के व्यापक प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक छोटी लेकिन अच्छी तरह से व्यवस्थित संख्या में बीजों से उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक पद्धति है।

SRI शुरू में अधिक श्रम

- रोपाईं और निराई के लिए 50% अधिक दिन भर के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है।
- श्रमिकों को लाभ के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है।
- यह गरीब संसाधन के लिए एक विकल्प प्रदान करता है, जो अपने परिवार के श्रम में लगाते हैं।
- एक बार सही कौशल सीखने और लागू करने के बाद, श्रम लागत कम होगी।

SRI (एसआरआई) के लाभ

- उच्च पैदावार - अनाज और पुआल दोनों
- कम अवधि (10 दिनों तक)
- कम रासायनिक इनपुट
- कम पानी की आवश्यकता
- कम भुरभुरा अनाज
- अनाज के आकार में बदलाव के बिना अनाज का वजन बढ़ना
- उच्च शीर्ष वाली चावल की वसूली
- चक्रवाती आंधी का सामना करना
- शीत सहनशीलता
- जैविक गतिविधि से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होना

हानि

- प्रारंभिक वर्षों में उच्च श्रम लागत
- आवश्यक कौशल हासिल करने में कठिनाइयाँ
- जब कोई सिंचाई स्रोत उपलब्ध नहीं है तो यह उपयुक्त नहीं होगा

स्पाइसेस बोर्ड इंडिया और यूएनडीपी इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन

भाग-जीएस प्रीलिट्स और जीएस - III - अर्थव्यवस्था; पहुंचाने का तरीका

सुर्खियों में-

- स्पाइसेस बोर्ड इंडिया और यूएनडीपी इंडिया की एक्सेलेरेटर लैब ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- **उद्देश्य:** आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारतीय मसालों के लिए एक ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसिबिलिटी इंटरफेस का निर्माण करना।
- यह परियोजना आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मिर्च की खेती में लगे 3,000 से अधिक किसानों के साथ प्रायोगिक आधार पर शुरू की जाएगी।
- ब्लॉकचेन एक खुले और साझा इलेक्ट्रॉनिक लेजर पर लेनदेन रिकॉर्ड करने की एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया है।
- यह किसानों, दलालों, वितरकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं, नियामकों और उपभोक्ताओं सहित एक जटिल नेटवर्क में डेटा प्रबंधन में आसानी और पारदर्शिता लाता है, इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला को सरल बनाता है।

क्या आप जानते हैं?

- स्पाइसेस बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत पांच कमोडिटी बोर्ड में से एक है।
- यह एक स्वायत्त निकाय है।
- यह 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने और इलायची (छोटे और बड़े) के विकास के लिए जिम्मेदार है।

भारत में खाद्य अपव्यय समस्या

संदर्भ: भोजन की बर्बादी दशकों से एक समस्या रही है, और समय के साथ बिगड़ती जा रही है। यह अब पर्यावरणीय आकर अर्जित कर ली है यह अतिरिक्त खाद्य अपशिष्ट आमतौर पर लैंडफिल या गड्ढों में फेंक दिया जाता है, जो धीरे-धीरे विघटित होकर मीथेन एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण करता है, इसका नकारात्मक प्रभाव न सिर्फ पर्यावरण पर पड़ता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।

भारत में खाद्य अपव्यय पर डेटा

- खाद्य अपशिष्ट की काफी मात्रा हमारे घरों में उत्पन्न होती है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट-2021 के अनुसार, भारतीय घरों में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 50 किलो भोजन बर्बाद करता है अर्थात् भारत में घरेलू खाद्य अपशिष्ट का अनुमान 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष या 68,760,163 टन प्रतिवर्ष है।
- एफएओ द्वारा अनुमानित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में उत्पादित खाद्य पदार्थों का 40 प्रतिशत तक बर्बाद हो जाता है। यह वह नुकसान है जो भोजन के उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले ही हो जाता है।

महामारी का प्रभाव और भोजन की बर्बादी

- **गोदामों में सड़ना:** वर्ष 2020 में लॉकडाउन के शुरुआती चार महीनों के दौरान अनाज का अधिशेष भंडार 65 लाख टन आँका गया था, जो भारत में गोदामों में सड़ता रहा।
- **लॉकडाउन के दौरान बाजार तक किसानों की पहुंच से हुई बर्बादी के कारण:** हालांकि आवश्यक वस्तुओं को आवाजाही प्रतिबंधों से छूट दी गई थी, देश भर के किसानों को बाजारों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कई टन भोजन बर्बाद हो गया। इस बीच, मध्यम वर्ग द्वारा सहज जमाखोरी ने मूल्य श्रृंखला को बाधित कर दिया, जिससे स्थिति और बढ़ गई।

आगे की राह - भोजन की बर्बादी को कम करने के उपाय

- घर के सदस्यों द्वारा गैर-जिम्मेदार खपत पैटर्न का मतलब है कि बदलाव की शुरुआत हमारे अपने घरों से होनी चाहिए।
- किराने का सामान खरीदते समय परिकल्पित खरीदारी ताकि हम वास्तव में जरूरत से ज्यादा उत्पादों को इकट्ठा न कर सकें।
- जहां भी संभव हो एकल-उपयोग वाली पैकेजिंग को कम करना।

- रेस्तरां से सतर्कता पूर्वक ऑर्डर करना
 - शादियों में फालतू बुफे स्प्रेड पर पुनर्विचार
 - जब मांस और समुद्री भोजन की बात हो तो नाक से पूंछ तक खाना पकाने को शामिल करने के लिए खुला होना चाहिए ताकि मांस उद्योग से होने वाली बर्बादी से बचा जा सके
 - व्यक्ति को स्वयं के भोजन की खपत के बारे में सरल निर्णयों को प्रभाव शुरू करना होगा, और फिर अपने समुदाय के लोगों को शामिल करना होगा।
-

पहली बार इलेक्ट्रिक से चलने वाले ट्रैक्टर

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - अर्थव्यवस्था; कृषि

सुर्खियों में-

- सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, बुदनी (मध्य प्रदेश) ने संस्थान में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का परीक्षण किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- संस्थान को शुरू में गोपनीय परीक्षण के तहत इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था।
 - तदनुसार, संस्थान ने ट्रैक्टर का परीक्षण किया और फरवरी, 2021 में ड्राफ्ट टेस्ट रिपोर्ट जारी की।
 - इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर अन्य प्रकार के ट्रैक्टरों की तुलना में पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल होगा।
-

पर्यावरण/ प्रदूषण

कोयला संचालित बिजली संयंत्रों हेतु नए उत्सर्जन मानदंड

भाग-जीएस प्रीलिट्मस और जीएस- III - प्रदूषण

सुर्खियों में-

- केंद्र सरकार ने कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों हेतु नए उत्सर्जन मानदंडों को अपनाने की समय सीमा को तीन साल तक पीछे कर दिया है।
- इसने उन उपयोगिताओं को भी अनुमति दी है जो दंड का भुगतान करने के बाद संचालन जारी रखने के लिए नए लक्ष्य से चूक जाती हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत द्वारा शुरू में थर्मल पावर प्लांटों के लिये वर्ष 2017 की समयसीमा निर्धारित की गई थी ताकि विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती हेतु फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन (Flue Gas Desulphurization- FGD) इकाइयों को स्थापित करने में उत्सर्जन मानकों का पालन किया जा सके।
- लेकिन इसे वर्ष 2022 में समाप्त होने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग समय सीमा के लिए स्थगित कर दिया गया था।
- गैर-अनुपालन के मामले में, उत्पादित बिजली की प्रत्येक इकाई के लिए ₹0.20 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

अरस्तू और पर्यावरण नैतिकता

अरस्तू का निकोमाचियन नीतिशास्त्र (Aristotle's Nicomachean Ethics) नैतिकता पर अरस्तू की सबसे प्रसिद्ध कृति को दिया गया नाम है

निकोमाचियन एथिक्स में, अरस्तू ने न्याय के तीन रूपों को प्रतिष्ठित किया, अर्थात् वितरणात्मक, कम्यूटेटिव और सुधारात्मक।

वितरणात्मक न्याय

- यह इस बात से संबंधित है कि समानता, समानता और योग्यता के सिद्धांतों के संदर्भ में संसाधनों को कैसे वितरित किया जाना चाहिए।
- प्रमुख विकसित देशों की जलवायु कार्रवाई पेरिस समझौते के लक्ष्यों के साथ असंगत है।
- भारत सहित कुछ ही विकासशील देश पर्याप्त जलवायु कार्रवाई कर रहे हैं।
- इसलिए, पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में वितरणात्मक जलवायु न्याय सुनिश्चित करने के लिए निकट भविष्य में विकसित देशों द्वारा महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

विनिमेयशील न्याय

- यह समझौतों या प्रतिबद्धताओं, और अन्य प्रकार के सामाजिक अनुबंधों को संदर्भित करता है।
- जलवायु परिवर्तन विमर्श में, यह पिछले प्रतिबद्धताओं को सद्भाव में सम्मान देने का उल्लेख करता है।
- विकासशील देशों को वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण सहायता की विकसित देश की प्रतिपादन ठीक नहीं है।
- वे विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए 2020 तक प्रति वर्ष संयुक्त रूप से कम से कम 100 अरब डॉलर जुटाने के अपने जलवायु वित्त लक्ष्य को पूरा करने के नजदीक भी नहीं हैं।
- इन पिछली प्रतिबद्धताओं को पूरा करना विकासशील देशों द्वारा जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अग्रदूत साबित होगा।

सुधारात्मक न्याय

- यह गलतियों के सुधार से संबंधित है।
- जलवायु न्याय की मांग है कि इस धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विकास और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है।
- इसके लिए विकसित देशों को अधिक से अधिक न्यूनीकरण जिम्मेदारियों को निभाते हुए और विकासशील देशों में गरीब और कमजोर लोगों के हितों की रक्षा के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करके जलवायु ऋण चुकाने की आवश्यकता है।

वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक: 1.5 डिग्री सेल्सियस पाथवे

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - जलवायु परिवर्तन

सुर्खियों में-

- अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) ने विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- रिपोर्ट में तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के उपलब्ध संकीर्ण मार्ग के लिए ऊर्जा संक्रमण समाधान का प्रस्ताव है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक, कुल बिजली की जरूरतों का 90% नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा आपूर्ति की जाएगी, इसके बाद प्राकृतिक गैस से 6% और शेष परमाणु से आपूर्ति की जाएगी।
- एजेंसी ने विद्युत प्रणालियों में पवन और सौर पीवी के एकीकरण के लिए 30 नवाचारों की पहचान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA)

- यह एक अंतर सरकारी संगठन है।
- **अधिकृत पत्र:** सहयोग को सुगम बनाना , अक्षय ऊर्जा को अपनाने और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देना।
- **स्थापना:** 2009
- यह अधिनियम 2010 में लागू हुआ।
- **मुख्यालय:** मसदर सिटी, अबू धाबी।
- IRENA संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक पर्यवेक्षक है।

एक त्रि-ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में, आर्कटिक में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका

भारत के आर्कटिक ध्यान की एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण समयरेखा है

- 2007 : आर्कटिक महासागर में अभियानों के साथ शुरू हुआ
- अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान आधार नी-अलेसुंड, स्वालबार्ड, नार्वे में जुलाई 2008 में अपना एक अनुसंधान बेस 'हिमाद्रि' हिमनद विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान और जैविक विज्ञान विषयों में अध्ययन कार्य के लिये खोला।
- 2013: भारत को अन्य एशियाई देशों जैसे चीन, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के साथ 2013 में आर्कटिक परिषद को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था।

तीन ध्रुवों का महत्व

- हिंदू-कुश हिमालय क्षेत्र को तीसरा ध्रुव (Third Pole) माना जाता है, दो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर अधिकतम बर्फ जमा होने के कारण, भारत और उसके पड़ोस में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण जल भंडार है।
- आर्कटिक में भौतिक परिवर्तनों से भारतीय मानसून या "टेली-कनेक्शन" को प्रभावित करने की अत्यधिक संभावना है, जैसा कि वर्णित है।
- इसी तरह, गंगा के मैदानों से उत्सर्जन आंशिक रूप से आर्कटिक में हाल ही में देखी गई ब्लैक कार्बन घटनाओं की व्याख्या करता है।

आर्कटिक क्षेत्र का बढ़ता महत्व

- अंटार्कटिक के विपरीत, जहां शांति और विज्ञान की विरासत प्रचलित है, आर्कटिक में राजनीतिक-रणनीतिक चुनौतियां और प्रतिस्पर्धी आर्थिक और वाणिज्यिक हित हैं।
- **समृद्ध संसाधन:** आर्कटिक क्षेत्र में विश्व के अज्ञात तेल संसाधनों का 13% और प्राकृतिक गैस संसाधनों का 30% शामिल है। सामरिक धातुओं के विशाल भंडार भी खोजे गए हैं।
- **वैश्विक व्यापार मार्गों को बदलने की संभावना:** जैसे-जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है, वैसे आर्कटिक महासागर में नेविगेशन विश्व का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक चौराहा बनने की क्षमता के साथ काफी व्यापक हो जाएगा।

भारत के लिए आगे की राह

- **विज्ञान और कूटनीति को एकीकृत करें:** भारत अपनी कूटनीति में त्रि-ध्रुवीय भौगोलिक अभिव्यक्ति और इसके वैज्ञानिक जुड़ाव (अंटार्कटिक संधि प्रणाली और आर्कटिक परिषद के साथ) का लाभ उठाने के लिए अच्छा प्रदर्शन करेगा। यह भारत की अपनी जलवायु भेद्यता और जलवायु-स्थिति-स्थापक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों को देखते हुए आवश्यक है।
- **आर्कटिक में संसाधनों की भीड़ के मामले में सावधानी पूर्वक जुड़ाव:** आर्थिक अवसरों के संदर्भ में आर्कटिक का शुरू होना भारत के हित में है, लेकिन इसे सावधानी से मूल्यांकन करना होगा। संसाधनों की भीड़ में शामिल होने के बजाय, आर्कटिक राज्यों से स्वच्छ ऊर्जा में घर के नए निवेश को आकर्षित करना बेहतर होगा।
- **संसाधन पर विज्ञान को प्राथमिकता दें:** इस प्रकार, आर्कटिक महत्व भारत के नॉलेज प्रोफ़ाइल के निर्माण के प्रयासों के साथ वैज्ञानिक उद्यम में से एक होना चाहिए। अपने वैज्ञानिक पदचिह्न का विस्तार करने के लिए एक अत्याधुनिक ध्रुवीय अनुसंधान पोत की आवश्यकता होगी और भारत सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए।
- **द्विपक्षीय ध्रुवीय विज्ञान सहयोग:** ध्रुवीय अनुसंधान पर संयुक्त परियोजनाएं रूस और कनाडा जैसे आर्कटिक राज्यों के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था का हिस्सा बननी चाहिए। नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट के साथ पहले से ही स्थायी ध्रुवीय विज्ञान सहयोग है।

निष्कर्ष

- भारत के लिए आर्कटिक सभ्यता से अच्छा संबंध है। यह भौतिक पर्यावरण की प्रतिक्रिया के रूप में मानव सामाजिक विकास की चेतना को सुनिश्चित करता है जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने अपने काम, द आर्कटिक होम इन द वेद (1903) में व्यक्त किया था।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- आर्कटिक परिषद और आर्कटिक के प्रबंधन में इसका महत्व
 - जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
-

NGT ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए आठ सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - जलवायु परिवर्तन

सुर्खियों में-

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT) ने वायु गुणवत्ता की स्थिति में सुधार को लेकर प्रभावी कदमों की निगरानी के लिए आठ सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) का गठन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **संरचना:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, पेट्रोलियम, परिवहन, बिजली, कृषि, स्वास्थ्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी आदि इसके अध्यक्ष होंगे।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अपने कार्यालयों में निगरानी कक्षों और वायु गुणवत्ता निगरानी समिति की सहायता से राज्य स्तर पर कार्य योजनाओं के निष्पादन में प्रगति की निगरानी कर सकते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)

- यह एक विशिष्ट निकाय है।
- इसका गठन NGT अधिनियम, 2010 के अधीन किया गया था।
- **उद्देश्य:** (1) पर्यावरण के संरक्षण और संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान; (2) किसी भी नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देना; (3) विभिन्न पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए जिनमें बहु-अनुशासनात्मक मुद्दे शामिल हैं।
- भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद विश्व का तीसरा देश है।
- **बैठने का स्थान:** भोपाल, पुणे, नई दिल्ली (प्रधान स्थान), कोलकाता और चेन्नई।
- **संरचना:** NGT में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।
- यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम-से-कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य हों।
- **अवधि:** जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।
- अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
- न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिये केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है।
- NGT पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है:
 1. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
 2. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
 3. वन अधिनियम (संरक्षण), 1980
 4. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
 5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
 6. सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991
 7. जैविक विविधता अधिनियम, 2002

भारत और जर्मनी ने 'समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या का सामना कर रहे शहरों एक समझौते पर हस्ताक्षर किए

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार और जर्मन संघीय पर्यावरण मंत्रालय ने 'समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या का सामना कर रहे शहरों' तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य

- परियोजना के परिणाम स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के उद्देश्यों के अनुरूप हैं, जो निरंतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और 2022 तक प्लास्टिक के एकल उपयोग को रोकने के लिए प्रधानमंत्री के विजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।”
- इस परियोजना की परिकल्पना भारत और जर्मनी गणराज्य के बीच 'समुद्री कचरे की रोकथाम' के क्षेत्र में सहयोग के उद्देश्य से संयुक्त घोषणापत्र की रूपरेखा के तहत 2019 में की गई।
- **उद्देश्य:** समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक के प्रवेश को रोकने के लिए प्रथाओं को बढ़ाना।
- इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर, चयनित राज्यों (उत्तर प्रदेश, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) और कानपुर, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर शहरों में 3.5 साल की अवधि के लिए किया जाएगा।

एकीकृत सोलर ड्रायर और पायरोलिसिस पायलट संयंत्र की आधारशिला रखी गई

भाग- जीएस प्रीलियम और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक; कचरा प्रबंधन

सुर्खियों में-

- सीएसआईआर-सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएलआरआई), चेन्नई के निदेशक द्वारा इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर और पायरोलिसिस पायलट की आधारशिला रखी गई।

महत्वपूर्ण तथ्य

- पायलट शहरी जैविक कचरे को बायोचार और स्मार्ट शहरों में ऊर्जा में बदलने के लिए शुरू की गई इंडो-जर्मन परियोजना 'पाइरासोल' का हिस्सा है।
- यह पायलट इंडो-जर्मन परियोजना 'पायरासोल' का हिस्सा है, जिसका शुभारंभ स्मार्ट शहरों के शहरी जैविक कचरे को बायोचार और ऊर्जा में बदलने के लिए किया गया है।
- यह 'पायरासोल' परियोजना, इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (Indo-German Science & Technology Centre) द्वारा सीएसआईआर- केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (CLRI) को प्रदान की गई थी।
- यह परियोजना अंततः भारतीय स्मार्ट शहरों के रेशेदार कार्बनिक अपशिष्ट (Fibrous Organic Waste) और सीवेज कीचड़ (Sewage Sludge) के संयुक्त प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकी विकास के साथ-साथ ऊर्जा रिकवरी, कार्बन प्रच्छादन (carbon sequestration) और पर्यावरण सुधार से संबंधित स्वच्छ और अत्यधिक मूल्यवान बायोचार को बढ़ावा देगी।

क्या आप जानते हैं?

- इसका उद्देश्य भारत-जर्मन की अनुसंधान और प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग का उपयोग करते हुए अनुप्रयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास एवं उद्योग में भागीदारी की सुविधा प्रदान करने पर जोर देना है।
- IGSTC अपने प्रमुख कार्यक्रम '2+2 परियोजनाओं' के माध्यम से, भारत और जर्मनी से अनुसंधान और अकादमिक संस्थानों एवं सार्वजनिक/निजी उद्योगों की क्षमता को समन्वित करके नवाचार केंद्रित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को उत्प्रेरित करता है।

समाचारों में स्थान/ राष्ट्रीय उद्यान

ओडिशा की चिल्का झील में डॉल्फिन संख्या में वृद्धि

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - जैव विविधता; वातावरण

सुर्खियों में-

- भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का और ओडिशा तट पर डॉल्फिन की आबादी पिछले साल की तुलना में इस साल दोगुनी हो गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- राज्य वन और पर्यावरण विभाग की वन्यजीव इकाई ने इस साल जनवरी और फरवरी में आयोजित डॉल्फिन की जनगणना पर अंतिम आंकड़े जारी किए, जो संख्या में शानदार वृद्धि का संकेत देते हैं।
- संकटग्रस्त इरावदी डॉल्फिन, जो ज्यादातर चिल्का झील में पाई जाती हैं।
- 281 की आबादी के साथ कूबड़ वाली डॉल्फिन प्रजातियों के मामले में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई।
- ये कूबड़ वाली डॉल्फिन किसी नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं थीं, इसलिए इन्हें आवासीय स्तनधारियों के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है। उन्हें ओडिशा तट पर जाते हुए देखा गया था इसलिए अगली जनगणना में इनकी संख्या में उतार-चढ़ाव की होने की संभावना है।

मेघालय में खोजा गया भारत का पहला डिस्क फुट वाला चमगादड़

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - पर्यावरण; जैव विविधता

सुर्खियों में-

- मेघालय में भारत का पहला चिपचिपे पैरों वाले डिस्क-फुट दुर्लभ प्रजाति का चमगादड़ मिला है।
- भारत में चमगादड़ की प्रजातियों की संख्या बढ़कर 130 हो गई।

महत्वपूर्ण तथ्य

- डिस्क-फुटेड बैट (यूडिस्कोपस डेंटिकुलस) नोंगखिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य के पास दर्ज किया गया था।
- इस प्रजाति में बांस के आवास के लिए अनुकूलन की सीमा दूसरों में नहीं देखी जाती है।
- वैज्ञानिकों ने डिस्क-फुटेड बैट की उच्च आवृत्ति वाली इकोलोकेशन कॉल्स का विश्लेषण किया, जो बांस के पेड़ों के अंदर जैसे अव्यवस्थित वातावरण में अभिविन्यास के लिए उपयुक्त थी।
- डिस्क-फुट चमगादड़ को पाए जाने के बाद मेघालय में चमगादड़ों की संख्या 66 हो गई है।
- जो भारत के किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। इससे भारत में पाए जाने वाली चमगादड़ प्रजातियों में एक और प्रजाति बढ़ी है।

समाचारों में 'रेवाकोनोडोन इंडिकस' प्रजातियां

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - जैव विविधता

सुर्खियों में क्यों-

- मध्य प्रदेश में टिकी फॉर्मेशन, कशेरुकी जीवाश्मों का एक खजाना, अब एक नई प्रजाति और सिनोडॉट्स की दो पीढ़ी, छोटे चूहे जैसे जानवर पैदा हुए हैं जो लगभग 220 मिलियन वर्ष पहले रहते थे।



महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के तिहकी गाँव से एकत्र किए गए 10 दाँतों के नमूनों का अध्ययन करने के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग किया।
- परिणामों से पता चला कि उन्हें एक नई प्रजाति मिल गई थी, और उन्होंने इसका नाम रेवाकोनोडोन इंडिकस रखा, जो भारत को दर्शाता है, जिस देश से इसकी खोज की गई थी।
- टीम ने क्षेत्र से दो नई पीढ़ी की भी पहचान की।
- पहले नाम दिया गया था इंडोरियम फ्लोरिस, भारत और लैटिन शब्द के बाद थेरियम मतलब जानवर।
- चूंकि दाँतों में फूल के आकार का मुकुट था, इसलिए इसने प्रजाति का नाम फ्लोरिस अर्जित किया।
- दूसरे का नाम रखा गया टिकियोडोन क्रॉम्प्टोनी, Tiki गठन और ग्रीक शब्द के बाद ओडोन मतलब दाँत। प्रजाति का नाम पेलियोन्टोलॉजिस्ट एडब्ल्यू क्रॉम्पटन के बाद है।
- प्रजाति का नाम पेलियोन्टोलॉजिस्ट एडब्ल्यू क्रॉम्पटन

क्या आप जानते हैं?

- टिकी संरचना मध्य प्रदेश में एक भूतपूर्व ट्राइसिक (कार्नियन से नोरियन) भूगर्भिक संरचना है।
-

कारगिल जांस्कर सड़क का उन्नयन

भाग- जीएस प्रीलियम और जीएस - III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

सुर्खियों में-

- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कारगिल जांस्कर सड़क के उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- (EPC) इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण मोड के तहत 2 लेन कारगिल जांस्कर NH 301 सड़क को स्वीकृत किया गया है।
- जांस्कर- केंद्र द्वारा 2017 में कारगिल सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था।
- जांस्कर घाटी से यह सड़क कारगिल लद्दाख की सुरू घाटी, संकू घाटी को भी राजमार्ग से जोड़ती है।
- जांस्कर घाटी की यह सड़क, कारगिल लद्दाख की सांकू घाटी, सुरू घाटी, राजमार्ग से भी जुड़ती है।
- यह सड़क लद्दाख के सुदूर क्षेत्र के आर्थिक विकास की कुंजी होगी।

भारत ऊर्जा डैशबोर्ड (आईईडी) के 2.0 संस्करण

भाग- जीएस प्रीलियम और जीएस- III - ऊर्जा क्षेत्र

सुर्खियों में-

- भारत ऊर्जा डैशबोर्ड (आईईडी) के 2.0 संस्करण को नीति आयोग द्वारा शुभारंभ किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत ऊर्जा डैशबोर्ड (आईईडी) देश के उर्जा से जुड़े आंकड़ों के लिए एकल खिड़की का उद्यम है।
- केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरण, कोयला नियंत्रक संगठन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित/उपलब्ध कराये गए उर्जा से जुड़े आंकड़ों को उक्त डैशबोर्ड में संकलित किया जाता है।
- नीति आयोग ने इसके पहले संस्करण की शुरुआत मई, 2017 में की थी।
- भारत ऊर्जा डैशबोर्ड-2.0 के इस उन्नत संस्करण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
 1. आईईडी, वित्त वर्ष 2005-06 से वित्त वर्ष 2019-20 के आंकड़े उपलब्ध कराता है;
 2. एन्वैन्सड डाटा डाउनलोड में उपयोगकर्ताओं द्वारा डाउनलोड किए जाने वाले डाटाशीट को और सुव्यवस्थित तथा सुलभ बनाया गया है।
 3. आईईडी उप-वार्षिक आवृत्तियों पर भी डेटा प्रदान करता है। इसमें सरकारी एजेंसियों द्वारा बनाए गए कुछ पोर्टलों के मासिक डेटा और एपीआई से जुड़े डेटा शामिल हैं।
 4. मासिक आंकड़ों का स्रोत विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की मासिक आधार पर प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट है।
 5. एपीआई लिंक सौभाग्य, उजाला, प्राप्ति और विद्युत प्रवाह पोर्टल से जुड़ा है।

प्रेसर स्विंग एब्साप्शन (PSA) ऑक्सीजन संयंत्र

भाग- जीएस प्रीलियम और जीएस-II - नीतियां और हस्तक्षेप और जीएस - III - विज्ञान और तकनीक

सुर्खियों में-

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने सभी राज्यों में 162 प्रेशर स्विंग एब्साप्शन (पीएसए) ऑक्सीजन संयंत्र लगाने को मंजूरी दे दी है। और इनसे चिकित्सा ऑक्सीजन क्षमता में 154 मीट्रिक टन से अधिक की वृद्धि होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- दबाव स्विंग सोखना (PSA) प्रजाति के आणविक विशेषताओं और आत्मीयता के अनुसार दबाव में गैसों के मिश्रण से कुछ गैस प्रजातियों को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है।
- यह लगभग परिवेश के तापमान पर संचालित होता है और गैस पृथक्करण की क्रायोजेनिक आसवन तकनीकों से काफी भिन्न होता है।
- विशिष्ट सोखना सामग्री (जैसे, जिओलाइट्स, सक्रिय कार्बन, आणविक छलनी, आदि) एक जाल के रूप में उपयोग किया जाता है, जो उच्च दबाव पर लक्षित गैस प्रजातियों को सुविधात्मक रूप से सोख लेता है।
- फिर अधिशोषित सामग्री को सोखने के लिए प्रक्रिया कम दबाव में बदल जाती है।

कम-कार्बन भविष्य के माध्यम से नेतृत्व क्षेत्र में परिवर्तन

संदर्भ: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 'लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट' (Leader's Summit on Climate) में देश की नई अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त योजना की घोषणा की। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी 22-23 अप्रैल, 2021 को अमेरिका ने की थी।

भारत के सामने क्या दुविधा है?

- वैश्विक जलवायु संकट के संदर्भ में जब तक अमीर देश अधिक नहीं करते, तब तक केवल मामूली कदम उठाना व्यवहार्य नहीं है।
- फिर भी, एक भारतीय 2050 की नेट-जीरो प्रतिबद्धता की घोषणा करते हुए कई अमीर देशों की तुलना में कार्बनीकरण का अधिक भारी बोझ को झेल रहा है, और भारत की विकास आवश्यकताओं से विचारणीय रूप में समझौता कर सकता है।

उपरोक्त दुविधा को दूर करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए?

- हमें अपनी पहुंच के भीतर प्रौद्योगिकियों को आक्रामक रूप से अपनाने के माध्यम से ठोस, निकट अवधि के क्षेत्रीय परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करना और उच्च कार्बन लॉक-इन से बचने के लिए विचारणीय रूप से प्रयास करना चाहिए।
- यह उन प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगार सृजन, वितरणात्मक न्याय और कम प्रदूषण को संयोजित करने वाले क्षेत्रीय निम्न-कार्बन विकास मार्गों पर ध्यान केंद्रित करके अच्छे से पूरा किया जाता है। जहां भारत पहले से ही तेजी से बदल रहा है।
- यह दृष्टिकोण प्रत्यक्ष रूप से भारत के नेट-जीरो की ओर बढ़ने के अनुरूप है, जो हमारा दीर्घकालिक उद्देश्य होना चाहिए।
- समय के साथ, भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था-व्यापी नेट-जीरो लक्ष्यों और तारीख के बारे में अधिक विशिष्ट हो कर प्राप्त करता है।
- उपरोक्त मार्ग को समझने के लिए हम विद्युत क्षेत्र का उदाहरण लेंगे। अन्य क्षेत्रों के लिए भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

बिजली क्षेत्र

1. डीकार्बोनाइज पावर सेक्टर

- नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए, पहली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिजली क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करना है, जो भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत (लगभग 40%) है।
- अब तक, बिजली क्षेत्र में हमारे प्रयासों ने अक्षय बिजली क्षमता के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है, हालांकि कोयला आधारित बिजली क्षमता के विस्तार को सीमित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार से आगे जाने की जरूरत है।

2. कोयला क्षेत्र के लिए उच्चतम सीमा

- पहले, यह प्रतिज्ञा करना होगा कि भारत अपनी कोयले से चलने वाली बिजली क्षमता को पहले से घोषित की गई क्षमता से आगे नहीं बढ़ाएगा, और कोयला आधारित उत्पादन को स्वच्छ और अधिक कुशल बनाने का प्रयास करते हुए 2030 तक उच्चतम कोयला बिजली क्षमता तक पहुंचायेगा
- इस तरह की प्रतिज्ञा अक्षय ऊर्जा और भंडारण के विकास की पूरी गुंजाइश देगी और निवेशकों को एक मजबूत संकेत देगी।
- भारत को भविष्य की प्रौद्योगिकियों जैसे बिजली भंडारण, स्मार्ट ग्रिड, और प्रौद्योगिकियों में अग्रणी बनने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी जो परिवहन जैसे अन्य क्षेत्रों के विद्युतीकरण को सक्षम बनाती हैं।

3. बहु-हितधारक जस्ट ट्रांजिशन कमीशन

- अगला आवश्यक कदम सरकार के सभी स्तरों और प्रभावित समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बहु-हितधारक जस्ट ट्रांजिशन कमीशन बनाना है जिससे भारत के कोयला बेल्ट में कोयले से आगे आजीविका के अच्छे अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।
- यह आवश्यक है क्योंकि एक उज्ज्वल निम्न-कार्बन भविष्य की संक्रमण लागत भारत के गरीबों की पीठ पर नहीं पड़नी चाहिए।

4. ऊर्जा सेवाओं में सुधार

- घरों में एयर कंडीशनर, पंखे और रेफ्रिजरेटर मिलकर लगभग 60% बिजली की खपत करते हैं।
- आज, बाजार में बिकने वाला औसत पंखा एक कुशल पंखे की तुलना में दोगुने से अधिक खपत करता है, और एक औसत रेफ्रिजरेटर लगभग 35% अधिक खपत करता है।
- 2030 में, भारत सबसे कुशल ब्रैकेट में होने के कारण एयर कंडीशनर की बिक्री का 80%, पंखे और रेफ्रिजरेटर की बिक्री का 50% प्रभावशाली लक्ष्य निर्धारित करता है।
- ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के अलावा, इससे उपभोक्ता बिजली बिलों को कम करने का लाभ होता है।

निष्कर्ष

- इस तरह एक क्षेत्र-दर-क्षेत्र दृष्टिकोण भारत को इस बात पर जोर देने के लिए सशक्त बनाता है कि विकसित देश ठोस निकट-अवधि के उपायों को लागू करके अपने दूर के नेट-जीरो लक्ष्यों को पूरा करें जो अनिश्चित ऑफसेट पर कम निर्भर हैं।

सड़क-ट्रेनों के लिए मानक मसौदा

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III इंफ्रास्ट्रक्चर

सुर्खियों में-

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क-ट्रेनें (Road-Trains) चलाने के लिए मानक मसौदा प्रकाशित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- माल परिवहन में आमूल-चूल परिवर्तन लाने और कुल लॉजिस्टिक की लागत को कम करने के लिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मानक समिति ने अपने एआईएस-113 मानक (AIS-113 Standard) में संशोधन कर सड़क-ट्रेनों की सुरक्षा आवश्यकताओं को शामिल किया है।
- भारतीय परिचालन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यूरोपीय बेंचमार्क की जांच के बाद ये मानक तैयार किए गए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- सड़क-ट्रेन एक मोटर वाहन है, जिसमें खींचने के लिए पुलर का इस्तामल किया जाता है, जो ट्रेलर या अर्ध-ट्रेलरों (trailers or semi-trailers) के सीरियल संयोजन से जुड़ा होता है।

- ये भीड़ को कम करने, ईंधन बचाने और शोर और वायु-प्रदूषण को कम करने के लिए चुनिंदा मार्गों पर काम करेगा।
- ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मानक समिति संबंधित मंत्रालयों, परीक्षण एजेंसियों, उद्योग हितधारकों, बीआईएस आदि का प्रतिनिधित्व करता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

बैकाल-GVD (गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर): अंडरवाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - विज्ञान और टेक

सुर्खियों में-

- रूसी वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील, बैकाल में 'बैकाल-GVD (गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर) नामक दुनिया का सबसे बड़ा 'अंडरवाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप' लॉन्च किया है।



महत्वपूर्ण तथ्य

- **मिशन:** न्यूट्रिनो नामक रहस्यमयी मूलभूत कणों का विस्तार से अध्ययन किया जा सके और उनके संभावित स्रोतों का निर्धारण किया जा सके।
- यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित IceCube और भूमध्य सागर में स्थित ANTARES के साथ दुनिया के तीन सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टरों में से एक है।

अन्य संबंधित तथ्य

बैकाल झील

- बैकाल झील रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित एक दरार वाली झील है।
- यह दुनिया भर में मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसमें विश्व की ताजा सतह के पानी का 22 से 23% शामिल है।
- सतह क्षेत्र के संबंध में, यह दुनिया भर में सातवीं सबसे बड़ी झील है।
- अधिकतम गहराई: 1,642 मीटर (5,387 फीट)
- यह विश्व की सबसे पुरानी (25-30 मिलियन वर्ष) और सबसे गहरी झील है।
- इसका आकार लंबा, अर्धचंद्राकार है।
- बैकाल झील के पूर्व में स्थित क्षेत्र को ट्रांसबैकालिया या ट्रांसबैकाल भी कहा जाता है।
- झील के आसपास परिभाषित अव्यवस्थित क्षेत्र को कभी-कभी बैकालिया के नाम से जाना जाता है।
- वर्ष 1996 में यूनेस्को द्वारा बैकाल झील को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था।

राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन (NSM)

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक

सुर्खियों में-

- हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा कि, भारत बहुत ही तीव्र गति से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन (NSM) के साथ उच्च शक्ति कंप्यूटिंग में अग्रणी बन कर उभर रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसे भारत में एक सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड बनाने के लिए और अनुसंधान क्षमताओं के विकास हेतु, एनएसएम को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) के साथ लागू किया गया था।
- द्वारा निर्देशित: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)
- द्वारा कार्यान्वित: प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC) पुणे, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बेंगलुरु।
- विदित हो कि सितंबर 2021 में एनएसएम के दूसरे चरण के पूरा होने से देश की कंप्यूटिंग शक्ति 16 पेटाफ्लॉप्स (पीएफ) हो जाएगी।


क्या आप जानते हैं?

- पहले तीन सुपर कंप्यूटर आईआईटी बीएचयू, आईआईटी खड़गपुर और आईआईआईटीएम पुणे में स्थापित किये जाएंगे। आईआईटी बीएचयू को एक पेटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर मिलेगा। विदित हो कि परम शिवाय, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, को IIT (BHU) में स्थापित किया गया था।
- इसके बाद IIT- खड़गपुर में परम शक्ति, IISER पुणे में परम ब्रह्मा, JNCASR बेंगलुरु में परम युक्ति और IIT कानपुर में परम संगणक को स्थापित किया गया है।
- 16 नवंबर, 2020 को जारी विश्व के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली नॉन-डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों (Non-distributed Computer Systems) में 'परम सिद्धि' (Param Siddhi) ने 63वाँ स्थान हासिल किया।

मून जी-2: प्रकृति के नियमों को नियंत्रित करने वाली नई भौतिकी

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - विज्ञान और तकनीक
सुर्खियों में-

- वैज्ञानिकों का कहना है कि एक अंतरराष्ट्रीय प्रयोग के नए प्रकाशित परिणाम प्रकृति के नियमों को नियंत्रित करने वाली नई भौतिकी की संभावना को इंगित करते हैं।
- मुऑन जी -2 (जी माइनस टू) नामक प्रयोग, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के फर्मी नेशनल एक्सेलेरेटर लेबोरेटरी (फर्मिलैब) में आयोजित किया गया था।



महत्वपूर्ण तथ्य

- प्रयोग ने म्यूऑन नामक एक उप-परमाणु कण का अध्ययन किया।
- इसके परिणाम मानक मॉडल की भविष्यवाणियों से मेल नहीं खाते, जिस पर सभी कण भौतिकी आधारित है।
- और इसके बजाय 20 साल पहले एक प्रयोग में खोजे गए विरोधाभास की पुष्टि करते हैं।
- 2001 में ब्रुकहेवेन प्रयोग उन परिणामों के साथ संपन्न हुआ जो मानक मॉडल की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाते थे।
- मुऑन जी -2 प्रयोग ने इसे और अधिक सटीक रूप से मापा।

मानक मॉडल क्या है?

- मानक मॉडल एक कठोर सिद्धांत है जो ब्रह्मांड के निर्माण ब्लॉकों के व्यवहार की भविष्यवाणी करता है।
- यह छह प्रकार के क्वार्क, छह लेप्टन, हिग्स बोसोन और तीन मूलभूत बलों के लिए नियमों को परिभाषित करता है, और विद्युत चुंबकीय बलों के प्रभाव में उप-परमाणु कण कैसे व्यवहार करते हैं।
- म्यूऑन लेप्टन में से एक है।
- यह इलेक्ट्रॉन के समान है, लेकिन 200 गुना बड़ा है, और बहुत अधिक अस्थिर है, एक दूसरे के एक अंश के लिए जीवित है।

कितनी मात्रा में मापा गया?

- जी-कारक कहा गया था।
- यह मान 2 के करीब जाना जाता है, इसलिए वैज्ञानिक 2 से विचलन मापते हैं। इसलिए इसका नाम $g - 2$ है।
- घोषित किए गए नए प्रायोगिक परिणाम (ब्रुकहेवेन और फर्मिलैब परिणामों से संयुक्त हैं):
 1. जी-फैक्टर: 00233184122
 2. विषम चुंबकीय क्षण: 00116592061 है।

नैनोस्निफर का शुभारंभ

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - सुरक्षा; विज्ञान और तकनीक

सुर्खियों में-

- केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने 'नैनोस्निफर' (NanoSniffer) का लोकार्पण किया।
- यह विश्व का पहला माइक्रोसेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर (Explosive trace detector device- ETD) है।
- **द्वारा विकसित:** नैनोस्निफर टेक्नोलॉजीज, एक आईआईटी बॉम्बे इनक्यूबेटेड स्टार्टअप
- नैनोस्निफर का विपणन वेहांत टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है, जो दिल्ली आईआईटी से इनक्यूबेटेड एक पूर्व स्टार्टअप क्रिटिकल सॉल्यूशन्स (Kritikal Solutions) का एक सह-उत्पाद है।

महत्वपूर्ण तथ्य


- स्वदेशी यह एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर डिवाइस (ETD) - NanoSniffer 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटकों का पता लगा सकता है।
- इसके अलावा यह विभिन्न श्रेणियों में विस्फोटकों की पहचान एवं वर्गीकरण भी करता है।
- यह सैन्य, पारंपरिक और घर में निर्मित विस्फोटक के सभी वर्गों का पता लगाता है।
- नैनोस्निफर सूर्य के प्रकाश में पढ़ने योग्य कलर डिस्प्ले के साथ दिखाई एवं सुनाई देने योग्य चेतावनी देता है।
- भारत में नैनोस्निफर अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण के मामले में 100% निर्मित उत्पाद है।
- यह किफायती उपकरण आयातित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर उपकरणों पर भारत की निर्भरता को कम करेगा।

लिथियम आयन बैटरी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिये एक तकनीक विकसित

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III विज्ञान और तकनीक

सुर्खियों में-

- आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक तकनीक विकसित की है, जो वर्तमान में उपयोग किये जाने वाले अधिकांश वहनीय (Portable) उपकरणों को शक्ति प्रदान करती है।



अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 2019 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से स्टेनली व्हिटिंगम, जॉन गुडएनफ और अकीरा योशिनो को लिथियम-आयन बैटरी (Lithium-Ion Batteries) की खोज और उसके विकास के लिये दिया गया है।
- इन बैटरियों का उपयोग सौर और पवन ऊर्जा को संग्रहीत करने के लिए भी किया जा सकता है।

हानि

- ली-आयन बैटरियां अधिक गर्म होने के लिए अतिसंवेदनशील होती हैं और उच्च वोल्टेज पर क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है क्योंकि वे ज्वलनशील और दहनशील पदार्थों से बने होते हैं।
- ऐसी बैटरियां भी समय के साथ अपनी क्षमता खोने लगती हैं।

ली-आयन बैटरी के विकल्प

- इससे पहले जनवरी 2020 में, ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दावा किया था कि उन्होंने दुनिया की सबसे कुशल लिथियम-सल्फर (Li-S) बैटरी विकसित की है, जो लगातार पाँच दिनों तक स्मार्टफोन को बिजली देने में सक्षम है।
- Li-S बैटरियों को आमतौर पर ली-आयन बैटरियों का उत्तराधिकारी माना जाता है क्योंकि उनकी उत्पादन की कम लागत, ऊर्जा दक्षता और बेहतर सुरक्षा होती है।
- उनकी उत्पादन लागत कम है क्योंकि सल्फर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

हाइड्रोजन सल्फाइड का पता लगाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक नाक विकसित

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - विज्ञान और तकनीक

सुर्खियों में-

- वैज्ञानिकों ने बायोडिग्रेडेबल बहुलक (पॉलीमर) और एकलक (मोनोमर) से लैस एक इलेक्ट्रॉनिक नाक विकसित की है, जो दलदली क्षेत्रों और सीवरों में उत्पन्न होने वाली एक जहरीली, संक्षारक और ज्वलनशील गैस- हाइड्रोजन सल्फाइड (H₂S) का पता लगा सकता है।

- **द्वारा विकसित:** एक स्वायत्त संस्थान सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज (सीईएनएस), बेंगलुरु के वैज्ञानिकों।

महत्वपूर्ण तथ्य

- उन्होंने हवा के अणुओं या 'ओलफैक्ट्री रिसेप्टर न्यूरोन' (Olfactory Receptor Neuron- ORN) की पहचान के लिए जिम्मेदार न्यूरोन का प्रतिरूपण करके एक असाधारण रूप से संवेदनशील और चयनात्मक H₂S गैस आधारित सेंसर विकसित किया है।

क्या आप जानते हैं?

- हाइड्रोजन सल्फाइड दलदलों और सीवरों से उत्पन्न एक जहरीली, संक्षारक और ज्वलनशील गैस है।
- H₂S ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्मजैविक विघटन से उत्पन्न होने वाली प्राथमिक गैस है।
- और सीवर एवं दलदली क्षेत्रों में इसके उत्सर्जन को आसानी से पहचाने जाने की जरूरत है।

भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज

भाग-जीएस प्रीलियम और जीएस - III - सूचना प्रौद्योगिकी

सुर्खियों में-

- हाल ही में भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (National Internet Exchange of India- NIXI) की तीन नई पहलों/सेवाओं का उद्घाटन किया है।
- **उद्घाटन:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)

महत्वपूर्ण तथ्य

IPv6 विशेषज्ञ पैनल (IP गुरु):

- IP गुरु इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण, IPv6 को स्थानांतरित करने और अपनाने के लिए सभी भारतीय संस्थाओं को समर्थन देने वाला एक समूह है।
- यह दूरसंचार विभाग (DOT), MeitY और उद्योग का एक संयुक्त प्रयास है।
- विशेषज्ञ पैनल समूह में सरकारी और निजी संगठनों के सदस्य शामिल हैं।
- **NIXI अकादमी:** NIXI अकादमी भारत में लोगों को तकनीकी/गैर-तकनीकी शिक्षा प्रदान करने और IPv6 जैसी तकनीकों को फिर से तैयार करने के लिये बनाई गई है, जो आमतौर पर शैक्षिक संस्थानों में नहीं सिखाई जाती है।
- **NIXI-IP-INDEX:** NIXI ने इंटरनेट कम्युनिटी के लिये एक IPv6 इंडेक्स पोर्टल विकसित किया है। NIXI-IP-INDEX पोर्टल भारत और दुनिया भर में IPv6 को स्वीकार करने की दर को प्रदर्शित करेगा।

अन्य संबंधित तथ्य

भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (NIXI)

- NIXI निम्नांकित गतिविधियों के माध्यम से इंटरनेट की बुनियादी अवसंरचना तक भारत के नागरिकों की पहुँच स्थापित करने के लिये वर्ष 2003 से काम कर रही एक गैर-लाभकारी संस्था (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत) है:
 1. इंटरनेट एक्सचेंज के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP's), डेटा केंद्रों और सामग्री वितरण नेटवर्क (CDNs) के बीच इंटरनेट डेटा का आदान-प्रदान करना।
 2. .IN रजिस्ट्री, .IN कंट्री कोड डोमेन और .BHARAT IDN (अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम) डोमेन का पंजीकरण, प्रबंधन और संचालन।
 3. इंटरनेट नाम और संख्या (IRINN) के लिये भारतीय रजिस्ट्री, इंटरनेट प्रोटोकॉल (IPv4/IPv6) का प्रबंधन और संचालन।

क्या आप जानते हैं?

- इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 इंटरनेट प्रोटोकॉल का नवीनतम संस्करण है, संचार प्रोटोकॉल जो नेटवर्क पर कंप्यूटरों के लिए एक पहचान और स्थान प्रणाली प्रदान करता है और इंटरनेट पर रूट सर्वर करता है।

आदित्य-L1 सपोर्ट सेल (Aditya-L1 Support Cell)

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - विज्ञान और तकनीक; अंतरिक्ष

सुर्खियों में-

- भारत का पहला सौर अंतरिक्ष मिशन (first solar space mission) 'आदित्य-L1' है जो अगले साल शुरू होने वाला है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसमें 7 पेलोड (उपकरण) होंगे जिन्हें देश भर में विभिन्न संस्थानों द्वारा विकसित किया गया है।
- मिशन शुरू होने के बाद, इसके विभिन्न पेलोड पर काम की निगरानी और समन्वय के लिए एक ग्राउंड सपोर्ट सेंटर की आवश्यकता होगी।
- यह भूमिका नैनीताल के पास स्थित ARIES (आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस) द्वारा निभाई जाएगी।
- आदित्य-एल1 सपोर्ट सेंटर (एएससी) गेस्ट यूजर्स उपयोगकर्ताओं के लिए नियमित कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- इसके अलावा, यह सैटेलाइट डेटा और डेमो और हैंडआउट्स के लिए रेडी-टू-यूज पायथन और जावा ऐप भी उपलब्ध कराएगा, जिससे गेस्ट यूजर्स को सुविधा होगी।

नैरो-लाइन सेफ़र्ट 1 (NLS1) आकाशगंगा

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस-III - स्पेस; विज्ञान और तकनीक में भारतीयों की उपलब्धियां

सुर्खियों में-

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के एक स्वायत्त संस्थान, ARIES के वैज्ञानिकों ने स्लोअन डिजिटल स्काई सर्वे (SDSS) से लगभग 25,000 चमकदार सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक (AGN) का अध्ययन किया, जो पिछले 20 वर्षों से संचालन खगोलीय पिंडों का एक प्रमुख ऑप्टिकल इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वेक्षण है।
- यह लगभग 31 बिलियन प्रकाश-वर्ष की दूरी पर अवस्थित है।
- एनएलएस 1 आकाशगंगा को उत्सर्जित करने वाली नई सबसे दूर गामा-किरण तब बनी थी जब ब्रह्मांड केवल 4.7 अरब वर्ष पुराना था। ब्रह्मांड की वर्तमान आयु 13.8 बिलियन वर्ष है।

इंजैनिटी (Ingenuity) हेलिकॉप्टर ने भरी पहली उड़ान

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - स्पेस

सुर्खियों में-

- नासा ने घोषणा की कि इनजैनिटी ने अपनी पहली उड़ान भरी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- सरलता से मंगल पर उड़ान भरने वाला यह पहला हेलीकॉप्टर है।
- इसे नासा के पेरसेवेरंस रोवर द्वारा ले जाया गया था जिसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था।

- लगभग 2,400 rpm पर घूमने वाले काउंटर-रोटेटिंग ब्लेड का उपयोग करके सरलता से उड़ान भरने में सक्षम है।
- इसमें एक वायरलेस संचार प्रणाली है, और यह कंप्यूटर, नेविगेशन सेंसर और दो कैमरों से लैस है।

क्या आप जानते हैं?

- यह उन स्थानों से सतह से नमूने एकत्र करने में मदद करेगी जहां रोवर नहीं पहुंच सकता।
- यह फरवरी में मंगल के जेजरो क्रेटर पर उतरा।
- यह मंगल पर लगभग दो साल तक रहेगा और जीवन के पिछले संकेतों की खोज करेगा।
- रोवर को प्राचीन जीवन के संकेतों का अध्ययन करने, भविष्य के मिशनों के दौरान पृथ्वी पर वापस भेजे जाने वाले नमूने एकत्र करने और नई तकनीक का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिससे भविष्य में रोबोट और ग्रह पर मानव मिशन को लाभ हो सकता है।

बायोएथिक्स: बंदर के भ्रूण में मानव कोशिकाएँ

संदर्भ: अमेरिका में साल्व्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज के शोधकर्ताओं ने पहली बार मानव कोशिकाओं को बंदर के भ्रूण में विकास किया है। उनके इस काम के नतीजे 15 अप्रैल को सेल जर्नल में प्रकाशित हुए।

जबकि परिणाम "चिमेरा अनुसंधान" नामक अनुसंधान के इस विशेष क्षेत्र के लिए प्रगति का संकेत हैं, उन्होंने इस तरह के नैतिक अध्ययन कैसे और इस बारे में एक बहस को भी प्रज्वलित किया है।

शोधकर्ताओं ने क्या किया है?

- मकाक बंदरों के भ्रूण में मानव कोशिकाओं को एकीकृत करके, शोधकर्ताओं ने एक काइमेरिक उपकरण बनाया है।
- काइमेरस ऐसे जीव हैं जो दो अलग-अलग प्रजातियों की कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे : मानव और बंदर।
- इस अध्ययन में, मानव स्टेम कोशिकाओं वाले बंदर के भ्रूण 19 दिनों तक जीवित रहे और शरीर के बाहर विकसित हुए।

क्या इस तरह का शोध पहले किया गया है?

- इससे पहले, 2017 के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मानव कोशिकाओं को सूअर के ऊतकों में एकीकृत किया। क्योंकि सूअर, जिसके अंग और शारीरिक ढाँचा मनुष्यों के समान है, वे उन अंगों को बनाने में मदद कर सकते हैं जिन्हें अंततः मनुष्यों में प्रत्यारोपित किया जा सकता है।
- इसलिए, इस प्रयोग के बाद, उन्होंने एक ऐसी प्रजाति को चुनने का फैसला किया जो मनुष्यों से अधिक निकटता से संबंधित हो, इसलिये मैकाक बंदरों को चुना गया था।

काइमेरिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है?

- शोधकर्ताओं का मानना है कि दो अलग-अलग प्रजातियों की कोशिकाओं को एक साथ विकसित करने की क्षमता वैज्ञानिकों को अनुसंधान और चिकित्सा के लिये एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है, जो प्रारंभिक मानव विकास, रोगों की पहचान और प्रगति तथा समयावधि के बारे में वर्तमान में समझ को विकसित करती है।
- काइमेरिक उपकरण यह अध्ययन करने के लिये एक नया मंच प्रदान करते हैं कि बीमारियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिये एक विशेष जीन जो एक निश्चित प्रकार के कैंसर से जुड़ा होता है, को मानव कोशिका में प्रत्यारोपित किया जा सकता है।
- एक काइमेरिक मॉडल में अभियांत्रिक कोशिकाओं का उपयोग करके रोग की उत्पत्ति और विकास संबंधी जानकारी का अध्ययन करने में मदद प्राप्त की सकती है, जो उन्हें पशु मॉडल से प्राप्त परिणामों की तुलना में रोगों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है।

इसके बारे में नैतिक चिंताएं क्या हैं?

- **संकर जानवरों की उत्तरजीविता और बाँझपन:** 2014 में जीप (Geep) (बकरी + भेड़) नामक एक दुर्लभ हाइब्रिड जानवर का जन्म एक आयरिश नस्ल में हुआ था। जीप एक हाइब्रिड प्रजाति थी जो बकरी और भेड़ के बीच प्रजनन क्रिया द्वारा पैदा हुई थी। खच्चर एक हाइब्रिड जानवर है जो नर गधे (जैक) और मादा घोड़े (घोड़ी) के बीच क्रॉस-ब्रीडिंग द्वारा उत्पन्न होता है। सामान्यतौर पर विभिन्न प्रजातियाँ क्रॉस-ब्रीड नहीं करती हैं और यदि वे ऐसा करती हैं, तो उनकी संतान लंबे समय तक जीवित नहीं रहती है तथा बाँझपन का खतरा उत्पन्न होता है।
- **समाज द्वारा स्वीकृति:** यद्यपि शोधकर्ताओं ने यह स्पष्ट किया है कि मैकाक बंदरों के साथ बनाए गए काइमेरस का उपयोग मानव अंगों के लिये नहीं किया जाएगा, किंतु इसके बावजूद कई विशेषज्ञों ने यह संदेह जाहिर किया है कि 'काइमेरा रिसर्च' का एक उद्देश्य उन अंगों का निर्माण करना है, जिन्हें मनुष्यों में प्रत्यारोपित किया जा सकेगा।
- **अन्य जीवनरूपों का उपचार:** इस तरह यह कहा जा सकता है कि 'काइमेरा रिसर्च' में जानवरों के साथ होने वाले अन्याय को बढ़ावा देने की क्षमता है और यह मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जानवरों के उपयोग की अवधारणा को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें

रिस्पॉन्ड प्रोग्राम: इसरो

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - विज्ञान और तकनीक; अंतरिक्ष

सुर्खियों में-

- हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने घोषणा की है कि वह IIT- दिल्ली स्थित स्पेस टेक्नोलॉजी सेल (Space Technology Cell) की आठ संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का समर्थन करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसरो 1-3 साल की अलग-अलग अवधि के साथ अपने रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के तहत परियोजनाओं का समर्थन करेगा।
- नवंबर 2019 में ISRO और IIT-D के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत IIT-दिल्ली में STC की स्थापना की गई थी।
- **STC का उद्देश्य:** दो संगठनों के बीच अनुसंधान सहयोग को मजबूत करना और विशिष्ट डिलिवरेबल्स के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में केंद्रित अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करना।
- तब से, आठ सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं की घोषणा की गई है।
- कुछ परियोजनाओं में सूखा और बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए एक प्रणाली विकसित करना और भूमि-वायुमंडल की बातचीत को समझना शामिल है।
- **रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य:** अंतरिक्ष अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के लिए देश के शैक्षणिक संस्थानों के साथ सुदृढ़ संबंधों को स्थापित करना है, ताकि इनके अनुसंधान व विकास कार्यों के उपयोगी, परिणामों से इसरो को भी मदद मिले।

ब्रेकथ्रू इन्फेक्शन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - स्वास्थ्य और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक

सुर्खियों में-

- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने दावा किया कि कोविड-19 टीके की पहली या दोनों डोज लेने वाले केवल 0.04% लोग यानी कि 10,000 वैक्सीन लेने वाले लोगों में केवल 2 से 4 लोगों को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।

- कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम (COVID-19 Vaccination) से संक्रमण को रोकने में काफी सफलता मिली है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **ब्रेकथ्रू इन्फेक्शन:** अगर कोई व्यक्ति सभी डोज लेने के बावजूद कोविड-19 से संक्रमित होता है तो ये ब्रेकथ्रू इन्फेक्शन कहा जाएगा।
- एस्ट्राजेनेका परीक्षण में, उदाहरण के लिए, 5,807 में से 30 टीका लगाए गए - लगभग 0.5% — दूसरे शॉट के 14 दिन बाद लक्षणात्मक और पॉजिटिव परीक्षण किए गए।

मंगल ग्रह के वायुमंडल से बनाई सांस लेने योग्य ऑक्सीजन

भाग- जीएस प्रीलियम और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक; अंतरिक्ष सुखियों में-

- नासा के पर्सिवरेंस रोवर (Perseverance Rover) ने मंगल ग्रह पर वायुमंडल से कार्बन डाई ऑक्साइड (CO₂) को शुद्ध करके सांस लेने योग्य ऑक्सीजन बनाई।

महत्वपूर्ण तथ्य

- मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का अभूतपूर्व निष्कर्षण मार्स ऑक्सीजन इन-सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट (MOXIE) नामक उपकरण द्वारा हासिल किया गया था।
- पर्सिवरेंस रोवर (Perseverance Rover) में छह पहियें लगे होते हैं।
- इसने लगभग 5 ग्राम ऑक्सीजन तैयार किया, जो एक अंतरिक्ष यात्री के लिए लगभग 10 मिनट की सांस के बराबर है।
- उम्मीद है कि यह प्रति घंटे 10 ग्राम O₂ का उत्पादन कर सकता है।
- यह किसी अन्य ग्रह के पर्यावरण से प्राकृतिक संसाधन का पहला निष्कर्षण है।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रूस की वापसी

संदर्भ: अंतरिक्ष अनुसंधान में दो दशकों से अधिक के अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बाद, रूस ने घोषणा की थी कि वह 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग कर लेगा।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या करता है?

- स्पेस स्टेशन एक अंतरिक्ष यान होता है जो चालक दल के सदस्यों को विस्तारित अवधि के लिये निवास संबंधी सुविधा देने में सक्षम होता है, साथ ही इसमें अन्य अंतरिक्ष यानों को भी डॉक किया जा सकता है।
- ISS, 1998 से अंतरिक्ष में है, और इसे भाग लेने वाली पांच अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच अनुकरणीय सहयोग के लिए जाना जाता है जो इसे चला रही हैं: NASA (संयुक्त राज्य अमेरिका), रोस्कोस्मोस (रूस), JAXA (जापान), ESA (यूरोप), और सीएसए (कनाडा)।
- नासा के अनुसार, 19 देशों के 243 लोग अब तक आईएसएस का दौरा कर चुके हैं, और तैरती प्रयोगशाला ने जीव विज्ञान, मानव शरीर विज्ञान, भौतिक सामग्री और अंतरिक्ष विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में 3,000 से अधिक अनुसंधान और शैक्षिक जांच की मेजबानी की है।

हाल ही में यूएस-रूस अंतरिक्ष प्रतिद्वंद्विता

- ISS को सफल बनाने में रूस एक महत्वपूर्ण प्लेयर रहा है, प्रारंभिक वर्षों में अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए उन्नत रूसी मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं।

- रूस अपने सोयुज यात्री वाहन के कारण भी अपरिहार्य था, जिसने 2011 में अमेरिका द्वारा अपने अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम को सेवानिवृत्त करने के बाद से अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक पहुंचाने का एकमात्र शैली के रूप में कार्य किया।
- रूस पर यह निर्भरता पिछले साल समाप्त हो गई, हालांकि, जब अमेरिका ने एलोन मस्क द्वारा विकसित स्पेसएक्स सिस्टम का उपयोग करना शुरू किया।
- रोस्कोस्मोस के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि इसका मतलब अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने के लिए नासा से प्राप्त धन खत्म था। नासा ने 2011 से 2019 के बीच सोयुज उड़ानों पर 3.9 अरब डॉलर खर्च किए थे।
- अगले साल, अमेरिका के पास स्पेसएक्स के अलावा एक और घरेलू विकल्प होने की उम्मीद है, क्योंकि बोइंग के विलंबित स्टारलाइनर कैप्सूल के चालू होने की उम्मीद है।
- पिछले साल, रूस ने आर्टेमिस कार्यक्रम (नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र सतह पर वापस लाने का कार्यक्रम) का हिस्सा बनने के लिए एक अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन मार्च 2021 में चीन के साथ संयुक्त रूप से एक चंद्र आधार विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

अमेरिका-रूस का बढ़ता तनाव

- यह विकास ऐसे समय में आया है जब पश्चिम और रूस के बीच संबंध बिगड़ते जा रहे हैं।
- अमेरिका ने क्रेमलिन पर "सोलरविंड्स" हैक करने और 2020 के चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है।
- हाल ही में, चेक गणराज्य द्वारा एक हथियार डिपो में 2014 के विस्फोट में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद रूस को नाटो गठबंधन से आलोचना का सामना करना पड़ा था।
- पिछले साल, अमेरिका ने रूस पर हथियारों का परीक्षण करने का आरोप लगाया था जब एक प्रक्षेप्य को रूसी उपग्रह से दागे जाने की बात कही गई थी। बदले में रूस ने अंतरिक्ष को "सैन्य थिएटर" के रूप में मानने के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया।

तो, रूस अब क्या करने की योजना बना रहा है?

- अब रूस अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और प्रबंधन करने की योजना बना रहा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक कक्षा में लॉन्च करना है। इसके अंतरिक्ष मॉड्यूल एनर्जी कॉर्पोरेशन द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है, और इसकी लागत कम से कम \$ 5 बिलियन है।
- कथित तौर पर यह स्टेशन उच्च अक्षांश पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, जिससे यह ध्रुवीय क्षेत्रों का बेहतर निरीक्षण करने में सक्षम होगा, खासकर जब से रूस बर्फ पिघलने पर आर्कटिक समुद्री मार्ग विकसित करने की योजना बना रहा है।
- एक नए स्टेशन के निर्माण से रूस को उन चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी जो वर्तमान में पुराने आईएसएस पर उसके अंतरिक्ष यात्रियों का सामना कर रही हैं, जैसे कि दो दशक से अधिक पुराने हार्डवेयर आर्किटेक्चर के लिए नवीनतम तकनीक को अपनाना और प्रयोग करना।
- रूस अंतरिक्ष स्टेशन का प्रबंधन स्वयं करेगा, लेकिन अन्य देशों के लिए इसमें शामिल होने के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- नाविक
- निजीकरण के दौर में अंतरिक्ष अन्वेषण

चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन का कोर कैप्सूल मॉड्यूल लॉन्च किया

भाग- जीएस प्रीलियमस और जीएस - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक सुखियों में-

- चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्य मॉड्यूल लॉन्च किया, जिसमें प्रमुख लॉन्च मिशनों की एक श्रृंखला शुरू की गई, जिसका लक्ष्य अगले साल के अंत तक स्टेशन का निर्माण पूरा करना है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 'तियानहे' नामक इस मॉड्यूल को ले जाने वाले लॉन्च मार्च 5बी वाई 2 रॉकेट के माध्यम से दक्षिणी द्वीपीय प्रांत हैनान के वेनचांग प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया।
- तियानहे मॉड्यूल अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग, (अर्थात् स्वर्ग महल) के प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। वहीं इसमें एक साथ तीन अंतरिक्ष यान खड़ा करने की व्यवस्था है।
- इसका डिजाइन किया गया जीवनकाल 10 वर्ष है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह उचित रखरखाव और मरम्मत के साथ 15 वर्षों से अधिक समय तक चल सकता है।


क्या आप जानते हैं?

- चीनी अंतरिक्ष स्टेशन के पुराने हो रहे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन है।
 - ISS एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है जिसमें पांच प्रतिभागी अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं जिनमें NASA, (US), Roscomos (रूस), JAXA (जापान), ESA (यूरोप) और CSA (कनाडा) शामिल हैं।
-

आपदा प्रबंधन

जंगल की आग

संदर्भ: अप्रैल-मई वह मौसम होता है जब देश के विभिन्न हिस्सों में जंगल की आग लगती है। 2021 के आरम्भ से हिमाचल प्रदेश, नागालैंड-मणिपुर सीमा, ओडिशा, मध्य प्रदेश और गुजरात में वन्यजीव अभयारण्यों में वनाग्नि की श्रृंखलाएं देखी गईं।



इमेजेज स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत के कितने जंगल आग की चपेट में हैं?

- फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI), देहरादून द्वारा जारी इंडिया स्टेट ऑफ़ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 (ISFR) के अनुसार, 2019 तक, देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.67% (7,12,249 वर्ग किमी) भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत था। 2.89% (95,027 वर्ग किमी) और है।
- पूर्व की आग की घटनाओं और दर्ज की गई घटनाओं के आधार पर, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के जंगलों में जंगल की आग सबसे संवेदनशील क्षेत्र हैं।
- असम, मिजोरम और त्रिपुरा में जंगलों की पहचान जंगल की आग के लिए अत्यंत उच्च प्रवण 'श्रेणी के रूप में की गई है।
- अत्यंत उच्च प्रवण 'श्रेणी के अंतर्गत बड़े वन क्षेत्रों वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
- उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ऐसे दो राज्य हैं जहां सालाना सबसे ज्यादा जंगल में आग लगती है। उत्तराखंड में, 24,303 वर्ग किमी (भौगोलिक क्षेत्र का 45 प्रतिशत से अधिक) वन आच्छादित है।

जंगल में आग लगने का क्या कारण है?

- जंगल में आग कई प्राकृतिक कारणों से हो सकती है, अध्ययन के अनुसार भारत में कई प्रमुख आग मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से शुरू होती हैं।
- वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व, विशेष रूप से पिछले दो वर्षों में ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में अमेज़ॉन के जंगलों में लगी भीषण आग। जिसके लिए जलवायु परिवर्तन को उत्तरदायी समझा जा सकता है।
- लंबी अवधि की आग, बढ़ती तीव्रता, उच्च आवृत्ति और अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति सभी को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा रहा है।

- उदाहरण के लिए, उड़ीसा में, जहां हाल ही में सिमलीपाल के जंगल में भीषण आग लगी थी, महुआ के फूलों संग्रह करकेकोजमीन पर सूखे पत्तों को साफ करने के लिए ग्रामीणों द्वारा जंगल के इलाकों में आग लगाई जाती है। इन फूलों का उपयोग एक पेय तैयार करने के लिए किया जाता है जो प्रकृति में नशा के रूप उपयोग किया जाता है

जंगल की आग पर काबू पाना मुश्किल क्यों है?

- **कठिन भूभाग:** जंगल के इलाके और उस तक पहुंच अग्निशमन प्रयासों को शुरू करने में बाधा बनती है।
- **जनशक्ति की कमी:** पीक सीजन के दौरान, अग्निशमन टीमों के लिए कर्मचारियों की कमी एक और चुनौती है। घने जंगलों के माध्यम से आग के प्रकार के आधार पर, वन कर्मचारियों, ईंधन और उपकरणों का समय पर जुटना चुनौतियां हैं।
- **पुरानी तकनीकें:** चूंकि घने जंगलों में पानी से भरे भारी वाहनों को परिवहन करना असंभव है, इसलिए ब्लोअर और इसी तरह के उपकरणों का उपयोग करके आग बुझाने का काम मैनुअल रूप से शुरू किया जाता है। लेकिन ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जब हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग करके जंगल की आग को नियंत्रण में लाया गया।
- **मौसम कारक:** हवा की गति और दिशा जंगल की आग को नियंत्रण में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आग अधिकतर हवाओं की दिशा में अधिक ऊंचाई की ओर फैलती है

क्या कारण जंगल की आग को एक चिंता का विषय बनाते हैं?

- जलवायु परिवर्तन में शमन और अनुकूलन में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कार्बन उत्सर्जन: वे एक सिंक, जलाशय और कार्बन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। एक हेल्थी वन किसी भी अन्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में अधिक कार्बन का भंडार और पृथक्करण करता है।
- **आजीविका की हानि:** भारत में, जंगलों के करीब निकटता वाले 1.70 लाख गांवों (2011 की जनगणना) में, कई करोड़ लोगों की आजीविका ईंधन की लकड़ी, बांस, चारा और छोटी लकड़ी पर निर्भर है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्जनन क्षमता को प्रभावित करता है:** जंगल की आग वन आवरण, मिट्टी, वृक्षों की वृद्धि, वनस्पति और समग्र वनस्पतियों और जीवों पर कई प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। आग कई हेक्टेयर जंगल को बेकार करके राख के रूप में पीछे छोड़ देती है, जिससे यह किसी भी वनस्पति विकास के लिए अनुपयुक्त हो जाता है।
- **वनों का सिकुड़ना:** आग के दौरान उत्पन्न गर्मी पशु आवासों को नष्ट कर देती है। उनकी संरचना में परिवर्तन के साथ मिट्टी की गुणवत्ता घट हो जाती है। मिट्टी की नमी और उर्वरता भी प्रभावित होती है। इस प्रकार वन आकार में सिकुड़ सकते हैं। आग से बचे हुए पेड़ अक्सर अस्त-व्यस्त रहते हैं और विकास बुरी तरह प्रभावित होता है।

जंगलों की आग को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयत्न

- 2004 के बाद से, FSI ने वास्तविक समय में जंगल की आग की निगरानी के लिए फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम विकसित किया। जनवरी 2019 में लॉन्च किए गए अपने उन्नत संस्करण में, सिस्टम अब नासा और इसरो से एकत्रित उपग्रह जानकारी का उपयोग करता है।
- पहचाने गए फायर हॉटस्पॉट से वास्तविक समय की आग की जानकारी MODIS सेंसर का उपयोग करके इकट्ठा की जाती है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से FSI को प्रेषित की जाती है।
- यह जानकारी तब राज्य, जिला, सर्कल, डिवीजन, रेंज, बीट स्तरों पर ईमेल के माध्यम से प्रसारित की जाती है। इलाके में इस प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को एसएमएस अलर्ट जारी किए जाते हैं। जनवरी 2019 में FSI प्रणाली के 66,000 से अधिक उपयोगकर्ता थे।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- सिमलीपाल जंगल की आग

ओडिशा रोपेक्स जेटी परियोजना

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - इंफ्रास्ट्रक्चर
सुर्खियों में-

- ओडिशा में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपये की रोपैक्स जेड्टी परियोजना का निर्माण किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने हर मौसम में ROPAX (रोल-ऑन/रोल-ऑफ पैसेंजर) जेड्टी और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
- यह सागरमाला पहल के तहत भद्रक जिले के कनिनाली और केंद्रपाड़ा जिले के तलचुआ को जोड़ेगा।
- यह परियोजना यात्रियों के लिए सड़क मार्ग से यात्रा के समय को 6 घंटे से घटाकर जलमार्ग से 1 घंटे कर देगी।
- भद्रक जिले में कनिनाली और केंद्रपाड़ा जिले में तलचुआ क्रमशः, धामरा नदी के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर स्थित हैं।

रक्षा/ आंतरिक सुरक्षा / सुरक्षा

DRDO द्वारा चैफ प्रौद्योगिकी

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - रक्षा और सुरक्षा
सुर्खियों में-

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने दुश्मन के मिसाइल हमले के खिलाफ नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी विकसित की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- डीआरडीओ प्रयोगशाला, डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर (DLJ) ने भारतीय नौसेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए इस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के तीन प्रकारों को विकसित किया है, जिसमें शॉर्ट रेंज चैफ रॉकेट (SRCR), मीडियम रेंज चैफ रॉकेट (MRCR) और लॉन्ग रेंज चैफ रॉकेट (LRCR) है।
- चैफ प्रौद्योगिकी निष्क्रिय व्ययशील इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है, जिसका उपयोग दुश्मन के रडार से बचने और मिसाइल से नौसेना के जहाजों की रक्षा के लिए किया जाता है।
- इस विकास का महत्व इस तथ्य में निहित है कि हवा में तैनात चैफ सामग्री की बहुत कम मात्रा जहाजों की सुरक्षा के लिए दुश्मन की मिसाइलों को विक्षेपित करने के लिए प्रलोभन का काम करती है।

टेरर फंडिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस - II - न्यायपालिका और जीएस- III - आतंकवाद
सुर्खियों में-

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किसी आतंकवादी संगठन को अपने व्यवसाय की रक्षा के लिए उगाही की राशि के भुगतान को टेरर फंडिंग नहीं है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के एक कोयला ट्रांसपोर्टर को जमानत दे दी, जिसने भाकपा (माओवादी) से अलग हुए नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टीपीसी) को भारी मात्रा में भुगतान किया था।
 - मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने आतंकवाद के वित्तपोषण (CTF) से संबंधित सदस्यों को सिफारिशें की हैं।
 - इसने उन देशों की ब्लैकलिस्ट और ग्रेलिस्ट बनाई है जिन्होंने पर्याप्त सीटीएफ कार्रवाई नहीं की है।
 - FATF एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में G7 की पहल पर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां विकसित करने के लिए की गई थी।
 - 2001 में, आतंकवाद के वित्तपोषण को शामिल करने के लिए इसके अधिदेश का विस्तार किया गया था।
-

पायथन-5 मिसाइल का सफल परीक्षण

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस - III - रक्षा और सुरक्षा सुर्खियों में-

- डीआरडीओ ने पायथन-5 एयर-टू-एयर मिसाइलों का किया पहला सफल परीक्षण किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने हवा से हवा में मार करने की क्षमता में 5वीं पीढ़ी के पायथन-5 एयर-टू-एयर मिसाइल (एएएम) को शामिल किया है।
 - इन परीक्षणों का उद्देश्य तेजस पर पहले से ही इंटीग्रेटेड डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) AAM की क्षमता को बढ़ाना है।
 - ये परीक्षण अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों में भी अपने प्रदर्शन की पुष्टि की।
 - ये परीक्षण अपने सभी नियोजित उद्देश्यों को पूरा किया।
-

विविध

| समाचार | विवरण |
|----------------|---|
| 1. पारोस्मिया | <ul style="list-style-type: none">● कुछ लोगों को परोस्मिया का अनुभव COVID-19 के लक्षण के रूप में हो सकता है।● प्रभावित व्यक्ति "गंध की भावना के विकृतियों" का अनुभव करते हैं।● पारोस्मिया से ग्रसित व्यक्ति कुछ गंधों का पता लगा सकता है, लेकिन वे कुछ चीजों की गंध को अलग और अक्सर अप्रिय के रूप में अनुभव करते हैं।● उदाहरण के लिए, पारोस्मिया वाले किसी व्यक्ति के लिए, कॉफी से जले हुए टोस्ट की तरह गंध आती है।● पारोस्मिया एक अस्थायी स्थिति है और हानिकारक नहीं है।● कुछ सामान्य ट्रिगर: भुना हुआ, टोस्ट या ग्रिल्ड खाद्य पदार्थ, कॉफी, प्याज, चॉकलेट, लहसुन और अंडे।● यह संभावना है कि जब "नाक के अंदर ऊतक और जटिल संरचना पर वायरस द्वारा हमला किया जाता है, तो घ्राण संवेदी न्यूरोन्स को हुई क्षति के कारण पैरोस्मिया स्वयं उत्पन्न होता है।" |
| 2. जॉर्डन देश | <ul style="list-style-type: none">● पूर्व क्राउन प्रिंस और सत्तारूढ़ सम्राट अब्दुल्ला के सौतेले भाई प्रिंस हमजा बिन अल हुसैन को आलोचकों पर कार्रवाई के तहत कथित तौर पर नजरबंद कर दिया गया है।● जॉर्डन पश्चिमी एशिया के लेवेंट क्षेत्र में जॉर्डन नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक अरब देश है।● इसकी सीमा सऊदी अरब, इराक, सीरिया, इजराइल और फिलिस्तीन (पश्चिमी तट) से लगती है।● मृत सागर इसकी पश्चिमी सीमा की ओर स्थित है।● राजधानी शहर: अम्मान।● यह एक संवैधानिक राजतंत्र है, लेकिन राजा के पास व्यापक कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ होती हैं। |
| 3. चिनाब ब्रिज | <ul style="list-style-type: none">● चिनाब ब्रिज का आर्क क्लोजर हाल ही में पूरा हुआ।● चिनाब पुल विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है।● स्थान: जम्मू और कश्मीर।● द्वारा विकसित: भारतीय रेलवे।● यह पुल 28,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से उत्तर रेलवे द्वारा बनाई जा रही 272 किलोमीटर लंबी रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है।● यह पुल आठ तीव्रता तक के भूकंप और उच्च तीव्रता वाले विस्फोटों का सामना करने में सक्षम होगा।● इस पुल की डिजाइन पर गाड़ी की गति लगभग 100 किमी/घंटा होगी और इसका |

| | |
|----------------------------|---|
| | जीवनकाल 120 वर्ष होगा। |
| 4. बी.1.617 | <ul style="list-style-type: none"> ● "डबल म्यूटेंट" वायरस जिसे वैज्ञानिकों ने पिछले महीने भारत में महामारी के प्रसार पर असर के रूप में चिह्नित किया था, इसका औपचारिक वैज्ञानिक वर्गीकरण है: B.1.617 ● अब तक चिंताओं के केवल तीन वैश्विक रूपों की पहचान की गई है: यू.के. संस्करण, दक्षिण अफ्रीकी और ब्राजीलियाई (P.1) वंश। |
| 5. व्हिटसन रीफ | <ul style="list-style-type: none"> ● व्हाट्सन रीफ, जिसे व्हिटसन रीफ, व्हाटसम रीफ और जूलियन फेलिप रीफ के नाम से भी जाना जाता है। ● यह पश्चिमी फिलीपीन सागर के स्प्रेटली द्वीप समूह में यूनियन बैंकों की पूर्वोत्तर सीमा पर एक चट्टान है। ● यह यूनियन बैंकों की सबसे बड़ी चट्टान है। |
| 6. 2001 मार्स ओडिसी | <ul style="list-style-type: none"> ● नासा के मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान ने इसकी मैपिंग के 20 साल पूरे कर लिए हैं। ● यह अभी भी लाल ग्रह पर काम करने वाला सबसे पुराना अंतरिक्ष यान है। ● इसे 2001 में मंगल ग्रह की संरचना का नक्शा बनाने के लिए भेजा गया था। ● मंगल ग्रह की यात्रा करने वाले मनुष्यों की व्यवहार्यता भी मार्स ओडिसी पर सवार एक उपकरण का फोकस था जिसने यह मापा कि अंतरिक्ष यात्रियों को कितना अंतरिक्ष विकिरण से झुझना होता है। ● मंगल ग्रह के सबसे पूर्ण वैश्विक मानचित्र ओडिसी के अवरक्त कैमरे का उपयोग करके बनाए गए थे, जिसे थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम या THEMIS कहा जाता है। |
| 7. उमंगोट नदी | <ul style="list-style-type: none"> ● मेघालय की उमंगोट नदी को देश की सबसे साफ नदी कहा जाता है। ● ये खूबसूरत नदी मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग से 95 किमी दूर भारत-बांग्लादेश सीमा के पास स्थित पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के दावकी कस्बे में बहती है। ● यह नदी, री पनार (जयंतिया पहाड़ियों की) और हिमा खिरिम (खासी पहाड़ियों की) के बीच की प्राकृतिक सीमा है। ● दावकी ब्रिज उमंगोट नदी पर बना एक सस्पेंशन ब्रिज है। |
| 8. सेरोजा (चक्रवाती तूफान) | <ul style="list-style-type: none"> ● ट्रॉपिकल साइक्लोन सेरोजा ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के 1,000 किमी के दायरे में तबाही मचा दी है, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। ● इंडोनेशियाई में सेरोजा नाम का अर्थ कमल होता है। |
| 9. डायटम परीक्षण | <ul style="list-style-type: none"> ● डायटम प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक प्रमुख शैवाल हैं जो ताजे और समुद्री जल, मिट्टी सहित लगभग हर जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, ये कहीं भी नम स्थान पर। ● फॉरेंसिक पैथोलॉजी में डूबने से मृत्यु का निदान करना एक कठिन कार्य माना जाता है। ● यदि परीक्षण किए जा रहे शरीर में डायटम हैं तो परीक्षण में निष्कर्ष शामिल हैं ● जलाशय से बरामद शरीर का यह मतलब नहीं है कि मौत डूबने के कारण हुई थी। ● यदि पानी में प्रवेश करते समय व्यक्ति जीवित है, तो डूबते समय व्यक्ति के पानी में प्रवेश करने पर डायटम फेफड़ों में प्रवेश करेगा। |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● फिर ये डायटम रक्त परिसंचरण द्वारा मस्तिष्क, गुर्दे, फेफड़े और अस्थि मज्जा सहित शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। ● यदि कोई व्यक्ति पानी में फेंके जाने पर मर जाता है, तो कोई परिसंचरण नहीं होता है और डायटम कोशिकाओं का विभिन्न अंगों तक कोई परिवहन नहीं होता है। |
| 10. गायत्री मंत्र | <ul style="list-style-type: none"> ● गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। ● यह ऋग्वेद का एक अत्यधिक पूजनीय मंत्र है, जो सावित्री को समर्पित है जिसे वेदमाता के नाम से भी जाना जाता है। ● महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ● यह मंत्र हिंदू धर्म में युवा पुरुषों के लिए उपनयन समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और लंबे समय से द्विज पुरुषों द्वारा अपने दैनिक अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में इसका पाठ किया जाता है। ● आधुनिक हिंदू सुधार आंदोलनों ने महिलाओं और सभी जातियों को शामिल करने के लिए इस मंत्र की प्रथा का प्रसार किया और इसका उपयोग अब बहुत व्यापक है। ● विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने एम्स, ऋषिकेश में एक नैदानिक परीक्षण के लिए वित्त पोषित किया है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या गायत्री मंत्र का जाप और प्राणायाम करने से रोगियों के समूह में कोविड-19 को जल्दी ठीक होने में मदद मिल सकती है। |
| 11. चोलिस्तान मरुस्थल | <ul style="list-style-type: none"> ● चोलिस्तान मरुस्थल, जिसे स्थानीय भाषा में रोही के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तानी पंजाब के दक्षिणी भाग में एक बड़ा रेगिस्तान है। ● यह ग्रेटर थार रेगिस्तान का हिस्सा है, जो सिंध प्रांत और राजस्थान तक फैला हुआ है। ● यह पंजाब के दो बड़े रेगिस्तानों में से एक है, दूसरा थार रेगिस्तान है। ● चोलिस्तान रेगिस्तान में डेरावर किला स्थित है। |
| 12. भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 323 | <ul style="list-style-type: none"> ● स्वदेश निर्मित 'भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन (आईएनएएस) 323' (Indian Naval Air Squadron 323) को गोवा में एएलएच एमके III (ALH Mk III) की पहली इकाई के रूप में नौसेना में शामिल किया गया। ● स्क्वाड्रन तीन अत्याधुनिक मल्टीरोल हेलीकाप्टर एएलएच एमके III का संचालन करेगी। ● यह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा निर्मित शक्ति इंजन वाला एक बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टर है। ● एएलएच के एमके III संस्करण में सभी 'ग्लास कॉकपिट' (glass cockpit) हैं और इसका उपयोग खोज और बचाव, विशेष अभियानों और तटीय निगरानी के लिए किया जाएगा। |
| 13. माई ऑक्टोपस टीचर | <ul style="list-style-type: none"> ● हाल ही में 85 मिनट की वृत्तचित्र फीचर माई ऑक्टोपस टीचर ने अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार जीता। ● यह उस संबंध के बारे में है जो एक इंसान और एक जंगली ऑक्टोपस के बीच विकसित |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>हुआ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● यह पिप्पा एर्लिच और जेम्स रीड द्वारा निर्देशित 2020 की नेटफ्लिक्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ● यह फिल्म निर्माता क्रेग फोस्टर द्वारा दक्षिण अफ्रीकी केलप वन में एक जंगली के साथ एक रिश्ता बनाने के लिए खर्च किया आम ऑक्टोपस का एक वर्ष का दस्तावेज है। |
| <p>14. केलप वन</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● केलप वन उच्च घनत्व वाले पानी के नीचे के क्षेत्र हैं जो विश्व के समुद्र तटों के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। ● वे पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादक और गतिशील पारिस्थितिक तंत्रों में से एक के रूप में पहचाने जाते हैं। ● एंकर केलप के छोटे क्षेत्रों को केलप बेड कहा जाता है। ● केलप वन दुनिया भर में समशीतोष्ण और ध्रुवीय तटीय महासागरों में पाए जाते हैं। ● केलप एक प्रकार का वृहद् भूरा समुद्री शैवाल होते हैं जो लैमिनारियल्स क्रम बनाते हैं। |

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

मॉडल प्रश्न: (उत्तर अंत में दिए गए हैं)

Q.1 जबरवान रेंज किसके बीच स्थित है:

- a) पीर पंजाल रेंज और ग्रेट हिमालयन रेंज
- b) ज़ांस्कर रेंज और धौलाधार रेंज
- c) शिवालिक हिल्स और लद्दाख रेंज
- d) पीर पंजाल रेंज और पूर्वी काराकोरम रेंज

Q.2 होप कंसोर्टियम निम्नलिखित में से किसके लिए अबू धाबी की एक पहल है?

- a) डीप टेक स्टार्ट अप
- b) इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को समाप्त करना
- c) COVID-19 टीकों के लिए समाधान
- d) सीरियाई शरणार्थी संकट का समाधान

Q.3 निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार डबल म्यूटेंट कोरोनावायरस वायरस पाया है?

- a) भारत
- b) यूके
- c) ब्राजील
- d) दक्षिण अफ्रीका

Q.4 दुनिया के तीन सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टरों में से एक को हाल ही में निम्नलिखित में से किस ml में लॉन्च किया गया था?

- a) बैकाल झील
- b) दक्षिणी ध्रुव
- c) भूमध्य सागर
- d) मृत सागर

Q.5 बैकाल झील कहाँ स्थित है?

- a) इजराइल
- b) रूस
- c) ताजिकिस्तान
- d) तुर्की

Q.6 निम्नलिखित में से कौन 1192 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का एक कारक था?

- a) तराइन का युद्ध
- b) किलिक की लड़ाई
- c) अमरोहा की लड़ाई
- d) पानीपत का प्रथम युद्ध

Q.7 निम्नलिखित में से कौन बिम्सटेक का सदस्य नहीं है?

- a) बांग्लादेश
- b) भूटान
- c) भारत
- d) चीन

Q.8 निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) का हिस्सा नहीं है?

- a) चीन
- b) फ्रांस
- c) यूएसए
- d) जर्मनी

Q.9 निम्नलिखित में से कौन चीन की मुद्रा है?

- a) रिंगित
- b) रॅन्मिन्बी
- c) येन
- d) डॉंग

Q.10 डिजिटल मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह केंद्रीय बैंक द्वारा गारंटीकृत कानूनी निविदा है।
 2. इसमें लेनदेन शुल्क शामिल है।
- उपरोक्त में से कौन सा सही है/सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.11 H-1B वीजा निम्नलिखित में से किस प्रकार के लोगों से संबंधित है?

- a) एक विद्यार्थी
- b) स्थायी रूप से USA जाने वाले प्रवासी
- c) कुशल श्रमिक
- d) अमेरिकी सरकार की ओर से यात्रा करने वाले अस्थायी कर्मचारी

Q.12 निम्न में से कौन दुर्लभ रोगों की सूची में सूचीबद्ध है?

- a) सिकल सेल एनीमिया
- b) हाइपोथायरायडिज्म
- c) मधुमेह
- d) रक्त कैसर

Q.13 जॉर्डन अपनी पश्चिमी सीमाओं पर निम्नलिखित में से किस नदी से घिरा है?

- a) भूमध्य सागर
- b) मृत सागर
- c) लाल सागर
- d) कैस्पियन सागर

Q.14 भारतीय मसाला बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
 2. यह एक स्वायत्त निकाय है।
- उपरोक्त में से कौन सा सही है/सही है?
- a) केवल 1
 - b) केवल 2
 - c) 1 और 2 दोनों
 - d) न तो 1 और न ही 2

Q.15 'वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट' निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है?

- a) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- b) संयुक्त राष्ट्र
- c) विश्व आर्थिक मंच
- d) एमनेस्टी इंटरनेशनल

Q.16 केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक वैधानिक निकाय है।
2. इसमें एक अध्यक्ष और तीन सतर्कता आयुक्त होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.17 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अधिनियम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है
2. उपभोक्ता को सूचित करने और सक्षम बनाने के लिए प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी इत्यादि से संबंधित जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.18 एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (IHIP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह डिजिटल मोड में निकट-वास्तविक समय डेटा सुनिश्चित करेगा।
2. यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रोग निगरानी मंच भी है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.19 रेपो रेट का क्या अर्थ है?

- a) जब किसी बैंक को नकदी की आवश्यकता होती है तो वह विनिमय के बिलों पर छूट दे सकता है और भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकता है।
- b) जब किसी बैंक के पास अतिरिक्त नकदी होती है, तो वे आरबीआई से नकदी के बदले प्रतिभूतियां खरीदते हैं, इस शर्त

पर कि वे आरबीआई को पूर्व निर्धारित दिन और कीमत पर प्रतिभूतियों को फिर से बेचते हैं।

c) यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ अस्थायी ऋण सुविधा की अनुमति देता है, इस शर्त पर कि बैंक एक छोटी अवधि के भीतर प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद करेगा।

d) यह वह दर है जो बैंकों द्वारा अपने सबसे मूल्यवान ग्राहकों या प्रमुख ग्राहकों को दी जाती है।

Q.20 विकास वित्त संस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सरकार संस्था को 5 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में देगी।
2. DFI शुरू में पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व में होगा और अगले कुछ वर्षों में इसे 50% तक लाया जाएगा।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.21 अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

- a) भारत
- b) जापान
- c) जर्मनी
- d) अबू धाबी

Q.22 सेशेल्स निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित 115 द्वीपों का एक द्वीपसमूह है?

- a) हिंद महासागर
- b) अटलांटिक महासागर
- c) प्रशांत महासागर
- d) आर्कटिक महासागर

Q.23 मून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह इलेक्ट्रॉन के समान है।
 2. यह एक इलेक्ट्रॉन से कम स्थिर है।
- उपरोक्त में से कौन सा सही है /सही है?

- a) केवल 1

- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.24 नैनोस्निफर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विभिन्न वर्गों में विस्फोटकों की पहचान और वर्गीकरण भी करता है।

2. यह सैन्य, पारंपरिक और घरेलू विस्फोटकों के सभी वर्गों का पता लगाता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.25 'विहटसन रीफ' निम्नलिखित में से किस समुद्र में स्थित है?

- a) बेरिंग सागर
- b) लाल सागर
- c) कैरेबियन सागर
- d) फिलीपीन सागर

Q.26 निम्नलिखित में से कौन भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है?

- a) डल झील
- b) चिल्का झील
- c) सांभर झील
- d) वेम्बनाड झील

Q.27 इरावदी डॉल्फिन की IUCN स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है?

- a) लुप्तप्राय
- b) गंभीर रूप से संकटग्रस्त
- c) कम से कम संबंधित
- d) कमजोर

Q.28 निम्नलिखित में से कौन सा लेख सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धर्म को

स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के मौलिक अधिकार से संबंधित है?

- a) अनुच्छेद 26 b) अनुच्छेद 25
c) अनुच्छेद 27 d) अनुच्छेद 28

Q.29 SAAMAR (कुपोषण और एनीमिया में कमी के उन्मूलन के लिए रणनीतिक कार्रवाई) अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है?

- a) राजस्थान b) मध्य प्रदेश
c) झारखंड d) उत्तर प्रदेश

Q.30 'उमंगोट नदी' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत की सबसे साफ नदी है।
2. यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है /सही है?

- a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.31 'गंगा डॉल्फिन' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?

- a) गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN द्वारा 'लुप्तप्राय' प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
b) यह भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत एक अनुसूची-I जानवर है।
c) इसे लुप्तप्राय प्रजातियों (CITES) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के अनुबंध-I में शामिल किया गया है।
d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Q.32 एल्युमिनियम-एयर बैटरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?

- a) एल्युमिनियम-एयर बैटरी-आधारित इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रति बैटरी 400 किमी या उससे अधिक की अधिक रेंज की प्रस्ताव की उम्मीद है।
b) एल्यूमीनियम-एयर बैटरी में एल्यूमीनियम प्लेट समय के साथ एल्यूमीनियम ट्राइहाइड्रॉक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और उस एल्यूमीनियम को पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

- c) ऐसी बैटरियों के लिथियम-आयन बैटरियों की तुलना में सस्ती होने की भी उम्मीद है।
d) इन्हें लिथियम-आयन बैटरी की तरह रिचार्ज किया जा सकता है।

Q.33 संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है?

- a) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
b) लघु और मध्यम उद्योग
c) फल और सब्जियां
d) गैर-संचारी रोग

Q.34 'आहार क्रांति मिशन' का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके लिए है?

- a) पौष्टिक रूप से संतुलित आहार
b) सभी स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुंच
c) स्वच्छ पेयजल
d) (a) और (b) दोनों

Q.35 पोषण ज्ञान, स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था?

- a) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
b) नीति आयोग
c) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
d) इंसोसिस

Q.36 'मानस' को निम्नलिखित में से किसके लिए लॉन्च किया गया था?

- a) COVID-19 टीकाकरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए
b) सभी आयु समूहों में भलाई को बढ़ावा देना
c) लॉकडाउन के बीच स्कूल जाने वाले बच्चों को सहायता प्रदान करना
d) स्वस्थ हुए कोविड-19 रोगियों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए

Q.37 'हाइड्रोजन सल्फाइड' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक ज्वलनशील गैस है।
2. यह दलदलों और सीवरों से उत्पन्न होता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.38 भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (NIXI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक गैर-लाभकारी संगठन है।
2. यह भारत के नागरिकों के लिए इंटरनेट के बुनियादी ढांचे को फैलाने के लिए काम करता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/सही है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.39 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था?

- a) विश्व बैंक
- b) विश्व आर्थिक मंच
- c) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)
- d) आसियान

Q.40 निम्नलिखित में से किस श्रेणी में 'ई वीजा' प्रदान किया जाता है?

1. पर्यटक
2. व्यापार
3. सम्मेलन

सही कोड चुनें:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) 1, 2 और 3
- d) केवल 1

Q.41 राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. परिषद के अध्यक्ष उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त सचिव हैं।
2. गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.42 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक स्वायत्त निकाय है।
2. इसमें अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.43 भारत का पहला बांस में रहने वाला चिपचिपा डिस्क वाला चमगादड़ किस राज्य में पाया गया ?

- a) महाराष्ट्र
- b) गुजरात
- c) मेघालय
- d) सिक्किम

Q.44 हेपरिन-प्रेरित थ्रोम्बोसाइटोपेनिया (HIT) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसमें हेपरिन रक्त के थक्कों का कारण बनता है।
2. प्लेटलेट काउंट में गिरावट भी होती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.45 'टिकी फॉर्मेशन' भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है?

- a) मध्य प्रदेश
- b) छत्तीसगढ़
- c) गोवा
- d) उत्तर प्रदेश

Q.46 निम्नलिखित में से कौन सी क्रिप्टो करेंसी का प्रकार है/हैं?

1. बिटकॉइन
2. लाइटकॉइन
3. एथेरियम
4. डॉगकॉइन

सही उत्तर का चयन करें:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1
- c) केवल 2, 3, 4
- d) 1, 2, 3 और 4

Q.47 'चोलिस्तान मरुस्थल' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह पाकिस्तान में स्थित है।
2. यह थार मरुस्थल का एक भाग है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.48 स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विशेष रूप से भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करेगा।
2. इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.49 निम्नलिखित में से कौन-सा सागर जर्मनी के उत्तरी हिस्से की सीमा पर नहीं है?

- a) मृत सागर
- b) भूमध्य सागर
- c) बाल्टिक सागर
- d) (a) और (b) दोनों

Q. 50 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर इनजेनिटी है।

2. जेजेरो क्रेटर बृहस्पति पर स्थित है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.51 निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से है?

1. पश्चिम बंगाल
2. असम
3. नागालैंड
4. मणिपुर

सही कोड चुनें:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) केवल 2 और 4

Q.52 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?

- a) बिना डॉक्टर की सरहद
- b) एमनेस्टी इंटरनेशनल
- c) विश्व आर्थिक मंच
- d) सीमाओं के बिना रिपोर्टर

Q. 53 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कोरोनावायरस के स्पाइक प्रोटीन के एक हिस्से को फ्यूजन पेप्टाइड कहा जाता है।

2. यह यौगिक कोरोनावायरस के बीच भिन्न होता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.54 'रिस्पोंड कार्यक्रम' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह डीआरडीओ का एक कार्यक्रम है।
2. भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना कार्यक्रम के उद्देश्यों में से एक है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.55 'बोआओ फोरम' का मुख्यालय स्थित है?

- a) चीन
- b) फिलीपींस
- c) वियतनाम
- d) जापान

Q.56 निम्न में से कौन-सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है?

- a) अनुच्छेद 26
- b) अनुच्छेद 330
- c) अनुच्छेद 224A
- d) अनुच्छेद 32

Q.57 इस वर्ष 'पृथ्वी दिवस' की थीम क्या था?

- a) पर्यावरण और जलवायु शिक्षा
- b) हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें
- c) प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें
- d) हमारी प्रजातियों की रक्षा करें

Q.58 कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसकी स्थापना अकेले WHO ने की थी।
2. इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करना है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.59 कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स (CCSCH) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. भारत मेजबान देश है।
2. समिति ने अपने पिछले चार सत्रों में काली/सफेद/हरी मिर्च, जीरा, अजवायन और लहसुन के सूखे या निर्जलित रूपों के लिए मानकों को विकसित और अंतिम रूप दिया है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.60 निम्नलिखित में से कौन-सा/से NPCI संचालित सिस्टम है/हैं?

1. राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (NACH)
2. तत्काल भुगतान सेवा (IMPS)
3. आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS)
4. भारत बिल भुगतान प्रणाली

सही कोड चुनें :

- a) केवल 1 और 3
- b) केवल 1 और 2
- c) केवल 2 और 4
- d) 1, 2, 3 और 4

Q.61 तरीके और साधन अग्रिम (WMA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. यह आरबीआई की एक क्रेडिट पॉलिसी है
2. यह राज्यों को उनकी प्राप्ति और भुगतानों के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल से निपटने में मदद करने के लिए प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.62 'चाड झील' कहाँ स्थित है?

- a) अफ्रीका
- b) उत्तरी अमेरिका
- c) दक्षिण पूर्व एशिया

d) यूरोप

Q.63 निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है/हैं?

1. गेहूं
2. जौ
3. सरसों
4. चावल

सही कोड चुनें :

- a) केवल 1, 2 और 4
- b) केवल 2, 3 और 4
- c) केवल 1, 2 और 3
- d) 1, 2, 3 और 4

Q.64 तरल ऑक्सीजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह कठोरता से अनुचुंबकीय है।
2. तरल ऑक्सीजन में कार्बनिक पदार्थ बहुत धीरे-धीरे जलते हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.65 'अभ्यास वरुण' भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है?

- a) फ्रांस
- b) यूके
- c) रूस
- d) यूएसए

Q.66 कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 'लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन' योजना के तहत जैविक प्रमाणीकरण से सम्मानित होने वाला पहला बड़ा सन्निहित क्षेत्र बन गया है?

- a) पुडुचेरी
- b) दमन और दीव
- c) जम्मू और कश्मीर
- d) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

Q.67 बड़े क्षेत्र प्रमाणन (LAC) कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) की योजना के तहत कार्यक्रम है।
2. LAC के तहत, क्षेत्र के प्रत्येक गांव को एक समूह/समूह के रूप में माना जाता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.68 'ब्रेकथ्रू संक्रमण' के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- a) यह एक संक्रमण है जो उन लोगों में होता है जिन्हें दो खुराक का टीका लगाया गया है।
- b) यह एक संक्रमण है जो उन लोगों में होता है जिन्हें टीका नहीं लगाया गया है।
- c) यह एक संक्रमण है जो उन लोगों में होता है जिन्हें एक बार टीका लगाया गया है।
- d) यह एक संक्रमण है जो उन लोगों में होता है जो एक बार Covid-19 से संक्रमित हो चुके हैं।

Q.69 हाल ही में किस ग्रह पर उसके वायुमंडल से पहली बार ऑक्सीजन निकाली गई थी?

- a) बृहस्पति
- b) नेपच्यून
- c) मंगल
- d) शनि

Q.70 निम्नलिखित में से कौन सा देश आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI) का हिस्सा नहीं है?

- a) भारत
- b) जापान
- c) ऑस्ट्रेलिया
- d) दक्षिण अफ्रीका

Q.71 केल्विन वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वे उष्णकटिबंधीय तटीय महासागरों में दुनिया भर में होते हैं।
2. वे पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादक और गतिशील पारिस्थितिक तंत्र के रूप में पहचाने जाते हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.72 निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2030 तक 50 मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए वैश्विक टीकाकरण रणनीति शुरू की है?

- a) WHO
- b) UNICEF
- c) Gavi
- d) उपरोक्त सभी

Q.73 सोयाबीन की नई विकसित उच्च उपज और कीट प्रतिरोधी किस्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर-पूर्वी राज्यों में खेती के लिए उपयुक्त है।
2. इसके बीज किसानों को 2022 में, खरीफ सीजन के दौरान बुवाई के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.74 निम्नलिखित में से कौन से देश 'नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम' का हिस्सा हैं?

1. संयुक्त राज्य अमेरिका
2. कनाडा
3. नॉर्वे
4. कतर
5. चीन

सही कोड चुनें:

- a) केवल 1, 2 और 3
- b) केवल 2, 4 और 5
- c) केवल 1, 2, 3 और 4
- d) केवल 4 और 5

अप्रैल 2021 महीने के करंट अफेयर्स MCQs की उत्तरकुंजी

| | |
|----|---|
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | A |
| 4 | A |
| 5 | B |
| 6 | A |
| 7 | D |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | A |
| 11 | C |
| 12 | A |
| 13 | B |
| 14 | B |
| 15 | C |
| 16 | A |

| | |
|----|---|
| 17 | C |
| 18 | C |
| 19 | C |
| 20 | D |
| 21 | D |
| 22 | A |
| 23 | A |
| 24 | C |
| 25 | C |
| 26 | B |
| 27 | A |
| 28 | B |
| 29 | C |
| 30 | A |
| 31 | D |
| 32 | D |

| | |
|----|---|
| 33 | C |
| 34 | D |
| 35 | B |
| 36 | B |
| 37 | C |
| 38 | C |
| 39 | C |
| 40 | C |
| 41 | B |
| 42 | B |
| 43 | C |
| 44 | C |
| 45 | A |
| 46 | D |
| 47 | C |
| 48 | A |

| | |
|----|---|
| 49 | D |
| 50 | A |
| 51 | A |
| 52 | D |
| 53 | A |
| 54 | B |
| 55 | A |
| 56 | C |
| 57 | B |
| 58 | B |
| 59 | C |
| 60 | D |
| 61 | C |
| 62 | A |
| 63 | C |
| 64 | A |

| | |
|----|---|
| 65 | A |
| 66 | D |
| 67 | C |
| 68 | A |
| 69 | C |

| | |
|----|---|
| 70 | D |
| 71 | B |
| 72 | D |
| 73 | C |
| 74 | C |